लोक-सभा वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६१, १९६२/१८८३-८४ (शक)

[१२ से २६ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र १८८४ (शक)]

2nd Lok Sabha

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८३-८४ (शक)

(खण्ड ६१ में अंक १ से १० तक हैं)

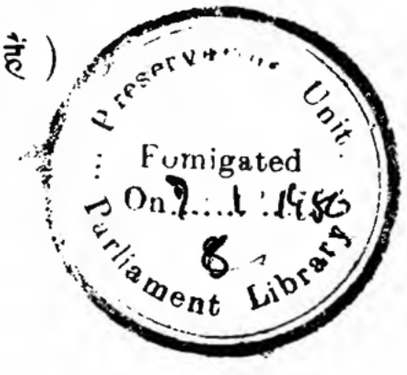

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

द्वितीय माला

विषय–सूची

[द्वितीय माला खंड ६१—अंक १ से १०—१२ से २६ मार्च १९६२/
२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र, १८८४ (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १२ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ (शक)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८–९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९—१४

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र १४

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक . १४–१५

(२) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक . . १५

(३) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक १५

अध्यादेशों के बारे में विवरण . . १५

दैनिक संक्षेपिका १६—२१

अंक २—मंगलवार, १३ मार्च, १९६२/२२ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १५ तक . २३—४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६ से १८ ४९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १६ ५१—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ५९

गोआ की कार्यवाही में हताहत व्यक्तियों संबंधी प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६०—६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ ६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ ६२

विषय-सूची पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्नचासवां प्रतिवेदन ६२

रेलवे आय-व्ययक, १९६२–६३—उपस्थापित . . . ६३—६६

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६७—७९

खंड २ से २३ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९

गोदी कर्मचारी (रोज़गार का विनियमन) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ७९—८७

खंड २ से ७ और १ . . . . ८६–८७

संशोधन रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८७

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव । . ८७—९२

खंड २ से ६ और १ . . . ९१–९२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ९२

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन ९२

दैनिक संक्षेपिका . . . ९३—९६

अंक ३—बुधवार, १४ मार्च, १९६२/२३ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १९ से २९ और ३१ से ३४ . ९७—११८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० और ३५ . . . ११८–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७, १९ से ३८ और ४० से ५४ . ११९—३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . १३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४–३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन . १३५

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र . . १३६

हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में हड़ताल के बारे में वक्तव्य . . १३६

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति

अड़सठवां प्रतिवेदन . . १३६–३७

संसिधान (बारहवां) संशोधन विधेयक . . . १३७—४७

विचार करने का प्रस्ताव . . . १३७—४७

खंड २, ३ और १ १४५–४६

पारित करने का प्रस्ताव १४६

गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक १४७–५६

विचार करने का प्रस्ताव . १५६

खंड २ से ११ और १ . . १५६

पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६२–६३ —उपस्थापन १६०—६८

वित्त विधेयक, १९६२—पुरस्थापित . १६८

दैनिक संक्षेपिका १६९—७३

अंक ४—गुरुवार, १५ मार्च, १९६२/२४ फाल्गुन, १८८३ (शक) —

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४३, ४६, ४७, ४९ से ५२ और ५५ से ५८ . . . . . १७५—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४, ४५, ४८, ५३, ५४, ५६ और ६० १९७—२००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ८६ २००—१३

पटल पर रखे गये पत्र २१३–१६

विधेयकों पर राय २१६

प्राक्कलन समिति—

एक सौ बावनवां प्रतिवेदन . २१६

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक . २१६–१७

(२) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक २१७

(३) अतिरिक्त उत्तपादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . २१७

दैनिक संक्षेपिका . २५६—६१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव २१८—५५

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२/२५ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६७ से ७२, ७४, ७६, ७७, ७९, ८१, ८२, ६१, ६५, ६४ और ७३ . . . . २६३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६६, ७५, ७८ और ८० . २८६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ से १२१ . . . २८८–३०२

दिनांक १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में शुद्धि ३०२—३०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल के विदेश मंत्री का वक्तव्य जिसमें भारत से होने वाली नेपाल सरकार विरोधी कार्यवाहियों का आरोप है। ३०३–०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०४—०६

लोक लेखा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . . ३०७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचासवां प्रतिवेदन . . . ३०७

सदचेयों द्वारा त्यागपत्र . . ३०७

सभा का कार्य . . . ३०७–०८

राष्ट्रपति के अभिभाषश पर प्रस्ताव . . . ३०८—२९

अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया . ३२९—३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन ३३२

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प . . ३३२—५०

कार्य मंत्रणा समिति—

उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३५०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५१—५७

अंक ६—सोमवार, १९ मार्च, १९६२/२८ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६, ८८ से ९२, ९४, ९५, ९७ से ९९, १०१ और १०२ . . . . . ३५९—८१

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ और २ ३८१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ८५, ८७, ९३, ९६ और १०० . . ३८६—८८

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १२२ से १४८ .	३८८—४००
स्थगन प्रस्ताव—	
रेलवे दुर्घटनायें . . .	४०१–०२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०२–०३
विधेयकों पर राय . . .	३०३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्तावनवां प्रतिवेदन . . .	४०३
लोक लेखा समिति—	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	४०४
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . .	४०४
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनहत्तरवां प्रतिवेदन . .	४०४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	४०४–१२, ४२७–३७
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	४१२—२६
विनियोग विधेयक १९६२—पुरस्थापित और पारित .	४२६–२७
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक .	४३८—४१
विचार करने का प्रस्ताव . .	४३८–३९
खंड २ से ६ और १	४३९
पारित करने का प्रस्ताव	४३९—४१
सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४१–४२
पारित करने का प्रस्ताव	४४२
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	४४२—४५
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४२
दनिक संक्षेपिका	४४३—४७

अंक ७—मंगलवार, २० मार्च, १९६२/२९ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०, १११, ११३ से ११७, ११९, १२१, १२३ और १२५ से १२७ . .	४४९—७०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १०६, १०८, १०९, ११२, ११८, १२०, १२२, १२४, १२८ और १२९	४७०—७५
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १६९, १७१ से १९३, १९५ और १९६	४७५—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४९५—९९
प्राक्कलन समिति--	
एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन . .	४९९
तेल कम्पनियों से हुए करारों के बारे में वक्तव्य . . .	४९९—५००
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	५०१—०३
विचार करने का प्रस्ताव . .	५०१–०२
खंड २ से ४ और १ . .	५०३
पारित करने का प्रस्ताव . .	५०३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	५०३—१३
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२--पुरस्थापित और पारित .	५१३—१४
सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा .	५१४—३४
दैनिक संक्षेपिका .	५३५—४१
अंक ८--शुक्रवार, २३ मार्च, १९६२/२ चैत्र, १८८४ (शक)--	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३१, १३३ से १३५, १३९ से १४१, १४४, १४५, १४७, १४८ और १५०	५४३—६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२, १३६ से १३८, १४२, १४३, १४६, १४९ और १५१ से १५७	५६४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २१८, २२० से २२७ और २२९ से २४०	५७०—८७
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर कछार पहाड़ियों की कथित दुर्घटना तथा पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय का कथित अपहरण . . .	५८७–८८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कच्चे पटसन का मूल्य	५८८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५८८–८९
राज्य सभा से सन्देश	५९०

विषय	पृष्ठ
हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	५९०
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन . .	५९०
ब्लिट्ज के सम्वाददाता श्री ए० राघवन द्वारा क्षमा याचना	५९०
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र .	५९१
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा .	५९१—६०६
संविधान (संशोधन) विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) .	
[(१) श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् और (२) श्री नरसिंहन् का] वापिस लिया गया	६०६
प्रवर समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव	६०६—१४
दैनिक संक्षेपिका	६१५—२०
अंक ९—शनिवार, २४ मार्च, १९६२/३ चैत्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९, १६०, १६२, १६४, १६५, १६९, १७१, १७३, १७५, १७७ से १७९, १८२, १८५ से १८७ और १८०	६२१—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५८, १६१, १६३, १६६ से १६८, १७०, १७२, १७४, १७६, १८१, १८३ और १८४ . .	६४५—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २५२ और २५४ से २८५ . .	६५१—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
तार घरों में 'धन प्रोत्साहन योजना' का जारी किया जाना .	६७०—७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६७२—७३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ पचपनवां, एक सौ अट्ठावनवां और एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन	
सभा का कार्य . . .	६७३—६७४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा .	६७४—७१७
राष्ट्रपति का सन्देश . . .	७११
लेखानुदान की मांगें, १९६२—६३ . . .	७१७—२२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरस्थापित और पारित .	७२२—२३
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७२३—२४
दैनिक संक्षपिका	७२५—३०

अंक १०--सोमवार, २६ मार्च, १९६२/५ चैत्र, १८८४ (शक)--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८८, १८९, १९६ से १९९, २१३, २००, २१२, २१४, २२०, २२१, २११, २०५ और २१९ . ७३१--५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर .

तारांकित प्रश्न संख्या १९० से १९५, २०१ से २०४, २०६ से २१० और २१५ से २१८ . ७५१--५८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६ से ३३५ . ७५८--८२

स्थगन प्रस्ताव--

१. कछार पहाड़ियों पर दुर्घटना . . . ७८२-८३

२. पाकिस्तान में कर्णफुली बांध और भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका प्रभाव . . . ७८३-८४

३. इटली की फर्म के साथ तेल करार . ७८४-८५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७८५--८८

प्राक्कलन समिति--

एक सौ साठवां, एक सौ इकसठवां और एकसौ बासठवां प्रतिवेदन-- ७८८

वित्त विधेयक, १९६२--

विचार करने का प्रस्ताव . ७८८--९५

खंड २ से ४ और १ ७९५

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९५

टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७९५--९७

खंड २, ३ और १ . . ७९६-९७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७९७

रेलवे बजट--सामान्य चर्चा . ७९७--८०५

दैनिक संक्षेपिका ८०६--१२

नोट:--मौखिक उत्तर वाले किसी प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार २३ मार्च, १९६२
२ चैत्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयला खनन मशीन संयंत्र, दुर्गापुर

†*१३०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में कोयला खनन मशीन संयंत्र के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसमें बनाई जाने वाली मशीनों को पूरा करने के लिये इस संयंत्र को किस हद तक तैयार और अर्ध-तैयार उत्पादों के विदेशी आयात पर निर्भर होना पड़ेगा ;

(ग) इस संयंत्र की पूरी क्षमता का क्या ब्योरा है, और

(घ) यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा और इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]** ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस परियोजना में कितने लोगों को नियुक्त किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ६ हजार ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : पर्यवेक्षी कर्मचारियों में कितने भारतीय रहेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : चन्द सोवियत परामर्शदाताओं को छोड़ कर शेष सभी पर्यवेक्षी कर्मचारी भारतीय होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या तीसरी योजना में इस संयंत्र का निर्माण कर लिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस संयंत्र का निर्माण नियत अवधि से पहले कर लिया जायेगा ।

विदेशी सार्थों में भारतीय राष्ट्रजन

†*१३१. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सार्थों में भारतीय राष्ट्रजनों के सेवायुक्त होने के बारे में हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्ष १९६० के आंकड़ों से क्या तुलना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में १६ फरवरी, १९६२ को जारी किये गये एक प्रेस नोट की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ३५८३/६२**] इस नोट से ज्ञात होगा कि विदेशी सार्थों में १००० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के सेवायोजन की प्रतिशतता १९५४ में ३३ प्रतिशत थी जो बढ़कर १-१-१९६१ को ७०.१ प्रतिशत हो गई है । १००० रुपये प्रति मास से कम वेतन वाले सभी स्थानों पर भारतीय काम कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या यह सच है कि भारत में विदेशी बैंकों में भारतीयों को मनेजर या एकाउन्टेन्ट नहीं बनाया जाता ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इन उच्च सेवाओं में भारतीयों के सेवायोजन के फलस्वरूप कई उपक्रमों में सेवा की दशाओं में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि कर्मचारियों को नुक्सान हुआ हो ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं । सच तो यह है कि कहीं कहीं विदेशी सार्थों में भारतीयों को उच्चतम पदों पर अर्थात् चेयरमैन नियुक्त किया गया है उन्हें कुछ लाभ ही हुआ है इस मायने में कि उनकी सेवा की शर्तें और अच्छी कर दी गयीं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं केवल उच्चपदों की बात नहीं कह रहा हूं मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो बर्मा शेल आदि विदेशी फर्मों में लगभग अखिल भारतीय सेवा के आधार पर अपने यहां रखे हैं । मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी सेवा का ढांचा ही बदल दिया है और इससे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं हुआ ।

†**श्री मनुभाई शाह** : आमतौर पर यह "पदालीकरण" के आधार पर नहीं किया जाता । मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को किसी पद पर काम करने के लिये ६००० रुपये दिये जा रहे हैं तो किसी अन्य भारतीय को, जिसे लगभग ४००० रुपये मिल रहे हों, तरक्की दे दी जाती है । इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था व्यक्ति विशेष को कोई हानि हो पाती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० गं० देव :** विवरण में कहा गया है कि जूट मिलों तथा प्रैस, बैंकिंग कम्पनियों, बागान कम्पनियों आदि अधिक पुराने उद्योगों में भारतीयों की प्रतिशतता औसत से कम थी। इसके क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जूट और चाय बागान उद्योगों के कुछ यूनिट ऐसे हैं जिन पर विदेशियों का आधिपत्य है या विदेशियों के पास उनके अधिकांश शेयर हैं। ऐसे यूनिटों में भारतीयों का प्रतिशतता, जो अन्य उद्योगों में खासी अच्छी है, औसत से कम रही। हमने एसोसियेटेड चेम्बर आफ कामर्स से चर्चा की थी और हमें बताया गया कि कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिनके लिये पर्याप्त योग्यता रखने वाले भारतीय उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे स्थिति को सुधारेंगे और हमें उम्मीद है कि वे अपना आश्वासन पूरा करेंगे।

†**श्री वारियर :** क्या भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाने से विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, नहीं। विदेशी सार्थों की संख्या घटी नहीं बल्कि बढ़ी है।

दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों का फिर से बसाया जाना

+

†*१३३. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री साधन गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री तंगामणि :
श्री वारियर :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य में विस्थापित परिवारों के फिर से बसाये जाने के बारे में बहुत कम प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो दण्डकारण्य में अभी तक ऐसी कितनी, कृषि योग्य बनाई गई भूमि पड़ी है जिस पर कब्जा नहीं किया गया है ; और

(ग) इस भूमि का शीघ्र उपयोग करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) से (ग). माननीय सदस्यों का ध्यान दण्डकारण्य परियोजना की १ नवम्बर, १९६१ से २८ फरवरी, १९६२ तक की प्रगति के प्रतिवेदन की ओर दिलाया जाता है जो उन्हें १६ मार्च, १९६२ को परिचालित किया जा चुका है।

†**श्री प्र० गं० देव :** इस बात को देखते हुये कि पश्चिम बंगाल के शरणार्थी दण्डकारण्य में बसने के इच्छुक नहीं हैं क्या सरकार उड़ीसा के लोगों को वहां बसने देगी ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** यह कहना सही न होगा कि पश्चिम बंगाल के लोग वहां जाने के लिये तैयार नहीं हैं। विस्थापित व्यक्ति वहां जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वे लोग बड़ी संख्या में वहां जायेंगे। जहां तक उड़ीसा का सवाल है यह बात अभी तो कल्पना ही है। जब हम दण्डकारण्य परियोजना का विस्तार करने के लिये सहमत हो जायेंगे तो अन्य राज्यों के साथ उड़ीसा की मांग पर भी विचार किया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : दण्डकारण्य में कितने परिवार बसाये जा चुके हैं और शेष स्थान में और कितने परिवार बसाये जा सकते हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : माननीय सदस्य उस प्रतिवेदन को पढ़ें तो उन्हें यह जानकारी मिल जायगी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : एक बार पंजाब के किसी माननीय सदस्य ने पूछा था कि यदि बंगाल के शरणार्थी वहां न गये तो क्या पंजाबियों को वहां बसने दिया जायगा और एक अन्य अवसर पर मैंने पूछा था कि क्या उन जमीनों पर, जो खाली पड़ी हुई हैं, दण्डकारण्य के विस्थापित आदिवासियों को नहीं बसने दिया जा सकता । मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह प्रश्न भी काल्पनिक है । हम आदिवासियों को हटा नहीं रहे हैं वरन् वास्तव में हम उन्हें बसा रहे हैं और उनके हित के कार्य कर रहे हैं । कृषियोग्य बनाई गई जमीन का एक चौथाई हिस्सा आदिवासियों को दिया गया है और इसके अलावा हम वहां सड़कें, तालाब आदि बना रहे हैं ताकि उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा भी दिया जा सके ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : दण्डकारण्य में अब तक कितने आदिवासी परिवार बसाये जा चुके हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह जानकारी प्रतिवेदन के अन्तिम पैराग्राफ में दी गई है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि जो विस्थापित व्यक्ति वहां बसाये गये हैं उन्हें अब तक लाभप्रद रोजगार नहीं दिया गया है ? यदि उन्हें लाभप्रद रोजगार दिलाया गया है तो दण्डकारण्य में किसी परिवार की औसत आय कितनी है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह योजना प्रधानतः कृषि से संबंधित है । हमने वहां ४,००० परिवार बसाये हैं और एक महीने पहले वहां पहुंचे दो सौ परिवारों को छोड़कर शेष सभी कृषियोग्य बनाई गई भूमि को काम में ला रहे हैं । कोई तीन हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वहां गये थे और उन्होंने योजना की सराहना की थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे अपनी रोजी कमा लेते हैं ? क्या उन्हें कोई अकर्म-वेतन[१] दिया जाता है या वह भी समाप्त कर दिया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह योजना पुनर्वास की है न कि सहायता कि मैंने पश्चिम बंगाल में अकर्म वेतन समाप्त कर दिया है और वह दण्डकारण्य में नहीं दिया जायगा ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : इस बात को देखते हुये कि दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत काफी बड़ा क्षेत्र है और इसे भी ध्यान में रखते हुये कि पूर्व बंगाल के शरणार्थी इस पूरे क्षेत्र को आबाद नहीं कर सकते क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिन विस्थापित व्यक्तियों की हालत शरणार्थियों से अच्छी नहीं है उन्हें दण्डकारण्य में बसाने के लिये उच्च प्राथमिकता दी जायगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं अभी पुनर्वास मंत्री हूं और मैं विस्थापित व्यक्तियों के हितों की देखभाल कर रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Dole.

पुर्तगाली राष्ट्रजनों का स्वदेश-प्रत्यावर्तन

+

†*१३४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अगाड़ी :
श्री बलराज मधोक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दीव और दमन से पुर्तगाली राष्ट्रजनों के स्वदेश-प्रत्यावर्तन, लिस्बन में यात्रा के दौरान रोके गये भारतीय यात्रियों की रिहाई, पुर्तगाली बस्तियों में नजरबन्द अन्य भारतीय राष्ट्रजनों की रिहाई और उनकी सम्पत्ति की वापसी के बारे में पुर्तगाल सरकार को एक नोट भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई उत्तर प्राप्त हुआ है, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख) . भारत सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य और ब्राजील सरकार की मध्यस्थता से इन मामलों पर पुर्तगाल सरकार से काफी पत्र-व्यवहार किया है। भारत ने अन्तिम नोट २६ फरवरी, १९६२ को भेजा है। समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ है कि पुर्तगाल सरकार ने संभवतः ब्राजील सरकार की मार्फत इस महीने के प्रारम्भ में उत्तर भेजा है। यह पत्र भारत सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पुर्तगाली अधिकारियों ने लिस्बन में यात्रा के दौरान जिन ५ भारतीयों को रोक लिया था वे रिहा कर दिये गये हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: श्रीमन् मैं इस संबंध में कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि पुर्तगाली सरकार ने ब्राजील की सरकार की मार्फत जो पत्र हमें भेजा था वह आज सुबह यहां पहुंच गया है। मैंने तो उसे देखा नहीं लेकिन मुझे यह बताया गया है। तो मैं प्रश्न के उत्तर को ठीक करना चाहता हूं। जहां तक मुझे ज्ञात है, इस से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि हम यहां रोके गये पुर्तगालियों को रिहा करें तो वे मोजाम्बिक से भारतीयों को रिहा कर देंगे। ये दो मसले जुदा हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे इन दोनों बातों को एक साथ क्यों उठा रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पुर्तगाल सरकार ने भारतीय राष्ट्रजनों की रिहाई के बारे में और उन्हें उनकी सम्पत्ति लौटा देने के बारे मे अपना रवैया जाहिर किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी यह बताया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के कुछ उपबन्ध होते हैं और यदि हां, तो क्या इन यात्रियों को विमान से उतरने पर बाध्य करने से नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसमें सन्देह नहीं कि एयरलाइन्स के ऐसे नियम होते हैं। किन्तु भारत का कोई विमान पुर्तगाल से होकर नहीं जाता। यह विमान किसी अन्य देश का रहा होगा। इसमें सन्देह नहीं कि ये नियम सभी लाइनों पर लागू होते हैं। संबंधित लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत की थी और मेरा ख्याल है कि संबंधित देश ने भी पुर्तगाल से इसकी शिकायत की है ।

†**श्री त्यागी :** लिस्बन में कितने भारतीय रोके गये हैं और गोआ और दमन में कितने पुर्त्तगाली हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि पांच भारतीय रोके गये थे जिन्हें रिहा कर दिया गया है ।

मोजाम्बिक और अंगोला में हजारों की तादाद में भारतीय रोके गये हैं।

†**श्री त्यागी :** क्या मैं यह समझ लूं कि वहां हजारों भारतीय रोके गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मोजाम्बिक और अंगोला में हजारों भारतीय व्यापारी हैं। गोआ मुक्ति अभियान के बाद उन्हें किसी शिवर में रखा गया है। एसा प्रतीत होता है कि पुर्तगाल सरकार इनमें से काफी लोगों को वापस भेजना चाहती है। कितने लोग भेजे जायेंगे यह मैं नहीं कह सकता लेकिन काफी लोग भेज दिये जायेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मोजाम्बिक और अंगोला में भारतीयों को हमारी गोआ कार्यवाही के बदले की भावना से रोक रखा गया है या कि उन्हें तभी रिहा किया जायेगा जब गोआ, दमन और दीव मे रोके गये पुर्तगाली सैनिक रिहा कर दिये जायें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन दोनों मसलों को एक साथ उठाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमने शुरू से यह कहा है कि पुर्त्तगाल के लोग सैनिक और अन्य नागरिक जा सकते हैं। हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिये। बाद में जब कुछ विलम्ब हुआ तो हमने यह भी कहा कि वे अपना इन्तजाम कर सकते हैं हम उन्हें रोकना नहीं चाहते। हम उन्हें लेने आये जहाज़ तक उन्हें पहुंचाने के लिये तैयार थे। इसलिये इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है ।

†**श्री च० द० पाण्डे :** क्या पुर्तगाल की सरकार भारत के दृष्टिकोण से सहमत है और क्या उसने मोज़ाम्बिक से हमारे नागरिकों को रिहा करने के लिये कोई कदम उठाया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** आज सुबह जो पत्र आया उसे मैंने अभी पढ़ा नहीं। किन्तु मझे बताया गया कि पुर्तगाल की सरकार ने इन दोनों मसलों को एक साथ लिया है। उनका कहना है कि वे कुछ भारतीयों को जहाज से वापस भेज देंगे और यहां जो पुर्तगाली रोके गये हैं उन्हें उसी जहाज़ से भेज दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या सरकार पुर्तगाली बस्तियों में रोके गये भारतीय राष्ट्रजनों के बारे में किसी सामान्य पारस्परिक व्यवस्था पर ज़ोर नहीं दे रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी बताया है कि यह बात तो दूर रही, हमने पुर्तगाली राष्ट्रजनों को ले जाने के बारे में उनके समक्ष जो एकपक्षीय प्रस्ताव रखा था वह भी अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : पुर्तगाल की सरकार ने भारतीयों को जहाज़ से भेजने का जो प्रस्ताव किया उसे वे कार्यान्वित क्यों नहीं करते ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह तो पुर्तगाल की सरकार ही बता सकती है । वह देर क्यों कर रही है यह मैं कैसे बता सकता हूं ?

†**श्री हेम बरुआ**: क्या उन्होंने मोज़ाम्बिक और अंगोला में भारतीयों को रोकने के कोई कारण बताये हैं ? भारतीयों को लौटाने के प्रस्ताव को क्यों कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि गोआ में कोई तीन हज़ार सैनिक रोक लिये गये हैं और उनके यहां रहने से कुछ समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं । यदि पुर्तगाल की सरकार उन्हें गोआ से नहीं ले जाती तो क्या भारत सरकार उन्हें गोआ से हटाकर भारत में कहीं अन्यत्र ले जाने पर विचार करेगी ताकि गोआ में वातावरण पूर्णतः सामान्य रहे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा ख्याल है कि एक दिन मैंने इस तरह का संकेत किया था कि यदि और बिलम्ब हुआ तो हम उन्हें गोआ से बाहर किसी शिविर में ले जायेंगे ।

मध्यम वर्ग के परिवार

†***१३५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा किए गए मध्यम वर्ग परिवारों की आय तथा व्यय के सर्वेक्षण के संबंध में सरकार ने यदि कोई ज विचार किया है तो क्या ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: माननीय सदस्य सम्भवतः जून, १९६० के मासिक सांख्यकीय सारांश में इस विषय पर प्रकाशित प्रारंभिक अध्ययन और नवम्बर, १९६१ के सारांश में प्रकाशित चार नगरों के अध्ययन का निर्देश कर रहे हैं । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा १९५८–५९ में किये गये मध्यम वर्ग परिवार जीवन सर्वेक्षण के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष इकट्ठा किये जा रहे हैं । ये आंकड़े मुख्यतः मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता मूल्य देशनांक निर्धारित करने के लिये इकट्ठा किये गये हैं और यह देशनांक निर्धारित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार ने इस बात की ओर कोई ध्यान दिया है कि मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति गत चन्द वर्षों में बहुत खराब रही है और इस वर्ग में काफी असंतोष व्याप्त है और यदि हां, तो उनकी दशा सुधारने के लिये सरकार क्या कुछ करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सरकार क्या करेगी यह किसी प्रश्न के उत्तर में बताना कठिन है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार की उन्हें अतिरिक्त काम और सहायक आय उपलब्ध कराने की कोई योजना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह स्पष्ट है कि मध्यम वर्ग के परिवारों का प्रश्न महत्वपूर्ण है जिसके बारे में सरकार को काफी चिन्ता है । एक ओर आंकड़े इकट्ठा किये जा रहे हैं। इसके अलावा भी इस मामले पर बराबर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री मुरारका** : १९५८-५९ में इकट्ठा किये गये आंकड़ों को अब तक किस प्रकार जमा किया जा रहा है ? इन आंकड़ों का उचित उपयोग कब और किस प्रकार किया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसमें कुछ समय लगता है । हज़ारों परिवारों में जाकर जानकारी इकट्ठी की जाती है और इस में समय तो लगता ही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि इस सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि १०० से लेकर १५० रुपये तक की आय वाले परिवारों पर ३७५ रुपये का ऋण है और जिनकी आय १५० से लेकर २०० रुपये तक है उन पर २०० रुपये से अधिक ऋण है । और यदि हां, तो क्या सरकार इस ऋण ग्रस्तता को कम करने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये ब्यौरा उठाये गये कदमों का है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सर्वेक्षण से पता चला है कि मध्यम वर्ग के परिवारों की ऋण ग्रस्तता बढ़ी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सर्वेक्षण से पता चला है कि मध्यम वर्ग के परिवारों का व्यय आय से अधिक है और इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे ऋणग्रस्त होंगे ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार यह बतायेगी कि मध्यम वर्ग का परिवार वास्तव में क्या है ? क्या मध्यम वर्ग के परिवार की आय के बारे में वह किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मध्यम वर्ग में तीन प्रकार हैं—उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग । हिसाब लगाते समय या जानकारी प्राप्त करते समय आय-खण्ड का ही उल्लेख किया जाता है क्योंकि मध्यम वर्ग यह शब्द संदिग्ध है ।

†**श्री त्यागी** : आय का क्या खंड है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आय का एक ही खण्ड नहीं, बहुत से हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** यह सारा सर्वेक्षण संदिग्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन आय खण्डों के बीच परिवार रखे गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह व्यवसाय पर निर्भर करता है या आय पर ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** दोनों पर । १०० से लेकर १००० रुपये और इससे अधिक आय वाले परिवार कृष्येतर काम करते हैं। ये निश्चय ही शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

भूटान का विकास

१३९. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग के प्रविधिक दल की सिफारिश पर कुछ समय पहले भूटान के विकास के लिए जो १७.५ करोड़ रुपये की योजनायें स्वीकार की गई थीं, उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : भूटान सरकार ने एक योजना तथा विकास विभाग और अपना सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी० डब्ल्यू० डी०) स्थापित कर लिया है और कृषि, वन, शिक्षा आदि अन्य विभागों के प्रमुख (हेड्स) नियुक्त कर दिए हैं। भारत सरकार ने इंजीनियरी, प्रशासन, वित्त आदि के क्षेत्रों में भारत के कई तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं अर्पित की हैं। कई प्रायोजनाओं का सर्वेक्षण हो रहा है। भारत से भूटान में पारो तक की पहली सड़क इस वर्ष अप्रैल में बन कर पूरी हो जायगी। ६७ भूटानी विद्यार्थी भारतीय सस्थाओं में बढ़ रहे हैं। आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि भूटान की पंच वर्षीय योजना का आरंभ अच्छा हुआ है।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे ज्ञात है यह साढ़े सतरह करोड़ रुपया इन पांच वर्षों में खर्च किया जाना है जब कि एक वर्ष प्रारम्भिक तैयारियों में लग गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य जिस रफ्तार से हो रहा है क्या उससे गवर्नमेंट को सन्तोष है या गवर्नमेंट समझती है कि इस में और तेज़ी से काम आगे बढ़ाने की जरूरत है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह तो हमेशा होता है कि शुरू शुरू में कम खर्चा होता है इंतिज़ाम में, नक्शे वगैरह बनाने में। साथ ही खास तौर पर वहां सीखे हुए आदमियों की कमी है और जैसे जैसे वे सीखते जाते हैं काम तेज़ होता जाता है। यह कहना कि गवर्नमेंट को सन्तोष है या नहीं, मुश्किल है क्योंकि सब बातें देख कर होती है। जवाब के आखिर में लिखा है कि हमारी राय में भूटान की पंचवर्षीय योजना अच्छी चल रही है, उसकी अच्छी शुरुआत हुई है।

श्री बलराज मधोक : भूटान की राजधानी पारो को वेस्ट बंगाल से मिलाने वाली जो सड़क बन रही है, क्या वह मुकम्मिल हो गई है। और अगर नहीं हुई है तो कब तक हो जाएगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जवाब में लिखा है कि अप्रैल तक हो जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ए० जैड० फिजो

+

†*१४०. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री आसर :
श्री बलराज मधोक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित कराया गया है कि विद्रोही नागा श्री ए० जैड० फिजो भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते रहे हैं; और

(ख) क्या भारत सरकार को इस बारे में कुछ जानकारी है कि वह कहां पर है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका):** (क) सरकार ने श्री फिजो के भारत लौट आने के कथित इरादे के बारे में समाचार पत्रों के समाचार देखे हैं।

(ख) उसको ६-११-१९६१ को इंगलिस्तान की नागरिकता प्रदान की गई थी और वह इस समय उस देश में है।

श्री अ० मु० तारिक : इस रिपोर्ट के बारे में कि मिस्टर फिजो हिन्दुस्तान आना चाहते हैं क्या हुकूमत बरतानिया की वसातत से हुकूमत हिन्दुस्तान को कोई दरख्वास्त मौसूल हुई है और उस दरख्वास्त में क्या मिस्टर फिजो ने कहा है कि मेरी जान की हिफ़ाज़त की जमानत दी जाय तो मैं हिन्दुस्तान जाने के लिए तैयार हूं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक मुझे इल्म है हमारे पास तो कोई दरख्वास्त उनकी नहीं आई है। अखबारों में कुछ पड़ा था जो आप कहते हैं। उनमें कुछ ऐसी चर्चा थी।

श्री अ० मु० तारिक : क्या यह दुरुस्त है कि पिछले साल श्री जय प्रकाश नारायण जब ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने मिस्टर फिजो से मुलाकात की थी ? मैं जानना चाहता हूं कि वापसी पर क्या उन्होंने वजीरे आज़म को उस मुलाकात से आगह किया था और क्या यह भी दुरुस्त है कि मुलाकात करने से पहले उन्होंने वजीरे-आजम की हिमायत हासिल की थी मुलाकात करने के लिए ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पहले दो सवालों का जवाब "हां" है, तीसरे का "नहीं" है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि श्री फिजो लन्दन स्थित हमारे उच्च आयुक्त से मिला था और उसने उनसे अनुमति मांगी थी कि वह भारत लौट आये और यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लन्दन स्थित हमारे उच्च आयुक्त ने उससे कहा कि वह अनुमति के लिये नागा अन्तरिम निकाय से बातचीत करें और वह उसे अनुमति देने में अक्षय है ? क्या उसने यह बात कही थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे खेद है कि मैं उस प्रश्न को नहीं समझ सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : समाचारपत्रों में इस प्रकार समाचार आया है कि श्री फिजो ने भारत लौटने की उत्सुकता में आकर लंदन स्थित हमारे उच्च आयुक्त से मुलाकात की और इस के बारे में बताया और उच्च आयुक्त ने उसे सलाह दी कि वह नागा अन्तरिम निकाय से बातचीत करे, जो कार्यपालिका परिषद् है तथा उसे यह बताया कि वह स्वयं उसकी प्रार्थना पर विचार करने में समर्थ नहीं है। क्या यह सच है या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी जो वक्तव्य दिया था मैं उसे थोड़ा ठीक करना चाहता हूं। मैंने कहा कि जहां तक मुझे पता है श्री फिजो ने हम से प्रत्यक्ष कोई प्रार्थना नहीं की। मुझे पता चला है कि फरवरी में कुछ सप्ताह पूर्व श्री फिजो लन्दन स्थित हमारे उच्च आयुक्त को एक अर्जी भेजी थी। उन्होंने और किसी प्रकार से उच्च आयुक्त से मुलाकात नहीं की। हमारे उच्च आयुक्त ने स्पष्टत: उन्हें उनसे मिलने को प्रोत्साहित नहीं किया। उच्चायुक्त ने उसे उस के सन्देह का कोई औपचारिक उत्तर नहीं दिया। किन्तु उन्होंने लन्दन में एक प्रेस सम्मेलन में तथ्य बताये।

†**श्री त्यागी** : क्या फिजो अभी भी भारतीय राष्ट्र जन है, अथवा जैसा कि प्रकाशित हुआ था, क्या उसने अपनी राष्ट्रीयता बदल ली है और ब्रिटिश राष्ट्रजन बन गया है ? यदि उसने ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार कर ली है तो वह किस रूप से भारत आना चाहता है भारतीय राष्ट्रजन के नाते या इंगलिस्तान के नागरिक के नाते ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चूंकि वह इंगलिस्तान का नागरिक बन गया है वह भारतीय राष्ट्रजन नहीं रहा है और केवल इंगलिस्तान के पासपोर्ट के साथ ही यहां आ सकता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने श्री फिजो के इस अचानक विचार परिवर्तन का कारण जानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि वह हमेशा इस देश के विरुद्ध अपमानजनक प्रचार करता रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं कोई कारण नहीं बता सकता।

†**श्री हेम बरुआ** : यह व्यक्ति हमेशा भारत के विरुद्ध अपमानजनक प्रचार करता रहा है। अचानक ही उसने भारत आने की विशिष्ट इच्छा व्यक्त की है। किस संबंध में ? क्या श्री फिजो के इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में नागा लोगों का मत पूछा गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसने स्वयं कहा है कि वह किसी समय प्रस्तावित मोकोचुंग में नागालैंड के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिये भारत आना चाहता है। यह सर्वदलीय सम्मेलन होगा और उसने कहा है कि वह उसमें शामिल होना चाहता है ?

†**श्री हेम बरुआ**: क्या यह सम्मेलन होगा या बैठक ? इस के बारे में कुछ गड़बड़ है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह इस समय नहीं हो रहा है।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या सम्मेलन बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं यह प्रस्ताव अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि श्री फिजो का नागा विद्रोहियों से निकट का सम्बन्ध है और इसी कारण उन की गतिविधियां बढ़ गई हैं ? यदि हां, तो सरकार इस काम के लिये कि नागा विद्रोहियों और श्री फिजो के बीच का यह सम्बन्ध टूट जाए, क्या कर्रवाई कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे इस में शंका है कि उसका लगातार संपर्क होगा, किन्तु कभी कभी उसका संपर्क होता है । उसका किसी भारतीय अभिकरण या व्यक्ति के द्वारा संपर्क नहीं है । मुझे समझ में नहीं आता कि उसका किस प्रकार संपर्क है, उदाहरण के लिये वह बर्मा के द्वारा पत्र भेज सकता है । वास्तव में, नागा विद्रोही भारत-बर्मी सीमा के एक ओर से दूसरी ओर कूद रहे हैं । वे किसी बर्मी डाकघर के द्वारा पत्र भेज सकते हैं ।

†**श्री त्यागी:** क्या उसकी गिरफ्तारी का कोई वारंट लंबित है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था । इस समय वारंट की क्या स्थिति है मुझे इस का पक्का पता नहीं है ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दर्ख्वास्त मि० फिजो ने दी है हिन्दुस्तान आने की वह उन्हों ने हमारे हाई कमिशन को बराहे राहत दी या हुकूमत ब्रतानिया के जरिये दी, और यह भी मैं जानना चाहता हूं कि मि० फिजो जो लन्दन में हैं, उन का तलाशे माश क्या है, रोजगार क्या है और कहां से कमाते खाते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उन की वह दर्ख्वास्त सीधी हमारे हाई कमिश्नर को भेजी गई थी । जहां तक मुझे इल्म है वह किसी की मार्फत नहीं आई थी । उनका जरिया माश क्या है, मुझे इसका इल्म नहीं है ।

निर्यात और आयात नीति

†*१४१. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामस्वामी मुदलियार समिति ने सरकार की निर्यात और आयात नीति के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने की सिफारिश की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). समिति की सिफारिशें इसके प्रतिवेदन के पृष्ठ ५५—७२ पर दी गई हैं जो सभा पटल पर रखा गया है ।

(घ) प्रतिवेदन पर अभी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री मुरारका :** समिति की विविध सिफारिशों के बारे में कब तक निर्णय किया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री काननगो :** निर्यात संवर्धन सम्बन्धी महत्वपूर्ण वित्तीय एवं संचरनात्मक मामलों के बारे में निर्णय करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि इसके बारे में सरकार के विभिन्न विभागों से चर्चा करनी होगी। आयात सम्बन्धी सिफारिशों के बारे में हम कुछ सप्ताहों में निर्णय करने की आशा करते हैं।

†**श्री मुरारका :** क्या सरकार ने निर्यात उद्योगों के लिये अपेक्षित कच्चा माल आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान लगाया है ?

†**श्री कानूनगो :** वे बढ़ रहे हैं।

†**श्री मुरारका :** सरकार ने यदि कोई वर्तमान अनुमान लगाया है तो वह क्या है ?

†**श्री कानूनगो :** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या सरकार ने इस समिति को कोई हिदायतें दी हैं कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ब्रिटेन के यूरोपीय सांझा बाजार में शामिल होने के संभव प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें करे ? क्या प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते की चर्चाओं का पूरा पाठ इस समिति को दिया गया था ?

†**श्री कानूनगो :** निस्संदेह उनको सभी कागज प्राप्त थे जो सार्वजनिक सम्पत्ति हैं। इस के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट निर्देश निर्बन्धन नहीं था। परन्तु निस्सन्देह वे इस मामले पर पृष्ठ भूमि के तौर पर विचार करेंगे।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार ने उन वस्तुओं पर, जो निर्यात की जाती हैं, अन्तर्देशीय भाड़ा दर को काफी कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†**श्री कानूनगो :** इन मामलों पर लगातार विचार किया जाता है, जो रेलवे और भारत सरकार अथवा भारतीय लोगों द्वारा चलाई गई जहाज कंपनियों के निर्णय पर निर्भर होता है। परन्तु अधिकतर नौवहन गैर-भारतीयों के नियंत्रण में हैं।

†**श्री मुरारका :** इस समिति ने रेलवे भाड़ा में २५ प्रतिशत कमी करने की सिफारिश की है। क्या सरकार ने रेलवे मंत्रालय से परामर्श किया है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री कानूनगो :** प्रतिवेदन से पहले भी, हम विशिष्ठ मदों के बारे में रेलवे मंत्रालय के साथ लगातार बातचीत करते रहे हैं। कुछ मामलों में कमी की अनुमति दी गई है, कुछ अन्य मामलों में कमी नहीं की गई है। इस समिति का सभापति रेलवे भाड़ा संरचनात्मक समिति का भी सभापति है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या कोई विवादास्पद सिफारिशें हैं जिनका सरकार ने विरोध किया है ? यदि हां, तो वे कौन सी हैं ?

†**श्री कानूनगो :** हम रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि हम किन को स्वीकार करेंगे और किस को स्वीकार नहीं करेंगे।

†**श्री त्यागी :** क्या समिति ने विदेशों के साथ व्यापार पर आयकर की दर को घटाने की सिफारिश की है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री कानूनगो :** जैसा मैंने बताया, बहुत से राजकोषीय उपायों की सिफारिश की गई है, जिन के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि व्यापारी और उद्योगपतियों को आन्तरिक बाजार में अधिक दिलचस्पी है और निर्यात आय के मामले में उनको पर्याप्त सूचना प्राप्त नहीं है ?

†**श्री वें० प० नायर :** उनको अच्छे कालेज में भेज दो ।

†**श्री कानूनगो :** निर्यात आय में काफी उपक्रमी भारतीय व्यापारियों को दिलचस्पी है । वे इस बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं ।

भारत–तिब्बत सन्धि

†***१४४. श्री प्र० गं० देव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिब्बत के संबंध में नई संधि के बारे में चीन से कोई उत्तर प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशक–कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, नहीं, ।

(ख) ३ दिसम्बर, १९६१ के मूलचीनी टिप्पण की प्रतियां, जिस में भारत तथा चीन के तिब्बत प्रदेश के बीच व्यापार तथा समागम संबंधी १९५४ के समझौते के स्थान पर एक नई सन्धि करने के लिये बात चीत करने का प्रस्ताव था, तथा उसके बारे में १५ दिसम्बर, १९६१ के हमारे उत्तर की प्रतियां, सभा पटल पर रख दी गई हैं । इस विषय पर नवीनतम चीनी टिप्पण का, जो अभी पीकिंग से प्राप्त हुआ है, अध्ययन किया जा रहा है । यह टिप्पण तथा हमारा उत्तर, यथासमय सभा पटल पर रख दिये जाएंगे ।

†**श्री प्र० गं० देव :** चीन के साथ लगातार जारी विरोध भावना को ध्यान में रखते हुए, सरकार तिब्बत और भारत के बीच के व्यापार को बन्द करने या इस के बारे में कुछ करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** रोकने ? व्यापार बहुत नहीं है कि इसे बन्द करने की जरूरत हो ।

श्री भक्त दर्शन : अभी बतलाया गया है कि चीन की सरकार ने एक नया पत्र भेजा है । क्या कम से कम यह बतलाने की कृपा की जायेगी कि उसका सारांश क्या है, वे किस तरह की संधि चाहते हैं और कब तक चाहते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उस का सारांश यह है कि यह दो अलग अलग मामले हैं, यानी तिजारत के बारे में कोई समझौता होना और जो हमारी सीमा के ऊपर झगड़े हैं, वे । और कोई वजह नहीं है कि हम क्यों न उन पर अलग अलग विचार करें और ट्रेड ऐग्रिमेंट करें । जहां तक मुझे याद है मैं वह बतला रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : चूंकि तिब्बत से व्यापार का सीजन शुरू ही होने वाला है और जैसी कि आशंका है शायद इस बीच कोई समझौता न हो सके, इसलिये क्या भारत सरकार भारत के व्यापारियों को कोई निश्चित आदेश देगी कि इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिये, तिब्बत जाना चाहिये या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जाहिर है कि हम उन को कोई आश्वासन नहीं दे सकते उन की हिफाजत का या यह कि उन के साथ कोई ऐसी कार्रवाई न होगी जो कि नुक्सानदेह हो, लेकिन हम उनको रोकेंगे नहीं, जो जाना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारी पर जायें ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह बात सही नहीं है कि १९५४ के भारत-तिब्बत करार का नवीकरण, तिब्बत की विवादास्पद राजनीतिक हालात को चुपचाप स्वीकार करने के बराबर होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसका अनिवार्यतः यह अर्थ नहीं होते, किन्तु कुछ हद तक यह अप्रत्यक्ष अर्थ निकाला जा सकता है । इसीलिये हम ने दोनों को इकट्ठा रखा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** चीन यह सन्धि करने या इसको नवीकरण करने के लिये हमारी अपेक्षा क्यों अधिक दिलचस्पी रखता प्रतीत होता है--इसके क्या खास कारण हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे खेद है कि मेरे सामने वह पत्र नहीं है और वह हमारे उत्तर के साथ सभा पटल पर रखा जाएगा, किन्तु उन्होंने कहा है कि यह पृथक् मामला है और इसका निपटारा किया जाए । मैं समझता हूं कि उनको इस में इसलिये दिलचस्पी है कि इस व्यापार से उन को लाभ होता है ।

जिब्राल्टर में भारतीय व्यापारी

†*१४५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान "पायोनियर" के १४ फरवरी, १९६२ के अंक में प्रकाशित उस वक्तव्य की ओर गया है जो जिब्राल्टर की भारतीय व्यापारी सन्था के अध्यक्ष ने दिया है और जिस में यह कहा गया है कि वहां के भारतीय व्यापारियों के आयात तथा निर्यात व्यापार पर विभेदकारी प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). जिब्राल्टर में भारतीय व्यापारियों के बारे में, दिसम्बर १९६१ में जिब्राल्टर के प्राधिकारियों द्वारा घोषित निर्यातक लाइसेंस विनियमों के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिये प्रारंभिक जांच की जा रही है । जब इस अनुमान के परिणामों का पता

†मूल अंग्रेजी में

लग जाएगा तब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । भारतीय लोगों के व्यापार पर प्रतिबन्धों के बारे में तथा दुकान सहायकों की संख्या के बारे में भारतीय लोगों की अन्य शिकायतों के बारे में, जिनका श्री टी० एस० चेलाराम ने उल्लेख किया है, लन्दन स्थित हमारे उच्च आयुक्त समय समय पर इंगलिस्तान सरकार को उचित अभ्यावेदन करते रहते हैं। अब पुनः इस मामले की जांच की जा रही है और यथासमय आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** इस समय जिब्राल्टर में कितनी भारतीय फर्में काम कर रही हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** हमें इसकी सूचना नहीं, बहुत कम होंगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सही है कि भारतीय फर्में वहां का ३० या ४० प्रतिशत व्यापार का नियंत्रण करती हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

नागा विद्रोहियों के लिये चीनी शस्त्रास्त्र

†*१४७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी साम्यवादी लोग उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण में नागा विद्रोहियों को शस्त्रास्त्र और गोला बारूद दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) :** (क) और (ख). सरकार को इस के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नागा विद्रोहियों को चीन से शस्त्रास्त्र मिलते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या उन नागा विद्रोहियों से कुछ शस्त्रास्त्र प्राप्त हुए हैं जिनको हम ने पकड़ा है, और क्या यह पाया गया है कि वे शस्त्रास्त्र चीन से आये हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** जी, नहीं । उन्होंने जिन शस्त्रों का प्रयोग किया है वे या तो युद्ध के पुराने रद्दी माल से लिये गये हैं या हमारी सुरक्षा सेनाओं से छीने गये हैं । मजल गनें स्थानीय हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान दिसम्बर, १९६० के **'संडे आबजर्वर'** के स्तम्भों में श्री गैविन यंग के इस आशय के आरोपों की ओर लगाया गया है कि चीन से बर्मा सीमा के रास्ते भारत नागा पहाड़ियों में चोरी छिपे शस्त्रास्त्र ले जाये जा रहे हैं, यदि ऐसी बात है तो क्या तथ्यों की दृष्टि से उन आरोपों की जांच की गई है या नहीं ? यदि जांच की गई है तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** मैं सूचना दे चुका हूं कि हमें चीनी शस्त्रास्त्रों के चोरी छिपे लाये ले जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** यह कहा गया है कि पुराने युद्ध के रद्दी माल में से मिले हुए शस्त्रास्त्रों का प्रयोग नागा विद्रोहियों द्वारा किया जा रहा है । क्या यह सही नहीं है कि इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् रद्दी माल के यह शस्त्रास्त्र बेकार हो गये होंगे और उपयोग के लायक नहीं रहे होंगे ?

†**श्री त्यागी :** इस नागा विद्रोह को दबाने के लिये सरकार क्या ठोस सक्रिय कार्रवाई कर रही है और वह कितनी देर तक इस के जारी रहने का ख्याल करती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** सैनिकों कार्रवाइयों आदि का ब्योरा देना कठिन है और न ही मैं यह बता सकता हूं कि यह कब तक पूर्णतः समाप्त या दबा लिया जाएगा । जैसा कि सभा को विदित है, कठिनाइयां मुख्यतः इस कारण बढ़ी हैं कि नागा अक्सर बर्मा की ओर से आक्रमण करते हैं । वे लगातार घूमते रहते हैं, कभी बर्मा की सीमा में घुस जाते हैं और उनका पीछा करना कठिन है । बर्मा की सीमा में हमारी फौजों को उनका पीछा करना कठिन है । फिर भी यह कहना सच है कि उनकी हालत बहुत कमजोर हो गई है और अब कभी कभी जो घटनाएं होती हैं वे उनकी अपने आप को सही साबित करने के हताश प्रयत्नों का परिणाम होती हैं ।

सीमेंट

†*१४८. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट की मांग और संभरण के बारे में देश की वर्तमान अवस्था क्या है ;

(ख) संभरण की कमी और परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण किस सीमा तक कठिनाइयां पेश आ रही हैं ;

(ग) उत्पादी कार्यों एवं अविकसित क्षेत्रों के लिये संभरण के मामले में क्या प्राथमिकतायें दी जाती हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रों से सीमेंट उठाया नहीं जा रहा है और वितरण में असमानता पाई जाती है; और

(ङ) जनवरी १९६२ के अन्त में कारखानों और व्यापारियों के पास कितना सीमेंट का स्टाक था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). प्रशुल्क आयोग ने १९६१ के लिये ९० लाख मीट्रिक टन की सीमेंट की मांग का अनुमान लगाया है जिस की एक वर्ष में १२½ प्रतिशत बढ़ जाने की अपेक्षा है । १९६२ की मांग का अनुमान १०० लाख मीट्रिक टन है । उद्योग की वर्तमान स्थापित क्षमता ९५ लाख टन के लगभग है । वर्तमान वार्षिक उत्पादन ८५ लाख से ८० लाख टन है । सीमेंट ढोने तथा सीमेंट फैक्टरियों तक कोयला और कच्चा माल ढोने की कठिनाइयां हैं । क्योंकि डिब्बों की कमी है अथवा परिवहन संबंधी कठिनाइयां हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उत्पादकों कार्यों तथा अविकसित क्षेत्र के लिये संभरण को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) व्यापारियों के पास कितना स्टाक है यह मालूम नहीं है, लगभग १७३,२२० मीट्रिक टन सीमेंट जनवरी १९६२ के अन्त में फैक्टरियों के स्टाक में था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हम काफी सीमेंट पैदा नहीं कर रहे हैं, स्थापित क्षमता तक भी नहीं और परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण सीमेंट का वितरण भी नहीं कर सकते । क्या रेलवे मंत्रालय इस जिम्मेवारी को स्वीकार करता है, क्या इस के बारे में उन से चर्चा की गई है और क्या हालत सुधारने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न का पहला भाग सही नहीं है । वास्तव में हम उत्पादन तेज कर रहे हैं और बहुत सी सीमेंट फैक्टरियां ९७.३ प्रतिशत क्षमता तक काम कर रही हैं, जो किसी भी सीमेंट फैक्टरी के लिये उच्च उत्पादन समझा जा सकता है । दूसरे भाग के बारे में यह सही है कि परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण सीमेंट ढोने में बाधा पड़ती है और उत्पादन को क्षति पहुंचती है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण से यह बात स्पष्ट है कि हमारी स्थापित क्षमता ९५ लाख टन है और हम ८५ लाख से ९० लाख टन तक उत्पादन करते हैं । अभी मा० मंत्री ने जो कहा है वह बात इस से कहां तक मेल खाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह इस कारण है कि उत्पादन तीन या चार महीनों में होता है । एक नया एकक बारहों महीने नहीं चलता । इसलिये वर्ष भर की स्थापित क्षमता सब नये एककों और नये विस्तारों की औसत होती है । वास्तविक उत्पादन वह होता है जो हमें समय समय पर मिलता है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : किस आधार पर सीमेंट विभिन्न राज्यों को आवंटित किया जाता है ? जनसंख्या के आधार पर या आवश्यकता के आधार पर ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह पिछली अवधि के तीन महीनों के आधार पर हुए उपभोग पर निर्भर करता है और उसी आधार पर नियतन किया जाता है । राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिरक्षा, अत्यावश्यक राष्ट्रीय परियोजनाओं और उद्योगों तथा कृषि को उच्च प्राथमिकता दी जाती है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वितरण आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान को त्रैमासिक अवधि में केवल ५०,००० टन, पंजाब को १२५,००० टन और गुजरात को १२०,००० टन मिलता है । राजस्थान में अधिकतर कृषि विकास कार्यक्रमों को भी हानि हो रही है । क्या मा० मंत्री ने इस पहलू की जांच की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस का बहुत बार परीक्षण किया जा चुका है और जैसा मैं ने बताया वितरण राज्यों में भिन्न भिन्न है जो पिछले सात या आठ वर्षों की निकासी पर निर्भर करता है जब सीमेंट पर नियंत्रण था । उस अवधि के त्रैमासिक उपयोग को ध्यान में रखा जाता है और संभरण की उपलब्धता की दृष्टि से अनुमानतः कमी की जाती है ।

†**श्री वें० पें० नायर** : केरल राज्य में अब सीमेंट पर नियंत्रण किया जा रहा है और राज्य सरकार के कर्मचारी इस का उसी प्रकार वितरण करते हैं जैसे जिला कलक्टर और राजस्व डिवीज़नल अफसर, जिस का यह परिणाम होता है कि सीमेंट नये उद्योगों को बिल्कुल नहीं मिल पाता

---

†मूल अंग्रेजी में

और चोर बाजारी में इस का मूल्य १३ रुपये थैला हो जाता है । क्या यह व्यवस्था सभी राज्यों में समान है क्योंकि केरल में इस ने यथार्थरूपेण जरूरतमंद व्यक्ति को उस के वैध अंश से वंचित कर दिया है चाहे वह कितना भी प्रयत्न क्यों न करे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सही है कि समूचे देश में सीमेंट की अत्यधिक कमी है । हम संभव हद तक उत्पादन को तेज करने का प्रयत्न कर रहे हैं उन को कोयला और मिट्टी का तेल तथा अन्य वैकल्पिक सामग्री दे रहे हैं जितनी हम दे सकते हैं । यह याद कराया जाता है कि तीन वर्ष पहले सीमेंट फालतू होता था । विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में कई बार कठिनाई होती है और केरल उस का अपवाद नहीं है ।

†**श्री वें० पें० नायर :** क्या अन्य राज्यों में यही व्यवस्था है, क्या अन्य उद्योगपतियों को भी उस प्रकार कठिनाई अनुभव हो रही है, जिस प्रकार केरल में ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सभी राज्य केरल के समान कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और सब जगह वितरण की व्यवस्था प्रायः एक जैसी है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मा० मंत्री के कथनानुसार, आवंटन की व्यवस्था पहले उपभोग पर निर्भर होती है अर्थात् जो राज्य पहले हानि में थे, उन को इस व्यवस्था से हानि जारी रहेगी । क्या उन राज्यों को जिन्हें पहले काफी मात्रा में सीमेंट नहीं दिया गया, अभ्यंश बढ़ाने के लिये, उन की आवश्यकताओं का नया अनुमान लगाया जायगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है और योजना की आवश्यकताओं पर भी विचार किया जा रहा है । मा० सदस्य ने केवल राज्य के आवंटन का उल्लेख किया है जो चंबल और भाखड़ा नंगल जैसी परियोजनाओं के लिये किये गये भारी आवंटन का छोटा हिस्सा है, जो बहुत बड़ी मात्रा में उपभोग करते हैं । प्रत्येक राज्य दूसरी, तीसरी या पहली योजना के लिये जो कुछ मांग कर रहा है-वह इन बड़ी निर्माण संबंधी मांगों का छोटा हिस्सा है ।

†**श्री च० द० पांडे :** इस बात की दृष्टि से कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य १४० लाख टन था और उत्पादन केवल ९० लाख टन तक बढ़ा है या उस से कुछ कम है, सरकार यदि तीसरी योजना के स्तर पर नहीं जो अब चल रही है, कम से कम दूसरी योजना के स्तर पर उत्पादन लाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रारम्भिक अवस्थाओं में, मा० सदस्य ने जो कहा है सही है, कि १५० लाख निश्चित किया गया था । किन्तु १९५८ में, सभा को स्मरण होगा, योजना पर पुनर्विचार किया गया था और ऐसा समझा गया था कि अधिक क्षमता की योजना बनाई गई है । वास्तव में यह घटाकर लगभग १०० लाख टन कर दी गई । हम ने संशोधित योजना के उन लक्ष्यों को पूरा कर लिया है । तीसरी योजना में हम १५० लाख टन का लक्ष्य बना रहे हैं । मंत्रालय ने वित्त आयोग से कहा है कि चालू वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसे कम से कम बढ़ा कर १८० लाख टन कर दिया जाये ।

†**श्री त्यागी :** यह बड़ा गंभीर विषय है । देश के समूचे रचनात्मक कार्यों पर इस का प्रभाव पड़ रहा है । मैं हैरान हूं कि मा० मंत्री कैसे अपने उत्तर को ठीक करेंगे । (घ) के उत्तर में उन्हों ने 'न' कहा है और (क) तथा (ख) के उत्तर में कहा है :

> "डिब्बों का कम संभरण होने तथा परिवहन की कठिनाइयों के कारण सीमेंट फैक्टरियों तक कोयला और कच्चा माल ले जाने एवं सीमेंट के ढोने के बारे में कठिनाइयां अनुभव होती हैं" ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समस्या के बारे में इस सभा में महीनों से चर्चा हो रही है । यह दुख की बात है कि सरकार इस को हल नहीं कर सकी है । इस का देश की समूची प्रगति पर प्रभाव पड़ता है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मा० सदस्य वह पढ़ रहे हैं जो मैं ने बताया है । वास्तव में, न उठाये जाने का यह अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में इस की मांग न होने के कारण यह उठाया नहीं गया । मा० सदस्य ने पूछा था कि ऐसी घटनाओं का सरकार को पता है कि किसी राज्य विशेष ने संबद्ध फैक्टरी से अपना अभ्यंश न उठाया हो । हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है । प्रत्येक राज्य अपना आवंटित अभ्यंश उठाता है और कभी कभी डिब्बों के न मिलने के कारण हम समूचे माल को उठाने में असमर्थ रहे हैं, जिस कारण उद्योग के उत्पादन में कमी हो जाती है । (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि फैक्टरियां ९७ प्रतिशत क्षमता तक चलती हैं । मेरी नवीनतम सूचना यह थी कि कुछ मामलों में कोयला आदि की कमी के कारण ५० प्रतिशत तक क्षमता का भी उपयोग नहीं किया गया । क्या उन की यह सूचना नवीनतम है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि मादनीय सदस्य ऐसे उदाहरण दे सकें, तो हम खुशी से उन की जांच करेंगे । दोनों पहलू भिन्न भिन्न हैं । मा० सदस्य ने पूछा है कि क्या स्थापित क्षमता का पूर्ण रूपेण उपभोग उठाया जा रहा है । जहां तक इस के प्रौद्योगिक लाभ उत्पादन का संबंध है, इस का पूर्ण उपयोग उठाया जा रहा है । जहां कोयला या कच्चा माल किसी सप्ताह नहीं मिलता, क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होता । हम उस हालत में कुछ नहीं कर सकते । यह विवरण में बताया जा चुका है कि :

> "वैगनों के संभरण की कमी तथा परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण सीमेंट फैक्टरियों को कोयला और कच्चा माल भेजने तथा सीमेंट ढोने के बारे में कठिनाइयां अनुभव होती हैं ।"

†**श्री त्यागी** : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि क्षमता बेकार पड़ी है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि चंबल और भाखड़ा नांगल की पूरी मांग पूरी की गई है । किन्तु मेरा सुझाव यह है कि क्या हम छोटे लोगों की मांग पूरी नहीं कर सकते और अपने कुएं बना रहे हैं । सीमेंट न मिलने के कारण हजारों कुएं अधूरे पड़े हैं । क्या हम ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जिस के द्वारा इस छोटी सिंचाई परियोजनाओं और कुओं की पूरी मांग पूरी की जा सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जिस सीमा तक संभव होता है हम मांग को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जैसा मैं ने पहले उत्तर में बताया है कृषि संबंधी अभ्यंश जो कुंओं और दूसरी मरम्मतों के लिये हैं, उस को उच्च प्राथमिकता दी जाती है । माल की उपलब्धि की मात्रा तक, प्रत्येक क्षेत्र को कहीं कहीं हानि होती है । हम ऐसा तरीका निकालने में असमर्थ हैं जिस के द्वारा इन सब जगहों में हजारों कुंओं की पूरी आवश्यकता के लिये पूरा आवंटन कर सकें । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री त्यागी** : इस प्रकार की कमी के लिये कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है ? (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री ब्रजराज सिंह** : इस का संतोषजनक उत्तर दिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस पर आश्चर्य होता है । मा० मंत्री ने कई बार अपना उत्तर दिया है कि कुछ माल उठाया नहीं गया, कि गाड़ियों की कमी के कारण कोयला और माल भेजा नहीं जा सका । गाड़ियों का आवंटन वाणिज्य मंत्री के पास नहीं है, रेलवे मंत्रालय के हाथ में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : सरकार हमें बताये कि कौन जिम्मेवार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं रेलवे मंत्री से इन प्रश्नों के पूछे जाने की अनुमति दे सकता हूं । जब उनकी बारी आयेगी । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री त्यागी** : इन बातों की परवा करना इस सभा का काम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । हम ने विभिन्न मंत्रालयों सम्बन्धी विषयों को बारी बारी से प्रत्येक सप्ताह में तीन वर्गों में बांटा है । वे हमारे सामने आ रहे हैं । (**अन्तर्बाधायें**) ऐसे मामलों के सम्बन्ध में यह उत्तम होगा यदि रेलवे मंत्री ऐसे अवसरों पर मौजूद हों । जब कोई मा० सदस्य यह समझता है कि दोनों मंत्री यहां होने चाहियें तो वह कृपया मुझे सूचित कर दिया करें और मैं बारी के बिना भी मा० मंत्रियों को सूचित कर दिया करूंगा कि वह विशिष्ट प्रश्नों के लिये सभा में उपस्थित रहा करें ।

†**श्री वें० प० नायर** : ऐसे मामलों में संबद्ध मंत्री दूसरे मंत्री को सूचित कर दिया करें ।

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या ये चीजें अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के सहयोग से नहीं की जातीं ? जब योजनायें मंजूर की जाती हैं तो क्या यह उन मंत्रालयों का कर्तव्य नहीं होता, तो योजनाओं की मंजूरी देते हैं कि वे अन्य मंत्रालयों से परामर्श कर लिया करें क्योंकि वें आवश्यक सूचना, डिब्बे आदि दे सकते हैं, यदि नहीं तो वे मंत्रालय क्यों सहयोग नहीं करते ? (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री त्यागी** : सभा को ये सब चीजें बताई जानी चाहियें । पिछले कुछ महीनों से हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम लगभग एक वर्ष से चिल्ला रहे हैं कि कुछ किया जाना चाहिये । कुछ भी नहीं किया गया है । हम इस खराबी का स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: आप कृपया सरकार को यह अनुदेश दे दें कि वह सभा मे गाड़ियों की स्थिति तथा परिवहन संबंधी कठिनाइयों के बारे में पूरा विवरण पढ़ कर सुनाये या पटल पर रख दे ? कोयला और कच्चा माल उठाया नहीं जा रहा है और अन्य वस्तुओं का भी लाना ले जाना नहीं होता । इन चीजों के न मिलने से समूची योजना प्रगति नहीं कर रही ।

†**श्री वें० प० नायर** : निसंदेह, नियमों के कारण हम प्रश्न दो मंत्रालयों को नहीं भेज सकते, जब हम उन्हें भेजते हैं । जब हम यहां आते हैं उस के बाद ही हमें उत्तर के विवरण, से पता चलता है कि अन्य मंत्रालयों का भी उस उत्तर से संबंध होता है । क्या यह उचित नहीं है कि उन मंत्रालयों को पहले से बताया जाना चाहिये कि यह प्रश्न अमुक तारीख को आ रहा है और उनको भी तैयार रहना चाहिये ? इस तरीके से सारी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जब तक इन विविध परियोजनाओं का संबंध है, कई बार इन के बारे में इस सभा में चर्चा की जा चुकी है । चीजों का लाना ले जाना हो सके इस कार्य के लिये सभी मंत्रालयों के बीच निकट का समन्वय रहना है । विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में कई कठिनाइयां होती हैं जिन्हें हल करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं । ऐसी बात नहीं कि इन बातों की उपेक्षा की जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले भी यह मामला उठा था । मैं ने सुझाव दिया था कि जब मुझे सूचना मिलेगी कि एक से अधिक मंत्रियों को मामले का स्पष्टीकरण करना हैं, तो मैं दोनों मा० मंत्रियों को उपस्थित होने की प्रार्थना करूंगा । इस मामले में मैं सुझाव दूगा कि दोनों मंत्रालय इकट्ठे बैठें और तब सभा पटल पर एक विवरण रखने का प्रयत्न करें कि वास्तविक स्थिति क्या है । वे अपना समय ले

---

†मूल अंग्रेजी में

सकते हैं,किन्तु उन को सभा को वास्तविक स्थिति का परिचय देना चाहिये। ऐसी बात नहीं कि समन्वय नहीं है, डिब्बों की कमी का यह कारण नहीं। परन्तु फिर भी, उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये मैं दोनों मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि वे मिल कर बैठें और सभा के सामने एक विवरण रखें। अगला प्रश्न ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति

†*१५ . **श्री मुरारका** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने दूसरी पंजवर्षीय योजना की प्रगति की समीक्षा प्रकाशित करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के कब तक प्रकाशित होने की आशा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति की समीक्षा जिस में १९६०-६१ का प्रगति प्रतिवेदन भी है, बनाई जा रही है और आशा है कि अगस्त, १९६२ तक यह प्रकाशित हो जायेगी ।

†**श्री मुरारका** : दूसरी पंचवर्षीय योजना लगभग १२ माह पहले समाप्त हो गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदन के प्रकाशन में इतना विलम्ब क्यों है ? इस को पहली अथवा तीसरी योजना से क्यों जोड़ा गया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : कई प्रकार के कामों के कारण कुछ विलम्ब होना अवश्यम्भावी है। माननीय सदस्य जानते हैं कि योजना की रूपरेखा के बारे में अपेक्षित जानकारी मिलने में कुछ समय लग ही जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय के प्राक्कलनों आदि की जानकारी लेने में कुछ समय लग जाता है। विलम्ब के यही कारण है ।

†**श्री मुरारका** : प्रत्येक सत्र में यह वायदा किया जाता है कि अगले सत्र अथवा चालू सत्र के अन्त में उस को सभा पटल पर रख दिया जायेगा। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। किस कारण से इतना विलम्ब हो रहा है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : दूसरी योजना के प्रगति प्रतिवेदन के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि तीसरी योजना की पुस्तिका में दूसरी योजना की प्रगति भी बताई गई है। कोई भी योजना जब तक नहीं बनाई जा सकती है जब तक गत वर्षों के कार्यों का निर्धारण न हो। इस प्रकार तीसरी योजना में कुछ प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है। भविष्य में जानकारी हासिल करने के लिये हम अपेक्षित फार्म में उस को हासिल करेंगे। पहले ही हम जानकारी दे सकते थे परन्तु वह पूरी नहीं हो सकती थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नागाओं की हिरासत में भारतीय वैमानिक

†*१३२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ए० जेड० फिजों ने जो अब लन्दन में हैं, नागा विद्रोहियों की हिरासत चार भारतीय वैमानिकों की रिहाई के लिये सरकार से बातचीत करने का प्रस्ताव किया है और

(ख) यदि हां, तो इस बारे मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). भारत सरकार को फिजों से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ऐसा मालूम होता है कि जून १९६१ में 'आबर्जवर' लंदन के एक संवाददाता श्री गोविनयंग ने ब्रिटिश रैड क्रास सोसायटी को लिखा था कि वैमानिक की रिहाई का प्रबन्ध करने में सहायता दे। अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास के द्वारा यह अनुरोध भारतीय रैड-क्रास को मिला जिन्हों ने हम से पूछा है कि क्या किया जाना चाहिये। उन को बताया गया था कि रैड-क्रास के प्रतिनिधि भी वैमानिकों की रिहाई के समय स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ उपस्थित रह सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि रैड-क्रास अधिकारियों ने इस मामले के बारे में फिजो से बातचीत की है। पहले उन्हों ने सुझाव दिया था कि वैमानिकों को नवम्बर अथवा दिसम्बर में छोड़ दिया जाना चाहिये। इस के बाद कहा जाता है कि फिजो ने अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास समिति को एक तार द्वारा यह तिथि मार्च मे रख दी थी। इस का अभी पता लगाया जाना है कि क्या वैमानिकों को उन के सुझाव पर रिहा किया गया है ?

तिब्बत में चीनियों द्वारा रोकी गई धनराशि

†*१३६. **श्री अगाड़ी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत में भारतीय व्यापारियों की बड़ी धनराशि को चीन सरकार ने रोक लिया है;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार तिब्बत में अनुमानतः कुल कितना धन रोक लिया गया है; और

(ग) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी हां। यह सच है कि भारतीय व्यापारियों को ऋण की वापसी से मिलने वाले धन की बड़ी रकम चीन सरकार के असहयोग तथा बाधक रवैये के कारण तिब्बत में रोक ली गई थी।

(ख) अनुमानतः २० लाख रुपये की रकम है।

(ग) भारत सरकार ने इन ऋणों की वसूली के बारे में चीनी सरकार को कई बार लिखा है परन्तु अब तक कोई उत्तर नहीं मिला।

भारत में भतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का विधि-सम्मत हस्तांतरण[१]

†*१३७. **श्री विभूति मिश्र:**
श्री तंगामणि :

क्या **प्रधान मंत्री** २० नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के विधिसम्मत हस्तान्तरण के सबंध मे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में फ्रांस सरकार का क्या रुख है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). फ्रान्स सरकार ने फ्रांसीसी संसद् में अनुसमर्थन विधेयक लागू कर दिया है। आशा है कि फ्रांस नेशनल असेम्बली के अगले अधिवेशन में इस पर विचार होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] *De Jure* transfer of Former French possessions in India.

उड़ीसा में सीमेंट की कमी

†*१३८. **श्री बै० चं० मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि उड़ीसा में सीमेंट की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा में सीमेंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

(ख) सीमेंट की कमी के अतिरिक्त, सीमेंट के कारखानों में ले जाने के लिये रेलवे वैगनों की कमी तथा रेलवे द्वारा संचालन प्रतिबन्ध लगाने के कारण उड़ीसा में संभरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ग) राज्य सरकार ने सड़क के द्वारा सीमेंट ले जाने की व्यवस्था की है। चालू चतुर्मास (जनवरी-मार्च १९६२) में १०,००० टन की अतिरिक्त मात्रा उन्हें दे दी गई है।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री, कलकत्ता

†*१४२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इंस्ट्रूमेंटस फैक्टरी के कर्मचारियों को कई सुविधाओं से जो उन्हें पहले यह समझ कर दी जाती थी कि वे बाह्य "सेवा" में काम करते हैं, वंचित किया जा रहा है;

(ख) क्या उन्हें स्थायी पदों के रिक्त स्थानों में स्थायी नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को जो क्वार्टर पाने के हकदार हैं क्वार्टर देना बन्द कर दिया गया है; और

(घ) क्या इस मामले का पुनर्विलोकन किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) और (घ). क्वार्टर पाने के हकदार कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के क्वार्टर नहीं दिये जा रहे हैं अपितु मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ।

बर्मा के नये शासन को मान्यता

†*१४३. **श्री तंगामणि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सरकार ने बर्मा की नई सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). जी हां। हम ने बर्मा के विदेश कार्यालय को सूचित कर दिया है कि हम नये शासन की तटस्थता की नीति का स्वागत करते हैं और मैत्री सम्बन्ध बनाये रखने की कामना करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय उद्योग के लिये सीमेंट

†*१४६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में चाय उद्योग को सीमेंट की सप्लाई मांग से कितनी कम रही;

(ख) क्या शिलांग में दिसम्बर, १९६१ के मध्य में हुई चाय बोर्ड की बैठक में यह मांग की गई थी कि सीमेंट के न केवल आवंटन में अपितु वास्तविक संभरण में भी वृद्धि की जाये; और

(ग) यदि हां, तो उद्योग की मांग को पूरा करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) चाय उद्योग की १९६१ की १,३६,०५४ टन की मांग पर हम ने ४०,६१२ टन सीमेंट उन्हें दिया था ।

(ख) शिलांग में १३ दिसम्बर, १९६१ में हुई चाय बोर्ड की कार्यपालिका समिति की बैठक में सीमेंट को चाय बागानों में शीघ्र पहुंचाने का प्रश्न उठाया गया था ।

(ग) देश में सीमेंट की बहुत कमी होने के कारण सरकार चाय उद्योग की आवश्यकता को यथासंभव पूरा करने का प्रयत्न कर रही है । चाय बोर्ड चाय बागानों में शीघ्र सीमेंट भेजने का प्रयत्न कर रहा है ।

कर्नल भट्टाचार्य

*१४९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नल भट्टाचार्य को पाकिस्तान के हाथों से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) पाकिस्तान सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रुख है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) सदन को याद होगा कि २९ नवम्बर, १९६१ को जो विशेष बहस हुई थी, उसके दौरान में इस मामले पर पूरी तरह से विचार-विमर्श किया गया था । उसके बाद, लेफ्टिनेंट कर्नल भट्टाचार्य के परिवार ने श्री घटक नामक जिस भारतीय वकील को नियुक्त किया था, वे एक अपील का मसौदा तैयार कर रहे हैं । लेफ्टिनेंट-कर्नल भट्टाचार्य उस अपील को दायर करेंगे ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने इस मसले के बारे में अपने रवैये का कोई भी संकेत नहीं दिया है ।

कोयला उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†*१५१. **श्री तंगामणि :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग में कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस के सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) से (ग). एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का प्रस्ताव है । व्योरों पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनीतिक मामलों सम्बन्धी विज्ञापन

†*१५२. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, विभिन्न राजदूतावासों द्वारा राजनीतिक मामलों के सम्बन्ध में शुल्क दे कर विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने के बारे में समाचार पत्रों के मालिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). भारतीय तथा पूर्वी समाचार पत्र समाज के प्रधान को राजनीतिक मामलों के लिए विदेशी अभिकरणों द्वारा समाचारपत्रों में विज्ञापन स्थानों का प्रयोग करने के बारे में सरकार को बताया गया है कि समाज ने निर्णय किया है कि वह इस पत्र को अपने सभी सदस्यों को भेज देंगे ।

औषधियों का उत्पादन

†*१५३. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में देश में औषधियों की उत्पादन-क्षमता को दुगना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) यह अनुमान है कि देश में निर्मित औषधियों के विक्रय मूल्य वर्तमान प्राक्कलनों क मूल्यों जो लगभग ८५ करोड़ रुपये (१९६१) है, से तीसरी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के पूरा होने पर बढ़ कर १९६६ तक १७५ करोड़ रुपये हो जायेंगे ।

(ख) उत्पादन में इस वृद्धि के लिए १०० करोड़ रुपये की पूंजी के विनियोजन का अनुमान है ।

(ग) देश में अत्यावश्यक औषधियों के निर्माण तथा सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग द्वारा लागू की गई योजनाओं और इन मदों के लिए तीसरी योजना में निर्धारित लक्ष्यों का संबद्ध विवरण (अनुबंध) में दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

नागा विद्रोहियों की कार्यवाही

†*१५४. **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री आसर :
श्री बलराज मधोक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर आकर्षित

---

†मूल अंग्रेजी में

हुआ है कि हाल में विद्रोही नागाओं की कार्यवाही बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: यह कहना ठीक नहीं है कि नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियां बढ़ गई हैं। हमारी सुरक्षा सेनाओं के दबाव के फलस्वरूप नागा विद्रोही छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गये हैं और उनको एक स्थान पर जम कर नहीं रहने दिया जाता है।

राष्ट्रमण्डल के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन

†*१५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डल के किसी देश का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि योरोपीय साझा मण्डी के बारे में राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन हो; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) भारत सरकार को ऐस कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रोजगार

†*१५६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६१ में कितने बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा रोजगार मिला; और

(ख) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलने के मामले में क्या प्रवृत्ति रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ४,०४,०७७ ।

(ख) शिक्षित व्यक्तियों के आंकड़े तीन तीन महीनों के बाद इकट्ठे किये जाते हैं। १९६१ की तिमाही की संख्या नीचे दी जाती है :

मार्च के अन्त में	३२,५६६
जून के अन्त में	३६,०७३
सितम्बर के अन्त में	४३,७५६
दिसम्बर के अन्त में	३९,८१३
जोड़	१,५२,२०८

मद्रास के हथकरघे के कपड़े पर छट

†*१५७. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों को हथकरघे के कपड़े पर छट का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) वह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा; और

(घ) मद्रास राज्य को केन्द्र से अभी कितना धन लेना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्यात संवर्द्धन

†१९७. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यातकर्त्ताओं से शिकायतें मिली हैं कि विदेशों के वाणिज्यिक कार्यालय शीघ्र तथा ठीक जानकारी नहीं देते हैं जिससे निर्यात की वृद्धि में सहायता मिल सके;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशों में वाणिज्यिक कार्यालयों ने निर्यातकर्त्ताओं को जो पते दिये हैं वह बहुत पुराने हैं और निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत कम लाभप्रद हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) दो अथवा तीन शिकायतें मिली हैं ।

(ख) जी नहीं । विदेशों के वाणिज्यिक कार्यालय विदेशी आयातकर्त्ताओं की सूची यथा-संभव ठीक तथा पूरी रखने का प्रयत्न करते हैं ।

(ग) व्यापार पूछताछ के बारे में हमारे विदेश में वाणिज्यिक कार्यालयों को स्थाई आदेश हैं । शिकायतें मिलने पर दूतावास उचित कार्यवाही करते हैं ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों का निर्यात

†१९८. **श्री बलराज मधोक**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के बिना रुकावट के निर्यात किए जाने वाले बहुत से उत्पादों का कम कीमत अथवा लागत से कम कीमत पर निर्यात करने से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन निर्यातकर्त्ताओं को वस्तुओं के निर्यात के लिए कुछ प्रतिशत आयात के लाइसेंस देने का है जिससे विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण निर्यात बढ़ाने की हानि का कुछ मुआवजा मिल सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) कई निर्यात संवर्द्धन योजनायें लागू हैं जिनके अधीन निर्माणकर्त्ताओं को अपने उत्पादों का निर्यात करके कच्चा माल आयात करने के लाइसेंस दिए गए हैं इसमें निर्यात व्यय कम होने में सहायता मिलती है ।

निर्यात संवर्द्धन

†१९९. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विभिन्न कार्यालय निर्यातकर्त्ताओं को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं करते हैं अपितु साइक्लोस्टाइल्ड

†मूल अंग्रेजी में

तथा बहाने वाले उत्तर दे देते हैं जिसके कारण निर्यात में नुक्सान होता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नेपाल में कपड़ा मिल

†२००. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने नेपाल में एक आधुनिक कपड़ा मिल स्थापित करने के लिए एक विख्यात भारतीय उद्योगपति को आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह उद्योगपति कौन है ;

(ग) क्या इस मामले में भारत सरकार का परामर्श लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स ने नेपाल में सूती कपड़ा मिल बनाने के लिए नेपाल सरकार से करार किया है ।

(ग) और (घ). मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

रेल-सड़क समन्वय

†२०१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य तथा उद्योग वाणिज्य मंडल संघ ने यह सुझाव दिया है कि भारत में रेल तथा सड़क परिवहन का समन्वित विकास करने के लिए एक संविहित संस्था बनाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). सरकार को वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ से ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है । परन्तु समाचारपत्रों के समाचारों से मालूम हुआ कि संघ ने परिवहन नीति तथा समन्वय समिति को ज्ञापन भेजा है जिसमें सुझाव दिया गया है कि समन्वय बोर्ड के समान केन्द्रीय संगठन बनाया जाये जो या तो योजना आयोग के अधीन हो अथवा केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त मंत्रालय के अधीन हो । परिवहन नीति तथा समन्वय समिति ने अभी अपना अध्ययन पूरा नहीं किया है और उसके अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अफ्रीकी बन्दरगाहों के लिए भेजा गया माल

†२०२. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से अफ्रीकी बंदरगाहों को जहाज द्वारा भेजे गये माल को पुर्तगाली सरकार ने ज़ब्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कायवाही की गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सरकार को ऐसे किसी मामले का अब तक पता नहीं लगा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डालमिया-जैन फर्मों की जांच

†२०३. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालमिया-जैन फर्म की जांच के बारे में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर १९६१ तथा ३ फरवरी १९६२ के बीच आयोग ने ८ नये गवाहों की जांच की है जिनके वक्तव्य ४०० पृष्ठों में हैं । आयोग ने केवल एक गवाह का क्रास एग्जामिनेशन के अतिरिक्त सभी गवाहियां पूरी कर ली हैं । २६-२-१९६२ से ६-३-१९६२ के अन्तिम अधिवेशन में आयोग ने बहस सुनना शुरू कर दिया था । अन्तिम गवाह का क्रास एग्जामिनेशन तथा मामले से संबंधित अन्य वक्तव्यों और लिखित वक्तव्यों पर और आगे बहस, आशा है कि अप्रैल, १९६२ के पहले सप्ताह में समाप्त हो जायेगी ।

(ग) आशा है कि आयोग लगभग ६ से ७ सप्ताह में अनुसूचित समवायों के कार्यों की जांच के मामलों पर प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे देगा । इसके साथ-साथ आयोग अपने निर्देश पद के अन्य मामलों पर भी विचार करेगा जो विधान तथा प्रशासन के संबंध में हों तथा जिनको वह जनता के हित में समवायों की निधियों के भविष्य में उचित प्रशासन के लिए आवश्यक समझे । आशा है कि आयोग सितम्बर १९६२ के अन्त तक इन मामलों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दे देगा ।

विद्रोही नागा

†२०४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः महीनों में विद्रोही नागाओं ने कितने व्यक्तियों को मार डाला तथा कितनों को घायल किया ;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस अवधि में अलग अलग, कितने विद्रोही नागा गिरफ्तार किये गये, घायल हुए तथा मार डाले गये?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) १ सितम्बर, १९६१ से २८ फरवरी, १९६२ की अवधि में विद्रोही नागाओं द्वारा हताहत व्यक्ति—

हत	३९
आहत	४७

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गैर-सरकारी सम्पत्ति को हानि : दिसम्बर, १९६१, जनवरी, १९६२ तथा फरवरी १९६२ के महीनों में अनुमानत : २०,३६३ रुपयों की गैर-सरकारी सम्पति की हानी हुई। सितम्बर, अक्तूबर, तथा नवम्बर, १९६१ महीनों के आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ग) दूसरी अवधि में हताहत विद्रोही नागा की संख्या

हत	५६
आहत .	११
गिरफ्तार	७७५

विएना में एक भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि की मृत्यु

†२०५. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विएना में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव की मृत्यु के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां । विएना में अजम मित्र की मृत्यु के तुरन्त बाद हमारे राजदूत श्री आर्थर एस० लाल ने जांच की ।

(ख) इस जांच से श्री मित्र की मृत्यु का वास्तविक कारण निश्चित रूप से मालूम न हो सका। हम विएना पुलिस की जांच पड़ताल के अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

रेडियो गोआ

†२०६. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी ने 'रेडियो गोआ' और उसकी 'फ्रीक्वेंसीज़' का नियंत्रण कब अपने हाथ में लिया ; और

(ख) उसके पुनः स्थापन पर कितनी रक़म खर्च की गई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**:(क) २० दिसम्बर, १९६१ को पुर्तगाली बस्तियों का प्रशासन भारत सरकार के हाथ में आने के साथ ही 'रेडियो गोआ' भी हाथ में आ गया था । इस केन्द्र के लिये मूलतः निर्धारित रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को इस केन्द्र से प्रयोग किए जाने के लिए आकाशवाणी को दिया गया समझा जा सकता है ।

(ख) केन्द्र से प्रसारण आरम्भ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मरम्मत और क्षति को पूरा करने पर अब तक लगभग १०,००० रु० व्यय किये गये हैं ।

कोयला धोने के संयंत्रों के निर्माता

†२०७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार कोयला धोने के संयंत्रों के भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट की एक प्रति संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]**

स्नेहन तेल[1]

†२०८. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, १९६१ से मार्च, १९६२ की अवधि के लिये स्नेहन तेलों के आयात के लिये लाइसेंस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो स्नेहन तेलों की कुल कितनी मात्रा के लिये लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) इन लाइसेंसों के दिये जाने का क्या आधार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). अक्तूबर, १९६१—मार्च १९६२ के लाइसेन्स-काल में स्नेहन तैलों के आयात की अनुमति दी गई है। मूल्य को मात्रा निर्धारक मान कर लाइसेन्स दिये गये हैं। इस लाइसेन्स-काल (२३-१२-१९६१ तक) में स्नेहन पदार्थों के लिये कुल १०७ लाख रु० के मूल्य के लाइसेन्स दिये गये हैं। आयात व्यापार नियन्त्रण अनुसूची के भाग ५ में क्रम संख्या ८, १७ और २० के अन्तर्गत इन स्नेहन-तैलों का उल्लेख है। स्नेहन-तलों के आयात के लिये लाइसेन्स उस नीति के आधार पर दिये जाते है जिसका उल्लेख आयात व्यापार नियन्त्रण नीति पुस्तक (लाल-पुस्तक) के परिशिष्ट १८ में है। संसद्-पुस्तकालय में इसकी एक प्रति उपलब्ध है। इस नीति का उल्लेख भारत के गजट में प्रकाशित हुए दिनांक १३ जनवरी, १९६२ के पी० एन० संख्या ७ आई० टी० सी० (पी० एन०)/६२ में भी है।

गुमिया खानों में विस्फोट

†२०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६२ के प्रथम सप्ताह में हजारी बाग जिले के खनन क्षेत्र में गुमिया में इण्डियन एक्स्प्लोजिव्स लिमिटेड में, बारूद कूटते समय, हुए विस्फोट में छः व्यक्ति मारे गये और ५ जलने से घायल हो गये; और

(ख) यह दुर्घटना किन परिस्थितियों मे हुई और यदि इसकी कोई जांच की गयी है, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लंका में भारतीय राष्ट्रजन

†२१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और लंका की सरकार के बीच लंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्तियों के प्रश्न के बारे में सरकारी स्तर पर कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†भूल अंग्रेजी में

[1]Lubricants

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) इस बारे में हाल में भारत और लंका की सरकारों के बीच कोई कान्फ्रेंस नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार किया गया नक्शा

†२११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के नक्शे में काश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में दिखाई गई गलत रेखा को ठीक करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) . इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने अभी कोई कार्यवाही नहीं की है ।

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश

†२१२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१ में पाकिस्तान से अथवा पाकिस्तान अधीन क्षेत्रों से कितने व्यक्तियों ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में अवैध रूप से प्रवेश किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : १९६१ में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर क्षेत्र से एक सौ उनसठ व्यक्ति जम्मू तथा काश्मीर मे अवैध रूप से आये ।

भारतीय उद्योग मेला

†२१३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग मेले (अन्तर्राष्ट्रीय) को सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई आयात तथा निर्यात करार किये गये हैं; तो उनका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) तथा (ख) . भारतीय उपक्रमियों को मेला से नये उद्योगों के लिये पूंजीगत सामान के सम्भरण का साधन निश्चित करने और अन्य देशों में टैक्निकल तथा टैक्नालाजी के क्षेत्र में प्राप्त किये स्तरों को देखने में सहायता मिली है । इससे उन्हें विदेशी व्यापारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने में भी सहायता मिली है । आयात या निर्यात के कोई औपचारिक करार नहीं हुए ।

'मेसर्ज टीकैलमिट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड'

†२१४. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स टीकैलमिट की एक ब्रिटिश लुब्रिकेशन इंजीनियरिंग सार्थ ने भारत में एक 'रुपी सब्सीडियरी कम्पनी' स्थापित करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) . कलकत्ता के मेसर्स टीकेलमिट (इंडिया) लिमिटेड ने मोटरगाड़ियों के गराज का सामान बनाने के लिए और औद्योगिक कार्यों के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना की थी। यह कम्पनी ब्रिटेन में अपनी कम्पनी की सहायक है। वे पहले से ही अधिकतर समूहन तथा सम्भरण कार्य कर रहे थे। उन्होंने कम्पनी का वर्तमान स्टर्लिग ढांचा बदल कर रुपया कम्पनी बनाने और देश में वस्तुओं का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। उन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत दिनांक १ नवम्बर, १९६१ का लाईसेन्स संख्या एल०/८ बी(११)/२/६१--ई० आई० (एम०) दे दिया गया है। रुपया कम्पनी बनाने, अंश पूंजी में विदेशी तथा भारतीय पूंजी की मात्रा के बारे में फर्म का निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उद्योगों में विदेशी विनियोजन

†२१५. **श्री प्र० गं० देव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री ६ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में, वर्ष १९६१ में और फरवरी, १९६२ तक सरकार ने विदेशी पूंजी के विदेशी सहयोग के कितने मामलों पर निर्णय किया है ; और

(ख) क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें विदेशी सहयोगियों के नाम, भारतीय पक्षों के नाम और उनके निर्माण कार्यक्रम का ब्यौरा दिया गया हो ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) वर्ष १९६०, १९६१ और १९६२ के प्रथम दो मास में स्वीकृत हुए विदेशी टैक्निकल तथा वित्तीय सहयोग के मामलों की कुल संख्या क्रमानुसार ३८०, ४०२ और ९२ थी।

(ख) वर्ष १९६० और १९६१ में स्वीकृत हुए सहयोग के सारे करारों के विवरण उद्योग तथा व्यापार पत्रिका में प्रकाशित हो चुके हैं :—

जनवरी-सितम्बर, १९६० में स्वीकृत सहयोग संबंधी करार . . .	जनवरी, १९६१ के अंक में।
अक्तूबर-दिसम्बर, १९६० में स्वीकृत सहयोग संबंधी करार . .	मार्च १९६१ के अंक में।
जनवरी-मार्च, १९६१ में स्वीकृत सहयोग संबंधी करार	जून, १९६१ के अंक में।
अप्रैल-जून, १९६१ में स्वीकृत सहयोग संबंधी करार	सितम्बर, १९६१ के अंक में।
जुलाई-सितम्बर, १९६१ में स्वीकृत सहयोग संबंधी करार . . .	दिसम्बर, १९६१ के अंक में।
अक्टूबर-दिसम्बर, १९६१ में स्वीकृत सहयोग संबंधी करार . . .	फरवरी, १९६२ के अंक में।

नेफा में चीनियों का अवैध प्रवेश

†२१६० **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सेना के कुछ व्यक्तियों ने लोपा आदिम जाति की मेम्बा, खम्बा, पेलिबो और तागिन आदि जातियों का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करने के लिये नेफा के कुछ भागों में अवैध प्रवेश किया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९६१ के अन्त में वार्षिक भूटानी मेले से कामरूप पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये संदेहात्मक चीनी एजेन्टों से प्राप्त कागजात का क्या ब्योरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) चीन के गश्ती सैनिकों ने कुछ अवसरों पर नेफ़ा में अन्तःप्रवेश किया था जिन की सूचना सभा को दी जा चुकी है। चीन के जनवादी गणतंत्र के राजदूत को भेजा गया दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६१ के हमारे भेंट से, जो पटल पर पहिले ही रखा जा चुका है, तथ्यों का पता लग सकता है। फिर भी, हमें इस की कोई जानकारी नहीं है कि इन अतिक्रमणकारियों ने इन क्षेत्रों में सीमान्त आदिम जातियों की सहानुभूति तथा सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की थी।

हां, चीनियों ने तिब्बत जाने वाले आदिम जाति के व्यक्तियों को उपहार व अन्य लालच देकर अपने साथ मिलाने का प्रयास किया था।

(ख) एक चीनी व्यक्ति जिस ने तिब्बतवासियों के साथ १९५९ में शरण मांगी थी, हाल में आसाम में दारंग में पकड़ा गया। अभी जांच पड़ताल हो रही है और इस समय और अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती।

कोयला खानों के लिये जांच न्यायालय

†२१७ **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** २० नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में कार्यों की, जो ठेके पर मजदूर रख कर किये जा सकते हैं, जांच करने के लिये जो जांच न्यायालय बनाया गया था क्या उस ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या क्या हैं ; और

(ग) निर्णय करने के लिये न्यायालय ने क्या प्रक्रिया अपनाई थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां।

(ख) मुख्य सिफारिश यह है कि कोयला निकालने और उसे बाहर भेजने एवं कोक बनाने तथा उसे बाहर भेजने से सीधा संबंध रखने वाले कामों में ठेके पर मजदूरों का रखा जाना यथाशीघ्र समाप्त कर दिया जाना चाहिये। सात निश्चित वर्गों के अतिरिक्त अन्य सभी में यह कार्य ३० सितम्बर, १९६२ से पहिले अवश्य पूरा हो जाना चाहिये।

(ग) न्यायालय ने संबंधित व्यक्तियों के मत सुने। न्यायालय ने पक्षों के बीच हुए द्विपक्षीय करार को अपनी रिपोर्ट का आधार माना।

चुनाव सभाओं में सरकारी कर्मचारियों का भाग लेना

†२१८. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों ने २२ फरवरी, १९६२ को, जब कि प्रधान मंत्री कि दवई नगर में एक चुनाव सभा में भाषण देने गये थे, एक ज्ञापन पेश किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि ज्ञापन में अन्य बातों के अतिरिक्त गृह-कार्य मंत्रालय के उस परिपत्र का स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसमें कर्मचारियों को चुनाव सभा में भाग न लेने की सलाह दी गई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उल्लिखित ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरु)** : (क) २२ फरवरी, १९६२ की बजाये २० फरवरी, १९६२ को प्रधान मंत्री को हस्ताक्षर हित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। उसी दिन उन्हें नई दिल्ली के किदवई नगर में एक चुनाव सभा में भाषण देना था। प्रतीत होता था कि ज्ञापन कुछ सरकारी कर्मचारियों ने भेजा था।

(ख) हां।

(ग) प्रधान मंत्री ने किदवई नगर में अपने भाषण में उल्लिखित ज्ञापन का ज़िक्र किया था और कहा कि यद्यपि सरकारी कर्मचारियों को चुनाव सभाओं में भाग लेने का अधिकार है, उन्हें राजनीति में नहीं फंसना चाहिये। ज्ञापन में लिखी गई अन्य बातों के लिये उन्होंने भेजने वालों को संबंधित मंत्रालयों से वार्ता करने के लिये कहा। जब कभी संबंधित मंत्रालयों के पास जाया जायेगा, वे आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

दिल्ली के सरोजनी नगर में अनधिकृत बाजार

†२२०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरोजनी नगर के केन्द्रीय भाग में अनधिकृत बाज़ारों, "खन्ना मार्किट" और "बाबू मार्किट" को बनने दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उन लोगों के प्रति सरकार की क्या नीति है जो पिछले लगभग एक मास से वहां बैठे हुए हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). लगभग ३ मास पहिले कुछ ठेले वाले सरोजनी मार्किट के पास एक जमीन पर बैठ गये थे और तब से सब्ज़ी फल, आदि बेचते हैं। यह बात सरोजनी मार्किट के दुकानदारों की हड़ताल में उठी जिन्होंने दुकानों को मिलकियत उन्हें दिये जाने की मांग उठाई। उस बस्ती के रहने वालों पर, जो अधिकतर सरकारी नौकर हैं, हड़ताल का बुरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। यह प्रश्न कि जमीन पर बैठने वालों को हटाया जाये या उस क्षेत्र में ही अधिक दुकान सुविधा दी जाये, सरकार के विचाराधीन है।

नई दिल्ली की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बस्तियों में नालियां

†२२१. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानगर और नेताजी नगर की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बस्तियों में गन्दे पानी के निकलने के लिये कोई नाली नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी की ऐसी बस्तियों की हालत में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) नहीं। गन्दे पानी के निकलने के लिये काफी नाली व्यवस्था है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व स्वादी शासकों की मान्यता

†२२२. **श्री अगाड़ी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ की भूतपूर्व सरकार ने बन्दोरा-गोआ में रहने वाले सवाई श्री सदाशिव राजेन्द्र को भूतपूर्व स्वादी शासकों का वंशज माना था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार द्वारा इस मान्यता को जारी रखने का कोई विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भूतपूर्व पुर्तगाली सरकार ने सवाई श्री सदाशिव राजेन्द्र को भूतपूर्व स्वादी शासकों का वंशज माना था और उन्हें पेंशन दी गई थी । इन सज्जन को मान्यता देने या पेंशन देने का अभी कोई विचार नहीं है ।

संसत्सदस्यों के फ्लेटों में नौकरों के क्वार्टर

†२२३. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ तथा साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में संसत्सदस्यों के फ्लैटों से सम्बद्ध नौकर-क्वार्टरों में पंखे लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस मूल्य पर पंखे लगाये जायेंगे ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस पर विचार न करने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) दिल्ली में सरकारी फ्लैटों और बंगलों के नौकर-क्वार्टरों में पंखे नहीं हैं । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में भी अधिक व्यय के कारण पंखे नहीं लगाये गये हैं । चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों या अन्य सरकारी बंगलों तथा फ्लैटों के नौकर-क्वार्टरों में न दी गई सुविधायें संसत्सदस्यों के आवास के नौकर-क्वार्टरों में नहीं दी जा सकतीं ।

दिल्ली में शिक्षण संस्थाओं को पुनः स्थापन अनुदान

†२२४. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में दिल्ली में विभिन्न शिक्षण-संस्थाओं को कुल कितना पुनःस्थापन अनुदान दिया गया ;

(ख) ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और वे कहां कहां हैं ; और

(ग) प्रत्येक को कितना अनुदान दिया गया और किस तारीख को स्वीकार किया गया ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) अव्यवस्थित तथा व्यवस्थित शिक्षण, चिकित्सा और सांस्कृतिक संस्थाओं को, जो विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकतायें पूरी करती हैं, वित्तीय सहायता देने की योजना १९४८–४९ से ही लागू है । ऐसी लगभग १२०० संस्थाओं को अब तक कुल ६.६४ करोड़ रु० दिये गये हैं जिसमें से लगभग १,१२० शिक्षण संस्थाओं को ४.४९ करोड़ रु० दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले दो महीनों (जनवरी तथा फरवरी, १९६२) में ६९ शिक्षण संस्थाओं को १५.८१ लाख रु० दिये गये हैं। इस में से १.५५ लाख रु० दिल्ली में ४ शिक्षण संस्थाओं को पिछले दो महीनों में दिये गये।

(ख) तथा (ग). जानकारी निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	शिक्षण संस्था का नाम तथा स्थान	स्वीकृत अनुदान राशि	स्वीकृति की तारीख
		रुपये	
१	एस० डी० कालिज के लिए श्री सनातन धर्म सभा	२५,०००	१२-१-१९६२
२	बंगाली हायर सैकंड्री स्कूल	१,००,०००	६-२-१९६२
३	नवशक्ति विद्या मन्दिर	१०,०००	१२-२-१९६२
४	आर्य वैदिक पाठशाला	२०,०००	१९-२-१९६२
	योग . . .	१,५५,००० रु०	

उड़ीसा में पंचायती उद्योग

†२२५. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में पंचायती उद्योग स्थापित करने की उड़ीसा सरकार की योजनाओं पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या योजना आयोग की सहमति से उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास का उपबन्ध तीसरी योजना में पुनः किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वे किस प्रकार पुनः रखे गये हैं;

(घ) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में 'छोटे पैमाने के उद्योग' शीर्षक के अन्तर्गत उपबन्धित राशि के अतिरिक्त उड़ीसा में पंचायती उद्योग योजना की कार्यान्विति के लिए कोई और राशि नहीं रखी जा सकती थी; और

(ङ) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार को मूल आवंटन के अतिरिक्त पंचायती उद्योग योजनाओं को लागू करने के लिए कितनी और राशि दी गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्।

(ग) छोटे पैमाने के उद्योगों के कार्यक्रम के सम्बन्धी उपबन्ध पुनः बनाये गये हैं जो निम्न दृष्टिकोण की प्राप्ति को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं :—

(१) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना;

(२) औद्योगिक सहकारी समितियों और कारीगर सहकारी समितियों का बड़ी संख्या में बनाया जाना; और

(३) पंचायत समितियों के आधार पर छोटे छोटे औद्योगिक एककों के एक मूल केन्द्र की स्थापना करना।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ). राज्य सरकार ने योजनाओं के आवश्यक व्योरों के साथ अतिरिक्त आवश्यकता नहीं बताई है। यह भी नहीं बताया है कि राज्य की योजना में किये जाने वाले समायोजन क्या क्या हैं।

लौह-अयस्क

†२२६. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तोमका-देतारी क्षेत्र में लोह-अयस्क के निकालने और सीधे देतारी से प्रादीप तक बनने वाले एक्सप्रेस राजपथ से उसे भेजने तथा उसे प्रादीप में बने बड़े बन्दरगाह में लादने की एकीकृत योजना योजना आयोग के समक्ष रखी है;

(ख) क्या योजना आयोग ने यह योजना पूर्णतया स्वीकार कर ली है और इसे लागू करने के लिए तीसरी योजना-काल में सारी आवश्यक राशि देने से सहमत हो गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार से कहा गया था कि वह भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों साथ योजना के व्योरे को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(घ) क्या सम्बन्धित मंत्रालयों ने इस योजना को तीसरी योजना में तुरन्त शामिल करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). योजना आयोग ने २० लाख टन लोह-अयस्क प्रति वर्ष निकालने के लिए राज्य में लोह-अयस्क की खानों का विकास सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ये शर्तें हैं (क) राज्य सरकार योजना के लिए धन व्यवस्था अपनी अधिकतम सीमा के अन्दर ही करेगी, (ख) रेलवे इस क्षेत्र से उस अतिरेक को यथास्थिति कलकत्ता या विशाखापटनम हो कर ले जा सके जो प्रादीप बन्दरगाह द्वारा भेजे गये माल के बाद बचे, और (ग) खनन परियोजना की कार्यान्विति के लिए अपेक्षित १.३७६ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो। जहां तक योजना के अन्य भागों का सम्बन्ध है, वे अभी विचाराधीन हैं।

उड़ीसा में तार (केबल) का निर्माण

†२२७. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विभिन्न प्रकार के तारों (केबल) के निर्माण के लिए उड़ीसा राज्य से लाइसेन्स के लिए कोई प्रार्थनापत्र आया है;

(ख) क्या यह पूर्णतया सरकारी उपक्रम होगा या अंशपूंजी में गैर-सरकारी पूंजी भी होगी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी गैर-सरकारी पूंजी होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). यह सरकारी उपक्रम होगा। योजना में विदेशी सहयोग होगा जो समता के आधार पर होगा। सहयोग का व्योरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बलपुर (उड़ीसा) में सीमेंट कारखाना

†२२९. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार सम्बलपुर जिले में एक सीमेंट कारखाना बना रही है;

(ख) क्या उन्हें अपेक्षित लाइसेन्स दे दिया गया है;

(ग) लाइसेन्स किस के नाम में है; और

(घ) इस प्रस्तावित सीमेंट कारखाने को धन देने वाले कौन हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार से उड़ीसा के जिला सम्बलपुर में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति के लिए एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है। सम्बन्धित सभी विभागों के परामर्श से आजकल प्रार्थनापत्र पर विचार हो रहा है।

उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लि० सीमेंट कारखाना स्थापित करेगा। यह उड़ीसा सरकार द्वारा बनाई जाने वाली एक कम्पनी होगी जो उस राज्य में औद्योगिक विकास करने तथा उस में सहायता देने के लिए बनाई जायेगी। इस निगम का पूंजी ढांचा तथा अन्य ब्यौरा अभी निश्चित नहीं हुआ है।

ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां

†२३०. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में उड़ीसा में कितनी औद्योगिक बस्तियों के बनने की स्वीकृति दी गई;

(ख) क्या इस उपबन्ध का उपयोग पंचायत समितियों के मुख्यालय में छोटी ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां बनाने में किया जा रहा है;

(ग) क्या उड़ीसा के लिए तीसरी पंच वर्षीय योजना में पहिले से उपबन्धित ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की संख्या बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी बढ़ गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आरम्भ में तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में उड़ीसा में ५,५ लाख रु० अर्थात् कुल ४० लाख रु० की ८ ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां बनाने की व्यवस्था की गई थी। अब राज्य सरकार ने २,२ लाख रु० की ४८ ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां बनाने के लिए ९६ लाख रु० निर्धारित कर दिये हैं। विशेषकर ये सम्पदा में पंचायत समितियों के क्षेत्र के मुख्यालयों में होंगी जहां ग्रामीण उद्योगों का मुख्य केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कताई कारखानें

†२३१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य को १९९,००० तकुओं का आवंटन हुआ है;

(ख) क्या आवंटन को पांच नये कताई एककों में बांट दिया गया है;

(ग) उड़ीसा के इन पांच नये एककों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या इन आवंटनों में से उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के कताई कारखाने के लिए तकुओं की कोई संख्या सुरक्षित रखी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में यह कताई कारखाना कहां स्थापित होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

(घ) उड़ीसा सरकार ने सरकारी क्षेत्र को कताई कारखाने खोलने के लिए २९,४०० तकुए रख लिये हैं ।

(ङ) उड़ीसा सरकार ने कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

उड़ीसा में कारखानों की स्थापना

†२३२. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में निम्न कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेन्स दे दिये हैं :

(१) रामगदा में फैरो-सिलिकान कारखाना,

(२) बोर्ड तथा चिप बोर्ड के निर्माण के लिए एक कारख़ाना;

(३) एक उच्च तनाव का इन्सुलेटर कारखाना ;

(४) मूल अस्मसह ईंटों के निर्माण के लिए ;

(५) घास तथा खोई से लिखने व छपाई के लिए कागज़ बनाना ; और

(६) मशीनी औजारों का निर्माण।

(ख) ये लाईसेन्स किस वर्ष दिये गये थे ; और

(ग) लाईसेन्स किन किन को दिये गये और प्रत्येक कारखाना कहां स्थापित होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट अनुबन्ध संख्या ५५]** ।

कताई कारखाना

†२३३. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दो बन्द पड़े कताई मिल चालू वर्ष में चालू कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन बन्द पड़े दोनों मिलों के क्या नाम हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन दोनों मिलों में कुल कितने तकुए हैं ;

(घ) क्या इन दोनों मिलों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). उड़ीसा काटन मिल्स, कटक और कलिंग टेक्स्टाइल मिल्स, राजगनपुर कुछ समय से बंद पड़े थे । इन दोनों मिलों को पुनः चालू करने के लिए पिछले दिनों में प्रयास किया जा रहा था । फिर भी, सरकार को निश्चित जानकारी नहीं है कि वे दोनों मिल पुनः चालू कर दिये गये हैं या नहीं ।

(ग) (१) ४,५०० तकुए, और (२) १०,००० तकुए ।

(घ) सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण

२३४. श्री भक्त दर्शन : क्या **योजना** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से योजना आयोग में जो विशेष विभाग खोला गया था, उसने अपने कार्य में और क्या प्रगति की है और उसका कार्य कब तक सम्पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ के संकल्प के अनुसार योजना आयोग में प्राकृतिक साधनों के बारे में एक समिति गठित की गई है । इसकी एक प्रति सभा-पटल पर प्रस्तुत है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]** समिति की एक बैठक हो चुकी है जिसमें भूमि, जल और शक्ति साधनों के सम्बन्ध में कुछ अध्ययनों का अनुमोदन किया गया है । भूमि के बारे में कुछ अध्ययन शुरू कर दिए गए हैं ।

२. योजना आयोग में गठित अनुभाग का कार्य देश के प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों का समन्वय करना, जानकारी की कमियों को बताना और इन कमियों को पूरा करने के लिए अध्ययन के क्षेत्रों को निर्दिष्ट करना है । भूगर्भीय सर्वेक्षण, खान ब्यूरो, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आदि जैसे सम्बन्धित सरकारी संगठनों द्वारा ये अध्ययन और सर्वेक्षण किये जायेंगे । यह कार्य लगातार चलने वाला होगा ।

आय वितरण समिति

†**२३५. श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय वितरण के बारे में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई महालनोवीस समिति के कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) समिति अपनी रिपोर्ट कब देगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). अध्ययन हो रहा है । रिपोर्ट के विषयों और आधार का, जिस पर रिपोर्ट लिखी जाये, निश्चय करने के लिए अप्रैल में एक मीटिंग बुलाई जा रही है । अभी यह नहीं बताया जा सकता कि समिति किस तारीख को रिपोर्ट पेश करेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

आयात में कटौती

†२३६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपने पौंड पावना की राशि केवल १३५ करोड़ रु० होने की बात ध्यान में रखकर आयात में कटौती करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के आयात में कटौती की जायेगी ; और

(ग) कटौती का पौंड पावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). आयात नीति प्रति अर्ध-वर्ष के लिए बनाई तथा घोषित की जाती है। यह नीति प्रति वर्ष १ अप्रैल और १ अक्टूबर से आरम्भ होती है और नीति बनाते समय जिन बातों पर ध्यान दिया जाता है उनमें विदेशी मुद्रा सुरक्षित रखने की बात एक महत्वपूर्ण बात है। १ अप्रैल, १९६२ से आरम्भ होने वाली आगामी काल की आयात नीति विचाराधीन है और उसकी घोषणा १ अप्रैल, १९६२ तक कर दी जायेगी। भावी आयात नीति के बारे में पहिले से कुछ भी नही बताया जा सकता।

दिल्ली में अलीगंज के क्वार्टरों में जाफरियां

†२३७. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगंज में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, जिन्होंने अपने सामने के बरामदों में लकड़ी की जाफरियां लगा ली हैं, जाफरियां निकालने के नोटिस दे दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य बस्तियों में अन्य श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों ने भी ऐसी जाफरियां लगा रखी हैं और वे निश्चय ही नगरपालिका की किन्हीं उप-विधियों का उल्लंघन करती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अलीगंज में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के इन कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने के क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)** : (क) से (ग). नियमानुसार, सरकारी आवास में रहने वालों को इमारत के इंचार्ज केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीज़नल अधिकारी की पूर्व अनुमति बिना कुछ बढ़ाने या अदल बदल करने की अनुमति नहीं है। डिवीज़नल अधिकारी अनुमति देने से पहिले सुनिश्चित करता है कि प्रस्तावित बढ़ाने--अदल बदल करने से नगरपालिका की किसी उप-विधि का उल्लंघन नहीं होता, इमारत या वस्तुकला को नुक्सान नहीं पहुंचता, आदि। अलीगंज में कुछ क्वार्टर वालों ने पूर्वानुमति लिए बिना ही जाफरियां लगा ली थीं। अतः उनसे जाफरी हटाने को कहा गया। फिर भी, बाद में उनसे कहा गया है कि वे डिवीज़नल अधिकारी की अनुमति ले लें। डिवीज़नल अधिकारी को कहा गया है कि वह प्रत्येक मामले पर सहृदयतापूर्ण विचार करे। अन्य बस्तियों में ऐसे रहने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है जिन्होने नियमों के विरुद्ध जाफरियां लगा ली हैं या कुछ ढांचा बदल लिया है। अलीगंज के वासियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम कारखाना

†२३८. **श्री आसर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम का एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने कारखाने का स्थान निश्चित कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). रत्नगिरि जिले (महाराष्ट्र) में विपलुन के पास पोफली में एक एल्यूमिनियम स्मेल्टर स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक फर्म को लाईसेन्स दिया गया है ।

जगतदाल की पटसन औद्योगिक क्षेत्र श्रमिकों के लिये मकान

†२३९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २४ परगना के जगतदाल के पटसन औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने कितने मकान बहुत समय से खाली पड़े हैं ;

(ख) क्या इन मकानों के किराये उनकी बस्ती के कमरों के लिए सामान्य रूप से पटसन मज़दूरों द्वारा दिये जाने वाले किराये से अधिक है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार किराया दर कम करने से है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी) :** (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि जगतदाल (जिला २४ परगना) में पटसन औद्योगिक क्षेत्र में संडिया और श्यामनगर में उन्होंने १,१३६ मकान आर्थिक-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाये थे जिनमें से ९२८ मकान भी खाली पड़े थे क्योंकि सुपात्र औद्योगिक मजदूरों की मकानों की मांग थोड़ी थी । इनमें से, ७२ मकान सुपात्र मजदूरों को दे दिये गये हैं जिनमें अभी वे आये नहीं हैं ।

(ख) और (ग). मजदूरों की किराया देने की क्षमता को ध्यान में रखकर योजना में निर्धारित किये गये आर्थिक सहायता प्राप्त किराये से कम किराया करने के प्रश्न पर विचार करना पश्चिम बंगाल सरकार का काम है ।

पंजाब की पहाड़ियों में सड़कें

†२४०. **श्री हेम राज :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब की पहाड़ियों में सड़कें बनाने के लिए तीसरी पंच वर्षीय योजना-काल में विशेष धन राशि देने की केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने कितना धन मांगा है केन्द्रीय सरकार ने उसे कितना धन दिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया०नं० मिश्र) :** (क) और (ख). पंजाब राज्य की तीसरी योजना में सड़कों के लिए १२ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी । इसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क योजनाओं के लिए ३.४ करोड़ रु० भी सम्मिलित हैं । अब पंजाब सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए

†मूल अंग्रेजी में

व्यवस्था में ३.५ करोड़ रु० बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसमें से १.५ करोड़ रु० तो राज्य की योजना में समायोजना करके जुटाये जायेंगे और शेष २ करोड़ रु० के लिए केन्द्रीय सरकार से विशेष ऋण मांगा गया है। राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी योजना आयोग के विचाराधीन है।

स्थगन-प्रस्ताव

उत्तर कच्छार पहाड़ियों की कथित दुर्घटना तथा पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय का कथित अपहरण

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बनर्जी, श्री आसार, श्री ब्रजराज सिंह और श्री बलराज मधोक, सभी ने १५ मार्च को उत्तर कछार की पहाड़ियों में नागा विद्रोहियों द्वारा कथित गोली चलाये जाने और एक व्यक्ति के मर जाने तथा लगभग १९० घरों के जलाये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। उनका कहना है कि इस बात का आधार 'स्टेटसमैन' के २३ मार्च १९६२ के अंक में छपे एक वक्तव्य पर है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : २०,२१ मार्च को अर्थात् दो दिन पूर्व यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मारंग चूरी जो कि शानसांग से १३ मील दूर है एक आकस्मिक आग में जल गया। लगभग छ: स्थानों की झौपड़ियां जल गयीं। मेरे विचार में झौंपड़ियां जलाये जाने का संभावित कारण आदिम जातियों की परस्पर ईर्षा दिखाई देती है। मामले की जांच की जा रही है। निकटवर्ती स्थानों में प्लाटून चौकियां खोली गयी है। सरकार इसके सम्बन्ध में और जांच करायेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय प्रधान मंत्री २०, २१ मार्च की बात कर रहे हैं और मैं १५ मार्च की बात कर रहा हूं जैसा कि 'स्टेट्समैन' में छपे वक्तव्य में कहा गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत सरकार को २० मार्च को २४ परगना के जिलाधीश से यह सूचना मिली थी १५ मार्च को लगभग ९ बजे प्रातःकाल कुछ पाकिस्तानी ग्रामवासियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के एक सदस्य परितोष कुमार दास को करामरी सीमान्त के निकट भारतीय क्षेत्र में पीटा गया तथा उसे उड़ा ले जाया गया। जिलाधीश ने बताया है कि वह प्रत्येक प्रकार से सचेत रहे और अन्यथा स्थिति बिल्कुल शान्तिपूर्ण है।

बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस दुर्घटना के सम्बन्ध में पूर्व पाकिस्तान से जोरदार विरोध किया है। दुर्घटना के सविस्तार ब्यौरे की पश्चिमी बंगाल सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है। परन्तु जो सूचना भारत सरकार को अब मिली है उस से मालूम होता है कि परितोष कुमार दास उस समय भारतीय राज्य क्षेत्र के अन्दर ही थे जब कि उन पर कुछ पाकिस्तान के ग्रामीणों ने हमला किया और उन्हें बलपूर्वक पाकिस्तान राज्य में उड़ा ले गये।

†**श्री हेम बरूआ** : मेरा निवेदन है कि इस घटना का कारण आदि जाति ईर्षा नहीं वरन् नागा विद्रोहियों का कार्य है। मुझे इस पर बहुत ही आश्चर्य है कि सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो भी सूचना उपलब्ध थी वह सभा के समक्ष रख दी गयी है। अब और इस मामले में कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

दी जा सकती। यदि प्रधान मंत्री जी को इस दिशा में कुछ और सूचना मिले तो वह कृपया सभा पटल पर रखने की कृपा करें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कच्चे पटसन का मूल्य

†**अध्यक्ष महोदय** : विवरण सभा पटल पर रखा जाये।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : मैं विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]**।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा दी गयी कार्यवाही के विवरण

†**संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंहा)**: मैं दूसरी लोक सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं, पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में निम्न लिखित विवरणों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ पन्द्रहवां सत्र, १९६१
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ चौदहवां सत्र, १९६१
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ११ तेरहवां सत्र, १९६१
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १२ बारहवां सत्र, १९६०
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १५ ग्यारहवां सत्र, १९६०
(छै) अनुपूरक विवरण संख्या २० दसवां सत्र, १९६०
(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २० नवां सत्र, १९५९
(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या २७ सातवां सत्र, १९५९

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८ से ६५]।

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट और पेपर मिल्ज लिमिटेड नेपानगर और राष्ट्रीय ओजार लिमिटेड—जादवपुर कलकत्ता के वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखितों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : —

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षा की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये राष्ट्रीय न्यूजप्रिंट और पेपर मिल्स लिमिटेड,

---

†मुज अंग्रेजी में

नेपा नगर को वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये राष्ट्रीय औजार लिमिटेड, जादवपुर, कलकत्ता के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या ३५७७/६२, ३५८४/६२, ३५७८/६२]।

अशोक होटल लिमिटेड, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षक लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षक लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) (क) समवाय अधिनियम, २९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या ३५७९/६२, ३५८०/६२, ३५८१/६२]।

चाय (प्रथम संशोधन) नियम, १९६२

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं चाय अधिनियम १९५३ की धारा ४९ की उप धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०७ में प्रकाशित चाय (पहला संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या ३५८२/६२] ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना प्रस्तुत करता हूं :

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी १९ मार्च, १९६२ की बैठक में हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९६२ को पास कर दिया है ?

(दो) कि राज्य सभा अपनी २० मार्च, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १४ मार्च, १९६२ को पास किये गये गोआ, दमन और द्वीव (प्रशासन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के स मत हो गयी है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने अपनी २० मार्च, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १४ मार्च, १९६२ को पास किये गये संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ को भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६८ के उपबन्धों के अनुसार बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन बिधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

†**सचिव** : मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक १९६२, को राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन

†**श्री स० च० सामन्त** (तामलुक) : मैं इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय राष्ट्रीय खनिज विकास नि म (लिमिटेड) प्रतिवेदन और (लेखे) के बारे में प्राक्कलन समि ति की एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

बिलट्ज के सम्वाददाता श्री ए० राघवन द्वारा क्षमा याचना

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि २१ अगस्त १९६१ को मैंने सभा को बताया था कि मैंने ब्लिट्ज़ के सम्वाददाता, श्री ए० राघवन् को जारी किया गया लोक सभा का प्रैस गैलरी कार्ड और सेंट्रल हाल का पास रद्द कर दिया था । यह निर्णय हमने 'ब्लिट्ज़' के मामले के सम्बन्ध में लोकसभा द्वारा नियुक्त की गयी विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन की स्वीकृति सम्बन्धी १९ अगस्त १९६१ के निर्णय के अनुसरण के रूप में किया गया था ।

अब मुझे श्री राघवन् से एक क्षमा याचना पत्र प्राप्त हुआ है । सभा की अनुमति से यह क्षमा याचना स्वीकार की जाती है और उनको प्रेस गैलरी कार्ड तथा केन्द्रीय हाल के पास पुनः जारी कर दिये जायेंगे ।

---

† मूल अंग्रेजी में

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सदन को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने उनके नामों के आगे दी गयी तिथि से लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है :

१. डा० दे० ना० पथरीकर कामले, १७ मार्च, १९६२ से

२. श्री राजा राम मिश्र, २० मार्च, १९६२ से

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा जारी रहेगी, श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू और काश्मीर) : यह आरोप बिल्कुल गलत है कि जम्मू और काश्मीर में चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं हुए ।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

मैं यह सन्देह दूर कर देना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर में हुए चुनाव उचित एवं निष्पक्ष ढंग से संचालित किय गये हैं और इस शानदार कार्य के लिए निर्वाचन आयोग बधाई का पात्र है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू को काश्मीर से मिलाने वाली पुरानी मुगल सड़क का पुनर्निर्माण जम्मू तथा काश्मीर घाटी को शेष भारत के साथ मिलाने के लिये एक विकल्पिक कड़ी सिद्ध होगा । यह तो आपको पता ही है कि जम्मू और काश्मीर राज्य आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । उस राज्य के सहायतार्थ अनुदानों में कोई भी कमी, जैसे कि तीसरे वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गयी है, वहां किये जा रहे विकास कार्य के लिये अत्यन्त घातक होगी । मेरा अनुरोध है कि राज्य को केन्द्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता में किसी प्रकार भी कमी नहीं की जानी चाहिए ।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि मेरे मन में वित्त मन्त्री महोदय द्वारा जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है वह देश को आर्थिक तौर पर आगे ले जाना वाला है और हम सब को उसका समर्थन करना ही चाहिए ।

श्री आसर (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष जी, जो बजट पेश किया गया है वह घाटे का बजट है और इस पर से यह स्पष्ट है कि नई लोक सभा के सेशन में जो नया बजट आएगा उसमें नए टैक्स लगाए जायेंगे । आज टैक्सों का बोझा गहुत बढ़ा हुआ है और नए लगाए जाने वाले टैक्सों से जनता की स्थिति बिगड़ जाएगी इसमें कोई शंका नहीं । मैंने गत बजट सेशन के समय भी बोलते हुए कहा था कि हमारे टैक्स स्ट्रक्चर को बदलना आवश्यक है । अब इनडाइरैक्ट टैक्स इतना बढ़ गया है कि उसकी परिसीमा हो गयी है और सामान्य जनता अब और अधिक इनडाइरैक्ट टैक्सेशन का बोझा सहन नहीं कर सकेगी । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि टैक्स के बारे में पूरी तरह विचार किया जाए और अगर कोई नया टैक्स लगाना हो तो डाइरैक्ट टैक्स पर बल देना चाहिए ।

हम देखते हैं कि हमारे यहां टैक्स रिक्वरी का काम बहुत ढीला हो रहा है । अगर हम इस काम को जल्द पूरा करने का प्रयत्न करें तो हमको और नया टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी । टैक्स रिकवरी का काम जल्द होना आवश्यक है । इस तरफ हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है । एक तो इनकम टैक्स आफिसर्स की बहुत कमी है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि टैक्स असेसमेंट

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आसर]

और रिक्वरी पूरी तरह नहीं होती और इस कारण टैक्स का बहुत नुकसान होता है । इनकम टैक्स आफिसर्स की नियुक्त करने के लिये इनकम टैक्स आफिसर प्रोमोशन कमेटी है और इस कमेटी की मीटिंग में इस बारे में निर्णय लिए गए । लेकिन वे निर्णय पुराने प्रोसीज्योर से विरुद्ध होने के कारण अभी तक इन आफिसर्स की नियुक्ति नहीं हो पायी । परिणाम यह है कि असेसमेंट और रिक्वरी का काम सफर हो रहा है और अफसरों में भी असन्तोष है । तो मेरी वित्त मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि वे हमारी पद्धति पर विचार करें और इनकम टैक्स की रिक्वरी पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है । इस प्रश्न पर विचार करके जहां इनकम टैक्स अफसरों की कमी हो उसको पूरा किया जाए । जब ऐसे अफसरों को नियुक्त कर दिया जाएगा तो पता चलेगा कि कितनी ज्यादा रिक्वरी होती है । मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से करोड़ों रुपए की अधिक रिकवरी होने लगेगी ।

एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है । आज हमारे देश में फिजूलखर्ची बहुत हो रही है और बड़े बड़े कल्चुरल प्रोग्राम्स पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है । सिविल एक्सपेंडीचर भी बहुत बढ़ा हुआ है, इसमें कटौती होना आवश्यक है । अगर हम इकानामिक प्वाइंट आफ व्यू रख कर चलेंगे तो हम को नए टैक्स लगाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी ।

बताया गया कि आम चुनाव समाप्त हो गए और उनमें कांग्रेस जीत गयी । इस बारे में कहा जाता है कि इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के तत्वज्ञान की जीत हुई है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कई प्रदेशों में तो कांग्रेस का बल बहुत कम हो गया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की नीति के बारे में सर्वत्र असन्तोष है । अपना कारोबार चलाते समय हमको इस असन्तोष को ध्यान में रखना चाहिए ।

देश का शासन ठीक चले यह ठीक है । मन्त्री जी ने अभी बतलाया कि देश का शासन ठीक चलना चाहिए । करप्शन न हो यह भी ठीक है । देश का शासन ठीक प्रकार से चले इसके लिये यह मूलभूत आवश्यकता है कि लोअर लेविल पर शासन अच्छा होना चाहिए । देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसका मूल कारण यह है कि हमने लोअर लेविल पर शासन को नहीं सुधारा है । जब तक हम लोअर लेविल पर शासन को नहीं सुधारेंगे तब तक ऊपर का शासन भी नहीं सुधरेगा । इसलिए जब हम लोअर लेविल पर शासन को ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम उठायेंगे तभी हमारा ऊपर का शासन अच्छा चल सकेगा । तो मेरा निवेदन है कि इस ओर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए ।

बताया गया है कि नेशनल इनकम बढ़ी है । गत वर्ष भी प्रधान मन्त्री जी ने बताया था कि नेशनल इनकम बढ़ी है । लेकिन वह नेशनल इनकम कहां गयी इसका पता नहीं । इस साल भी नेशनल इनकम बढ़ने के बारे में घोषणा की गयी है लेकिन यही प्रश्न आज भी है कि वह नेशनल इनकम कहां चली गयी । गत साल प्रधान मन्त्री जी ने नेशनल इनकम के बारे में एक नाइन मैन कमेटी नियुक्त की थी, लेकिन एक वर्ष हो गया पर पता नहीं कि इस नाइन मैन कमेटी ने क्या प्रगति की है । यह पता नहीं कि इसने कुछ विचार किया है या नहीं, और विचार किया है तो क्या विचार किया है और यह अपनी रिपोर्ट कब तक देगी । तो मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इस बारे में कुछ पता लगाएं ।

मैंने ऊपर बताया कि फिजूलखर्ची बहुत बढ़ गयी है । इसके साथ ही दुर्भाग्य यह है कि नान-डेवलपमेंट कामों पर, जिन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन जिस काम पर रुपया खर्च करने की खास आवश्यकता है उस पर रुपया खर्च नहीं किया जाता । इस बारे में यह बताना आवश्यक है कि आज हमारे देश में न्यूजप्रिंट और अन्य कागज की बहुत कमी है । और इसका अनुभव हम रोज कर रहे हैं । लोक सभा में रोज इस पर प्रश्न होते हैं कि

नेपा मिल की स्थिति क्या है और हम कागज की कमी को जानते हैं लेकिन हमने पेपर के ऊपर रिसर्च करने के लिए सेंट्रल पेपर टैकनालाजीकल इंस्टीट्यूट की स्थापना पर ध्यान नहीं दिया। यह आवश्यक है। कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस संस्था की स्थापना की अत्यन्त आवश्यकता है। इस पर ध्यान दिया जाए।

वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में बताया कि उन्होंने बढ़ते हुए दामों को रोकने का प्रयत्न किया है और उनको रोका है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि दाम इतने बढ़ चुके हैं कि उसके आगे दाम बढ़ना मुश्किल है। इसलिये वह वहीं रुक गए हैं। लेकिन इससे काम नहीं होगा। जब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना को यशस्वी करना चाहते हैं, और उसको यशस्वी करना आवश्यक है, तो यह प्रमुख प्रयत्न करना आवश्यक है कि जो आज बढ़ती हुई महंगाई है उसको कम किया जाए और इस ओर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए।

पिछड़े हुए इलाकों के डेवेलपमेंट के लिये हमारी घोषणा रही। इन पांच वर्षों में यह अनुभव हुआ कि पिछड़े हुए इलाकों को नए और छोटे उद्योग देना आवश्यक है। डिसेंट्रलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज़ की हमारी घोषणा रही है। लेकिन इस दृष्टि से जो कदम उठाने आवश्यक थे वे उठाए नहीं गए। और परिणाम यह दिखायी देता है कि बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में दिन पर दिन बड़े उद्योग खोले जा रहे हैं जहां पर लोगों को रहने के लिये जगह नहीं है और पीने के लिये पानी तक नहीं है। यह सब होते हुए ऐसे क्षेत्रों में उद्योग बढ़ रहे हैं। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि पिछड़े हुए इलाकों में जैसे कि हमारा रत्नागिरि जिला है, नए उद्योग खोले जाएं। यहां पिछले पांच वर्ष में कोई उद्योग नहीं खोला गया है। कोई छोटे उद्योग भी यहां खोलने का प्रयत्न नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह है कि हमारा रत्नागिरि जिला आज भी पिछड़ा हुआ इलाका है क्योंकि वहां कोई उद्योग नहीं लगे हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि जब हम पिछड़े हुए इलाकों का डेवेलपमेंट करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि बड़े बड़े शहरों में नए उद्योग और न खोले जाएं और रूरल और बैकवर्ड एरिया में नए उद्योग खोलने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और बड़े बड़े शहरों में नए उद्योग खोलने के लिये जो लोगों को लाइसेंस दिये जाते हैं उनको बन्द किया जाए और उद्योग खोलने वालों को छोटे और पिछड़े हुए इलाकों में नए उद्योग खोलने के लिए कम्पैल किया जाए। मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार किया जाए।

दो वर्ष पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक इनएक्सेसिबिल एरियाज़ कमेटी की स्थापना की थी। उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। लेकिन उसके बाद से इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस में पिछड़े हुए इलाकों के डेवेलपमेंट के लिये कुछ सुझाव दिये हैं। लेकिन आज इस रिपोर्ट को आये दो वर्ष हो गये हैं, लेकिन हम को आज तक पता नहीं कि सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है, इस बारे में क्या कदम उठाये हैं, उस की कौन सी सिफारिशें मंजूर की गयी हैं। विशेष तौर से रत्नागिरि जो महाराष्ट्र का इलाका है इसके डेवलपमेंट के लिये जो इनएक्सेसिबिल एरियाज़ कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। लेकिन पता नहीं कि इस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या राय है, वह इस इलाके की सहायता के लिये कुछ रुपया देना चाहती है या नहीं इस का पता नहीं। तो मेरा यह कहना है कि हम अनेक नई नई कमेटियां नियुक्त करते हैं। उनकी रिपोर्टें आती हैं, लेकिन उनकी सिफारिशों का जो इम्पलीमेंटेशन होना चाहिये वह नहीं होता। हमें विचार करना चाहिये कि अन्य कोई योजना हाथ में लेने से पहले रिपोर्ट के अनुसार जो जो योजनायें यशस्वी होनी आवश्यक हैं उनको यशस्वी करने की सहायता देने का प्रयत्न करें। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इनएक्सेसिबिल एरियाज़ कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उस पर विचार किया जाय और उस कमेटी

[श्री आसर]

की सिफारिशों के अनुसार सेंटर की ओर से जो कुछ अनुदान देना आवश्यक हो, उसके देने के बारे में विचार किया जाय ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी कि चर्चा हो चुकी है वह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज़ और स्टेट्स गवर्नमेंट्स एम्पलाईज़ की सैलरीज़ में जो डिस्पैरिटी है, उस को दूर करना चाहिये । उस विषय में यहां सदन में भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं लेकिन स्थिति यह है कि उस असमानता को दूर करने के हेतु अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनों में जो आपस में असमानता है वह अवांछनीय है और उसे दूर करन की आवश्यकता है । इस डिस्पैरिटी के कारण स्टेटस में काम करने वाले व्यक्तियों को बहुत परेशानी अनुभव होती है, उनमें व्यापक असन्तोष फैला हुआ है और जिसके कि कारण काम सफर करता है । मेरा निवेदन है कि इस बारे में भारत सरकार गम्भीरता-पूर्वक विचार करे और इस डिस्पैरिटी को दूर करे । यदि इसको दूर करने के लिये राज्य सरकारों को कुछ अनुदान देने की आवश्यकता हो तो वह भी उनको दिया जाय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाये जायें ताकि वहां के कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर हों, उनमें सन्तोष पैदा हो और वे दिल लगा कर अपने कर्त्तव्य का पालन करें ।

सेंट्रल गवर्नमेंट ऐम्पलाईज़ की डियरनेस अलाउंस की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है और इसके लिये उन के द्वारा हड़ताल भी की जा चुकी है । उनकी इस डियरनैस अलाउंस की मांग को सरकार द्वारा मंजूर न किये जाने के कारण उनमें भारी असन्तोष है और मेरा निवेदन है कि भारत सरकार उनकी मांग पर जल्दी से जल्दी विचार करके उसे मंजूर कर ले ।

हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये आज यह जो नौन डेवलपमेंट वर्क्स पर पैसा खर्च किया जा रहा है उसको खर्च न कर के हम दरअसल डेवलपमेंट के कामों पर पैसा खर्च करें । जाहिर है कि नौन डेवलपमेंट वर्क्स पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं उससे डेवलपमेंट होने वाला नहीं है और वह पैसा हमारा फिजूल खर्च होने वाला है । इसलिये हमें गैर जरूरी चीजों पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिये क्योंकि ऐसा करके ही हम डेवलपमेंट वर्क्स पर जरूरी धन लगा पायेंगे और अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बना सकेंगे ।

अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम देहातों में जा कर वहां के निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करें ।

†**श्री अ० च० गुह** (बरसाट) : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक जीवन में पर्याप्त सुधार हुआ है । हमारी राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है । इससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण चीज है वह प्रति व्यक्ति आय और उसमें भी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है । कीमतों के बढ़ने और विकास कार्यों के फल-स्वरूप देश की ७५ से ८० प्रतिशत कृषक जनसंख्या को भी बहुत लाभ हुआ है । यदि इस दिशा में किसी वर्ग को कठिनाई का सामना करना पड़ा है तो वह है मध्यम वर्ग के लोग । यह मध्यम वर्ग हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है । इस वर्ग का हमारे राजनीतिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है औरदेश में लोकमत का विनियमन भी यही वर्ग करता है । मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ग की उपेक्षा करना बहुत ही खतरनाक परिणाम ला सकता है । इस वर्ग को आराम पहुंचाने की सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में अब तक तीन बड़े आम चुनाव हो चुके हैं। मेरा यह मत है कि ये चुनाव उचित एवं निष्पक्ष ढंग से हुए हैं। परन्तु मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि चुनाव में विरोधी दलों का रवैया काफी अनुचित रहा है। उन्होंने सरकार के विरुद्ध जिस ढंग से प्रचार किया है वह लोकतंत्र के स्वस्थ विकास और प्रजातंत्रीय परम्पराओं के निर्माण राह पर बहुत ही घातक सिद्ध होगा। उन्होंने अनेक प्रकार की गैर जिम्मेदार तथा घृणास्पद आलोचनायें की और प्रादेशिक एवं प्रान्तीय भावनाओं को उभारा। इसके अतिरिक्त कराधान को लेकर भी कहीं एक तथ्यहीन और निराधार बातें ये दल कहते रहे हैं। एक दल के एक जिम्मेदार सदस्य ने अपनी पार्टी के समाचार पत्र में यह लिखा कि मूल्यों की वृद्धि के कारण प्रत्येक गांव को ६५,००० रुपये तक की हानि हो रही है। मुझे पढ़ कर आश्चर्य हुआ। मैं ने गांव वालों को भी यह बताया था कि मूल्यों में वृद्धि होने से उनको लाभ होगा।

उसी महानुभाव ने यह प्रचार किया कि १९४३ के अनुपात से आज की दरें तिगुनी हो गयी हैं अतः पटसन का भाव जोकि १९४३ में १९, २० रु० प्रतिमन था वह बढ़ कर ६० रु० प्रतिमन हो जाना चाहिये। समझ में नहीं आता कि जब पाकिस्तान में जूट का भाव २५ रु० मन है तो भारत में ६० रु० किस प्रकार हो सकता है ?

इसी प्रकार यह भी प्रचार किया गया कि नलकूपों से जमीन कुछ ही दिनों में बंजर हो जायेगी और उस में कुछ भी पैदा नहीं हो सकेगा।

यद्यपि प्रत्येक दल ने प्रगट में दाशमिक प्रणाली का समर्थन किया किन्तु चुनावों में यह प्रचार किया गया कि कांग्रेस ने ऐसा पैसा चलाया है जो तत्काल खो जाता है।

इस के अलावा चुनावों में प्रांतीयता की भावना को और भी भड़काया गया। यह कहा गया कि गन्ने के भाव इस कारण स्थिर किये गये कि वह उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है और कपास के भाव इस कारण स्थिर किये गये कि वह महाराष्ट्र में होता है तथापि पटसन के भाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

यद्यपि चुनावों के पहले राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ था और सभी ने इस आन्दोलन का स्वागत किया था तथापि बंगाल के चुनावों में आसाम के दंगों और बेरूबाड़ी को ले कर काफी विषैला प्रचार किया गया। मेरे विचार से विरोधी पक्षों को इतना अनुत्तरदायी रवैया नहीं अपनाना चाहिये। क्योंकि ऐसे कार्यों से लोकतंत्र पर आघात होगा।

सभा को तीसरे वित्त आयोग के प्रतिवेदन की चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये। उस की कुछ सिफारिशें पिछड़ेपन को प्रात्साहन देती हैं जो ठीकनहीं हैं। आयोग को विकसित राज्यों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये था। जिनकी कुछ अपनी कठिनाइयां हों।

शरणार्थी अभी भी विभाजित बंगाल पर भार बने हुए हैं। जिससे उस राज्य की अर्थ-व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है। विभाजन से वहां के सहकारिता आन्दोलन को बहुत नुकसान हुआ है। राज्य को अपनी विशिष्ट समस्याओं के हल के लिये वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भंग होने वाली संसद् में यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वित्त मंत्री महोदय अपनी नई कर नीति का कोई आभास दें, लेकिन बजट भाषण से यह स्पष्ट है कि वह नई संसद् के समक्ष जब अपना बजट पेश करेंगे तो नये करों का कोई ढांचा रखेंगे, अन्यथा जो ६३ करोड़ रु० का घाटा वे अपने बजट भाषण में पेश कर रहे हैं वह किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता। यह नई संसद् का काम है कि जो नये टैक्स हमारे वित्त मंत्री जी लगाना चाहते हैं हिन्दुस्तान की जनता पर, उनके बारे में वह अपनी राय प्रकट करे। मैं अपने को सीमित

[श्री ब्रजराज सिंह]

रखना चाहता हूं पिछले साल की आर्थिक समीक्षा के ऊपर, जोकि पिछला बजट पेश होने से लेकर अब तक देश की हालत रही है और उन तरीकों पर जिनसे उसे सुधारा जा सकता, यदि वित्त मंत्री महोदय की सरकार उस दिशा में अपने को झुकाती ।

अफसोस की बात है कि पिछले बजट से ले कर आज तक हिन्दुस्तान की हालत में प्रगति की ओर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । वैसे वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि विभिन्न अन्न की पैदावार बढ़ी है और उसी के साथ साथ उन की कीमतों में स्थिरता आई है । लेकिन स्थिरता के क्या माने हैं, यह हम को जरा सोचना पड़ेगा । ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री महोदय और उनकी सरकार तथा सारा पढ़ा लिखा वर्ग यही सोचता है कि स्थिरता के माने होते हैं कि जो खेती की पैदावार करने वाला किसान है उसे उसकी पैदावार का उचित मूल्य न मिले । और अगर स्थिरता के माने यही लिये जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि यह एक प्रतिक्रियावादी कदम है, और प्रतिक्रियावादी कदम की तरफ भारत की जनता का जितना अधिक ध्यान जाय उतना ही अच्छा होगा, हिन्दुस्तान के हित में और कम से कम उन ७० फी सदी किसानों के हित में जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं अक्सर यह कह दिया जाता है कि चूंकि अन्न की कीमतें अब नहीं बढ़ रही हैं, इसलिये हम उनकी कीमतों में स्थिरता ले आये हैं, और इस तरह से हिन्दुस्तान को इस से लाभ हो रहा है । लेकिन इस विचार में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है । क्या सरकार ने कोई ऐसे भी तरीके अपनाये हैं जिनसे कि जिस तरह कारखाने में पैदावार करने वाले लोगों के लिये यह निश्चय किया गया है कि जिस मूल्य पर कोई चोज कारखाने में बनती है उससे कम दाम पर बेचने पर उस को बाध्य नहीं किया जायेगा उसी तरह किसानों की पैदावार के लिये नियम बनाये जायें, इस तरह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाय, जिससे कि जिस कीमत पर किसान की पैदावार घर में पड़ती है उससे कम पर बेचने के लिये उसे बाध्य न किया जाय ? मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की नीति इसमें पूर्ण रूप से असफल रही है । सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं जिनसे वह बतला सके कि आखिर किसान की पैदावार का मूल्य उसके घर में क्या पड़ता है । और जब इस सम्बन्ध में बार बार इस सदन में मांग की गई कि सरकार की तरफ से एक कमेटी का निर्माण होना चाहिये जो इस बात की जांच पड़ताल करे कि कृषिजन्य पैदावार का मूल्य किसान के घर में क्या पड़ता है तब सरकार ने उसे बुरी तरह ठुकरा दिया । मुझे आशंका है कि सम्भवतः मंत्रिमंडल में इस बारे में मतभेद है । जब कृषि मंत्री महोदय कह दिया करते हैं कि वे इस तरह की कमेटी के गठन पर विचार कर रहे हैं तो या तो योजना आयोग या वित्त मंत्री महोदय खुद इस तरह की कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं हैं, और, जैसे कि समाचारपत्रों में छपा, और जिसका कोई प्रतिवाद वित्त मंत्री महोदय की तरफ से या योजना आयोग की तरफ से नहीं किया गया है, शायद वे सोचते हैं कि यदि इस तरह की कमेटी कोई बना दी गई और उस कमेटी में यदि रिपोर्ट दे दी कि कृषिजन्य पैदावार की कम से कम कीमत क्या होगी, किसान के घर में वह कितने मूल्य की पड़ेगी इस की इन्क्वायरी हो गई, तो भारत के किसानों की तरफ से लगातार सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव पड़ेगा जिसे वह रोक नहीं सकेगी और किसानों को उसे ज्यादा मूल्य देना पड़ेगा । मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि किसानों की तरफ से आशंका हो सकती है कि किसान अपनी मांग को पूरी कराने के लिये इस तरह की कमेटी की फाइंडिंग्स का, उसके निर्णयों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिये इस तरह की कमेटी का निर्माण न हो, यह अच्छी बात नहीं है ।

इसलिये जब मूल्य की स्थिरता की बात कही जाती है तो पहले तो मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे कि जिस तरह कारखाने द्वारा

पैदा की हुई वस्तुओं के लिये उन की तरफ से टैरिफ कमिशन बना हुआ है, जो इस बात को देखता है कि किसी चीज की पैदावार की कीमत के मुताबिक उस का क्या मूल्य होना चाहिये कारखाने में बनी चीज का मूल्य उसके बनने की कास्ट के मुताबिक तय किया जाता है, उसी तरह से यह नियम कृषिजन्य पदार्थों की पैदावार के ऊपर भी लागू किया जाना चाहिये पूरी तरह से । उसके लिये एक कमेटी बननी चाहिये जो यह देखे कि गेहूं, चना, बेझर, गन्ना और दूसरी चीजें जो हैं, जिनको किसान पैदा करता है, उन को किसी खास फसल पर किसान को क्या खर्च करना पड़ा, और उस के बाद किसान को अपनी जिन्दगी का खर्च पूरा करने के लिये कम से कम कितनी कीमत मिलनी चाहिये, उसके बाद उनका दाम वह निश्चित करे । कमेटी के उस निश्चय को लागू किया जाना चाहिये और उस से कम उस फसल की पैदावार की कीमत कृषिजन्य पदार्थों के सम्बन्ध में किसान को न मिले ।

अभी पिछले दिनों कृषि मंत्री महोदय ने एलान किया कि इस फसल का जो बीच के किस्म का गेहूं है उस को १३ रु० मन पर खरीदने के लिये सरकार तैयार रहेगी । अगर कोई १३ रु० मन से कम भाव देगा तो सरकार उसे नहीं देने देगी । इस वक्त व्यापारी को उसी बीच के गेहूं के लिये २० या २१ रु० मन मिलेगा, लेकिन जब वह गेहूं किसान के घर में आ जायेगा तो सरकार उसे १३ रु० मन खरीदने के लिये तैयार रहेगी । मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जब वह पिछली फसल की आर्थिक समीक्षा करने बैठती है तो उसके पास आधार क्या होता है कीमत तय करने का । उसके पास १३ रु० मन कीमत तय करने का आधार क्या है । किस तरह पता लगा कि किसान के लिये १३ रु० मन कीमत रेम्यूनरेटिव होगी ? उसने जितना खर्च किया है उतना उसे मिल जायेगा या नहीं, जब यह बात आती है तो मैं समझता हूं कि सरकार यह कहने में असमर्थ है कि उसके पास कोई आधार है । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि कृषिजन्य पैदावार का दाम तय करने के लिये सरकार की तरफ से कमेटी बिठलाई जानी चाहिये । कोई कमिशन या कमेटी बनाई जानी चाहिये जो यह देखे कि किसी खास फसल पर किसी खास पैदावार को पैदा करने में किसान ने कितना खर्च किया है, कम से कम किसान का कितना खर्च होता है और कितना उचित मूल्य किसान को मिले तब उसका खर्च चल सकता है । वरना यह माना जायेगा कि आप किसान के साथ पक्षपात करते हैं । आप कारखानों में चीजें पैदा करने वालों को विशेष रियायतें देना चाहते हैं । पिछले दिनों टैरिफ कमीशन ने रिपोर्ट दी कि सीमेंट को पैदा करने की कीमत बढ़ गयी है इसलिए इसकी कीमत को बढ़ा देना चाहिए और सरकार ने उसकी कीमत को बढ़ा दिया । जब यह नियम लागू किया जाता है कारखानों की पैदावार पर तो यह नियम किसान की पैदावार पर क्यों नहीं लागू किया जाता जो हिन्दुस्तान की योजनाओं को सफल बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं और जिनकी आबादी ७० प्रतिशत है, जो देश के उत्पादन का सब से बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं और जिनके सहयोग के बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती और न देश आगे बढ़ सकता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि किसान संतुष्ट रहे और उसे अपनी पैदा की हुई चीजों का उचित मूल्य मिल सके । यह उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए और यह जानने के लिए कि किसान का एक चीज पैदा करने में कम से कम कितना खर्चा पड़ता है, सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि यह तै करे कि अमुक चीज़ को पैदा करने में किसान को कितना खर्चा करना पड़ा और उसको अपने घर का खर्चा चला सकने के लिए कितनी कीमत मिलनी चाहिए । यह कमेटी साल ब साल इस प्रकार की रिपोर्ट दे जिसके आधार पर सरकार अपनी नीति घोषित करे । मैं समझता हूं कि सरकार भी इसी निश्चय पर पहुंचेगी कि किसान की दशा सुधारने के लिए इस प्रकार की कमेटी नियुक्त करना आवश्यक है ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि लोगों की दशा दिनों दिन सुधर रही है । मैं जानना चाहता हूं कि यह जानने के लिए उनके पास क्या नियम हैं । क्या उनके पास कोई आधार है जिससे वह यह जांच करते हैं कि दशा सुधर रही है । मैं कहना चाहूंगा कि खेती के अलावा अन्य धन्धा करने वालों के लिए यह नियम लागू है कि जब तक उनकी आमदनी ३०० रुपये मासिक न हो तब तक उनको सरकार को कोई सीधा कर नहीं देना पड़ता । अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों पर जैसे चाय पर या चीनी पर या कपड़े पर उनको अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है जो कि हर एक को देना पड़ता है जो कि इन चीजों का प्रयोग करता है । लेकिन किसान के अलावा और लोगों को चाहे वे नौकर हैं या व्यवसायी हैं या पार्लियामेंट के मेम्बर हैं या मंत्रिगण हैं, उस समय तक सरकार को कोई प्रत्यक्ष कर नहीं देना पड़ता जब तक कि उनकी आमदनी ३०० रुपये मासिक न हो । मैं पूछना चाहता हूं कि किसान पर यह नियम क्यों लागू नहीं किया जाता । वह भी तो खेती करता है । उसको भी जब अपनी खेती से ३०० रुपये मासिक आमदनी हो तो उस पर प्रत्यक्ष कर लिया जाये । लेकिन उससे आप इस से कम आमदनी होने पर भी मालगुजारी और लगान वसूल करते हैं । क्या यह उसके प्रति पक्षपात नहीं है । ऐसा करके आप देश की जनता के दो वर्गों में तफरका पैदा कर रहे हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम जो अलाभकर जोतें हैं उनका लगान माफ कर दिया जाये । सरकार की यह रिपोर्ट है कि जिन जोतों की सीमा साढ़े ६ एकड़ है उनसे किसान को कोई मुनाफा नहीं होता । जहां सिचाई की विशेष सुविधाएं नहीं और न जहां बहुत सूखा है ऐसी बीच की जमीन के साढ़े ६ एकड़ के जोतों से किसान को कोई लाभ नहीं होता । और रिपोर्ट से यह साफ है कि जिनकी जोत साढ़े ६ एकड़ या इस से कम है उन किसानों की संख्या १०० में ८६ है जब कि जो १२५ करोड़ रुपया सरकार किसानों से लगान वसूल करती है उसका ५० प्रतिशत इन ८६ प्रतिशत किसानों से वसूल किया जाता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जब नया बजट पेश किया जाये तो सरकार इस पर विचार करे कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे जो अलाभकर जोतें हैं उनका लगान माफ कर दिया जाये । यह लगान माफ करके उनमें यह विश्वास पैदा किया जाना चाहिए कि वे भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश में उनका भी कुछ हिस्सा है और इस देश की पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ उनको भी मिलना चाहिए और उनको भी दूसरों के बराबर आने का हक है। समाजवाद के कुछ मानी नहीं होते जब तक कि इस देश के कुछ वर्ग पिछड़े हैं और उनके पास अपने बच्चों को खिलाने को अन्न न हो, रहने को मकान अच्छे न हों, पहनने को कपड़ा न हो, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की क्षमता न हो और अपने बीवी बच्चों की चिकित्सा कराने के साधन न हों । मैं समझता हूं कि जब तक इस प्रकार का कदम नहीं उठाया जायेगा जिससे इन ८६ प्रतिशत किसानों का जीवन सुधर सके तब तक उनके लिए हिन्दुस्तान की पंचर्षीय योजनाओं का कोई मतलब नहीं होगा ।

तीसरी बात मैं बेकारी की समस्या के सिलसिले में कहना चाहता हूं । आर्थिक समीक्षा में बेकारी की भी कुछ चर्चा की गयी है । हम मानते हैं कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वे कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं और वह कोई पूर्ण आंकड़े नहीं हैं । वह ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर किसी खास नतीजे पर पहुंचा जा सके । जब सरकार स्वयं यह मानती है कि उसके आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति उनके आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक बात स्पष्ट सामने आती है और वह यह कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चालू की जा रही हैं, जो काम चालू किये जा रहे हैं, उनके द्वारा बेकारी की समस्या का हल नहीं हो

सकता । सरकार की योजनाओं में मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता है ताकि हम इस समस्या को हल कर सकें । और मेरे दिमाग में यह स्पष्ट है कि यह समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि हम छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर बल नहीं देंगे जिन में मशीन का बहुत अधिक प्रयोग न हो और प्रयोग हो तो छोटी मशीनों का प्रयोग हो, बिजली वगैरह का ज्यादा प्रयोग न हो, हो भी तो छोटे पैमाने पर हो । यदि ऐसा परिवर्तन योजनाओं में किया जाये तो कम से कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जा सकता है । अभी हिसाब लगाया गया है कि हिन्दुस्तान की जो योजनाएं हैं उन में १४ या १५ हजार रुपये की पूंजी लगाने पर एक आदमी को काम मिल सकता है । अगर छोटे उद्योग, जैसा कि मैं ने बतलाया, प्रारम्भ किये जायें तो एक हजार या ८०० रुपये की पूंजी लगाकर आप एक आदमी को काम दे सकते हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे । यदि सरकार इस प्रकार कार्य करे और अपनी योजना की दृष्टि में परिवर्तन करके आगे बढ़े, तो जितनी पूंजी अभी लगी है उसमें १५ या दस गुने अधिक लोगों को काम मिल सकता है । और यदि हम अपनी योजनाओं की दृष्टि में परिवर्तन करके अधिक से अधिक लोगों को काम दे सकें तो इस बेकारी की बहुत बड़ी समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है ।

लेकिन अफसोस की बात है कि जब हम छोटे उद्योगों की बात कहते हैं तो उसके लिये जो कच्चे माल की व्यवस्था होनी चाहिये और उसके लिये सरकार की तरफ से जो गारण्टी होनी चाहिये वह नहीं होती । आज प्रातः प्रश्न के घंटे में प्रश्न उठा सीमेंट को इधर से उधर लाने ले जाने का । बार बार यह प्रश्न उठता रहता है । जो कच्चा माल कोयला है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये सरकार के पास पूरे वैगन नहीं हैं । और अभी उद्योग मंत्री महोदय ने प्रश्न के घंटे में बताया कि दो साल पहले जो सीमेंट का लक्ष्य था वह कम कर दिया गया था क्योंकि आयोजकों को उस वक्त यह लगा था कि सीमेंट का उत्पादन इतना हो जायेगा जितने की जरूरत नहीं है । लेकिन बाद में देखा गया कि उत्पादन आवश्यकता से कम है । पता नहीं कि किस तरह से हिन्दुस्तान की सरकार के आयोजक अपनी योजनायें बनाते हैं, किस प्रकार वे अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं कि दो साल में वे लक्ष्य बदल जाते हैं और जिसकी उनके अनुसार जरूरत नहीं थी उसकी जरूरत पड़ जाती है । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हमको छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है जिससे बेकारी की समस्या पूरी तरह हल हो सके, तो उसके लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि जो कच्चा माल है, जैसे कोयला और लोहा आदि है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिये । इन चीजों की दिक्कत शायद इसी लिये पड़ जाती है कि सरकार इस चीज की तरफ जागरूक नहीं है । अगर इस दिशा में सरकार पूरी तरह जागरूक होती तो पिछले दो साल से लगातार यह ऊधम न खड़ा होता कि मुगल सारय से ऊपर कोयले के जितने वैगन जाने चाहिये उतने नहीं जा रहे हैं और इसलिये उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । मैं देखता हूं कि इस दिशा में सरकार की ओर से कोई इन्तिजाम नहीं होता । बार बार सदन में यह आश्वासन दिया जाता है कि इन्तिजाम हो जायेगा लेकिन यह इन्तिजाम नहीं हो पाता और उसके बहुत गम्भीर परिणाम हो रहे हैं । एक तरफ तो जो सरकार की अपनी संस्था है कोयला उत्पादन करने की, नेशनल कोल डेवेलपमेंट कारपोरेशन, उसका उत्पादन कम हो रहा है क्योंकि उसका कोयला एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा । तो एक तरफ तो एन० सी० डी० सी० को यह नुकसान हो रहा है, कोयला खानों पर पड़ा है, उसमें आग लग रही है और दूसरी तरफ सीमेंट और दूसरी चीजों के कारखाने बन्द हैं । वहां कोयला पहुंच नहीं सकता है । नतीजा यह होता है कि निर्माण कार्य रुक जाता है । चीजें उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाती है । इस तरह से हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि हम उन उद्योगों को जोकि

[श्री ब्रजराज सिं]

देश की बेकारी की समस्या को हल करने के लिये बहुत आवश्यक है, बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसीके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न कच्चे माल और तैयार माल को रेल और सड़क के जरिये ढोने का है और उनकी ढुलाई के लिये हमें रेल और सड़क यातायात की क्षमता को बढ़ाना है और उसका ठीक से प्रबन्ध करना है और कोआर्डिनेटेड ढंग से करना है। मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों और मंत्रालयों में आज जो लैक आफ कोआर्डिनेशन दिखाई पड़ता है वह वांछनीय नहीं है। मंत्री महोदय यह न कहें कि मारा काम तो केवल सीमेंट अथवा कोयले का उत्पादन करना है। यह कोयला किस तरीके से कच्चे माल की शक्ल में उत्पादक केन्द्र पर जाएगा इसके लिये यातायात की व्यवस्था करना मेरा काम नहीं है और होता यह है कि इस लैक आफ कोआर्डिनेशन के कारण कोयला खानों में पड़ा जलता रहता है और जहां माल जुटाना होता है वहां पर लोग उसके अभाव में बेकार बैठे रहते हैं, उनकी मशीनरी बेकार रहती है और साथ ही उनकी पूंजी भी बेकार फंसी रहती है। यातायात के अभाव में और ढुलाई न होने के कारण सीमेंट का कारखाना बन्द रहेगा, किसानों के वास्ते कुंआं नहीं बनेगा और गांव के बच्चों के लिये स्कूल नहीं बनेगा। सड़कें नहीं बन पायेंगीं और डैम नहीं बन पायेंगे। इसके कारण योजना के लिये आधारभूत संकट पैदा हो जाता है और जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे पूरा नहीं कर सकेंगे।

आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि सरकार छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष प्रयत्न करे। लेकिन अभाग्यवश इस सरकार की निगाह बड़े उद्योगों पर ही पड़ रही है और छोटे उद्यागों को नजरअन्दाज किया जा रहा है। सरकार को अपनी निगाह को बड़े उद्योगों से हटा कर छोटे उद्योगों को पनपाने और बढ़ावा देने की ओर होनी चाहिये। उनके प्रति सरकार को उदासीनता का व्यवहार नहीं करना चाहिये। छोटे उद्योगों के वास्ते सरकार को कच्चा माल उनकी जरूरत के मुताबिक सुलभ करना चाहिये और उनको बढ़ावा देकर और पनपा कर ही हम इस देश से गरीबी को दूर कर सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रियों और मंत्रालयों में कोआर्डिनेशन होना चाहिये और यह भावना जनता के दिलों में पैदा नहीं होने देनी चाहिये कि वित्त मंत्री की अलग सरकार है, कोयला और ईंधन मंत्री की अलग सरकार है और रेल मंत्री की अलग सरकार है और यह सब अलग अलग सरकारों में काम कर रहे हैं। वे आपस में कहीं एक साथ मिल कर बैठ नहीं सकते और योजना नहीं बना सकते। एक मंत्री दूसरे मंत्री की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। इस तरह की भावना इस सदन में और देश में बाहर लोगों में नहीं जानी देनी चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कच्चे माल की, जैसे सीमेंट, लोहे, और कोयले आदि की एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने की समुचित यातायात व्यवस्था की जाय। जाहिर है कि अगर इन चीजों की ढुलाई की व्यवस्था न होगी तो उत्पादन कार्य रुक जायगा और निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा रह जायगा। इसके लिये जैसा मैंने पहले भी कहा विभिन्न मंत्रालयों में सहयोग की आवश्यकता है। मुल्क में ऐसी बात नहीं जाने देनी चाहिये कि मंत्री लोग एक दूसरे के साथ मिल कर काम करने को तैयार नहीं हैं या कोई अलग अलग सरकारें काम कर रही हैं।

मैं इस अवसर पर इस सदन के द्वारा सरकार का ध्यान कुछ छोटी मोटी चीजों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वित्त मंत्री महोदय ६३ करोड़ रुपये का घाटा पेश कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि उस घाटे को पूरा करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे उसके लिये कर ही लगायें। वित्त मंत्री महोदय जिस गांधीवादी परम्परा में पले हैं और जो उनकी पृष्ठभूमि है उसको देखते हुये मैं उनसे अपील करूंगा कि उनका ध्यान आज उस फिजूलखर्ची की ओर जाना चाहिये जो सरकार

के द्वारा की जा रही है । अगर उन में उस भारी फिजूलखर्ची को रोकने की क्षमता और शक्ति हो तो गांधीवादी परम्परा में पले होने के नाते उनका उस फिजूलखर्ची को रोकना कर्त्तव्य हो जाता है । अब इस बारे में कि फिजूलखर्ची हो रही है या नहीं हो रही है मैं उनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता लेकिन मैं उनसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्वयं अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें कि गांधीवादी परम्पराओं के अनुरूप जैसी सरकार वह चलाना चाहते हैं क्या यह सरकार उसके अनुसार चल रही है ? क्या आज सरकारी कामों में फिजूलखर्ची नहीं हो रही है ? अब अगर उनका दिल गवाही देता है कि फिजूलखर्ची हो रही है तो फिर वक्त आ गया है जब कि वित्त मंत्री महोदय को इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिये कोशिश करनी चाहिये और ऐसा प्रयत्न करना चाहिये ताकि भविष्य में फिजूलखर्ची न हो सके । मेरा तो विश्वास है कि अकेले यदि वित्त मंत्री महोदय फिजूलखर्ची को रोकने के लिये आरूढ़ हो जायें तो यह ६३ करोड़ रुपये की कमी, फिजूलखर्ची रुकने के फलस्वरूप, पूरी होना कोई कठिन कार्य न होगा ।

हो सकता है कि मंत्री महोदय कहें कि नहीं और भी बहुत से सवाल हैं हम उनसे फिजूलखर्ची को रोक सकते हैं और हमने वह कमेटी बनाई हुई है और यह कमेटी बनाई हुई है । जनतंत्र में एक बड़ी कमी यह महसूस करते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हल करने के लिये एक कमेटी बैठा दी जाती है । कमेटी काफी गौर करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है और वह रिपोर्ट फिर मंत्रिमंडल के सामने आती है और उस पर विचार होता है और इस तरह से वह मामला टलता जाता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : हम लोग भी कमेटियों की मांग करते रहते हैं ।

वित्त मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : माननीय सदस्य ने भी मांग की है ।

श्री ब्रजराज सिंह : जब कोई बात नहीं की जाती है तो फिर हमारे पास कमेटियों की मांग करने के अलावा दूसरा चारा भी तो नहीं रह जाता है । इस अवसर पर मैं उसका एक काला पहलू बता रहा हूं लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसका अच्छा पहलू होता ही नहीं । कमेटी की स्थापना होने से उस मामले में अच्छी तरह से छानबीन हो जाती है । लेकिन जहां तक इस होने वाली फिजूलखर्ची का सवाल है इसको रोकने के लिये कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है । कमेटी किसी ऐसी चीज के लिये बनानी चाहिये जिसमें खास अध्ययन की जरूरत हो और खास परिणामों पर पहुंचने की जरूरत हो । लेकिन जहां तक सरकारी कामों में होने वाली फिजूलखर्ची का ताल्लुक है कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रख कर इससे इंकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में फिजूलखर्ची नहीं हो रही है । मैं समझता हूं कि देश का हर एक व्यक्ति और वित्त मंत्री महोदय को शामिल करते हुये मैं कहता हूं कि हर एक इस बात से सहमत होगा कि जितना खर्च किया जा रहा है उसमें कुछ कटौती की जा सकती है । खास तौर से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो ठेके दिये जाते हैं क्या उनके बारे में मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकते हैं कि जितना रुपया खर्च होता है वह सही तरीके से खर्च होता है । जो बिल्डिंग या इमारत आदि सरकारी हुक्म से की सीधी देखरेख में और निरीक्षण में तैयार होती है और उसके बनाने में यदि २०,००० रुपये व्यय होते हैं तो उसी काम को यदि ठेकेदारों द्वारा करवाया जाय तो उस पर ३० या ३५ हजार रुपया खर्च हो जाता है अब वक्त आ गया है कि जब सरकार को इस भारी फ़िजूलखर्ची को रोकना चाहिये और यह बचा हुआ धन सही मायनों में देश निर्माण के कार्यों में लगाया जा सकता है ।

अब जहां यह फिजूलखर्ची की बात आती है तो मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इसके रहते आप जनता में कैसे विश्वास पैदा कर सकेंगे ? अब उत्तरप्रदेश की ही बात ले लीजिये ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

वहां पर आपकी कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही हे । वहां विधान सभा में २४८ सदस्य हैं जिनमें कि ४८ मिनिस्टर्स रक्खे जा रहे हैं । अब इसके लिये कह दिया जायेगा कि यह कोई रेलिवेंट बात नहीं है । मैं यह मानता हूं कि इसके रहने से कोई बड़ी फिजूलखर्ची हो जायेगी ऐसी बात नहीं है लेकिन उससे एक अच्छे वातावरण का निर्माण नहीं होता है और मुल्क में लोग सोचते हैं कि यह क्या तमाशा है कि पार्टी के २४८ सदस्य चुन कर आये और उनमें से ४८ को मिनिस्टरी दी जाती है । अब शायद आपकी पार्टी में वहां ऐसी भावना रही होगी कि जब तक इतने लोगों को मंत्री नहीं बनायेंगे तब तक वह असन्तुष्ट रहेंगे । इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर हर पांच मेम्बर पर एक मंत्री बना और कहीं पर ३ मेम्बर्स पर एक मंत्री बनाया गया । अब निश्चित रूप से इससे जनता में एक अच्छा वातावरण नहीं बनता है । मैं यह नहीं कहता कि यह कोई ऐसी चीज है जिसमें वित्त मंत्री महोदय डायरैक्टली कोई दखल दे सकते हैं लेकिन पार्टी के अन्दर अवश्य इस बारे में बातचीत करके इसमें सुधार कर सकते हैं ।

श्री हरीश्चन्द्र माथुर : १२ या १३ तो उसमें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : वातावरण तो खराब बनता ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह बात मानते हैं कि यह चीज रैलेवेंट नहीं है और इससे खर्च भी ज्यादा नहीं बढ़ता हे लेकिन फिर भी इसको अर्ज करना चाहते हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह :लोगों में यह भावना पैदा नहीं होने देनी चाहिये कि यह सरकार वास्तव में जनतंत्र को सफल नहीं बनाना चाहती और जहां कहीं भी यह पहुंच जाते हैं अपनी ही बात करना चाहते हैं । मैं यह मानता हूं कि इस व्यवस्था से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वातावरण उससे निर्मित होगा वह अच्छा नहीं है और देश की जनता को देश के निर्माण कार्यों में उत्साह के साथ जुटाने के लिए आवश्यक है कि इस वातावरण को बदला जाय । वातावरण तभी बदल सकता है जब हम इधर ध्यान दें । इस सम्बन्ध में स्वयं प्रधान मंत्री महोदय ने भी अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि वह राज्यों में बड़े मंत्रिमंडल के पक्ष में नहीं हैं । अब इसके लिए शायद वित्त मंत्री महोदय कह देंगे कि मैं तो देश का वित्त मंत्री हूं मैं इसमें दखल नहीं दे सकता कि किस सूबे के मंत्रिमंडल में कैसे सरकार बने और वहां कितने मंत्री रहें । मेरे लिए यहां इस बारे में बोलना इर्रेलेवेंट होगा . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप खुद कहते भी जा रहे हैं कि यह इर्रेलेवेंट है और उसका जिक्र भी करते जा रहे हैं । जब आप यह मानते हैं कि यह रैलेवेंट नहीं है तो इसका कहना भी उचित नहीं है ।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं ने इस कारण उसका जिक्र किया कि देश में उससे अच्छा वातावरण नहीं बनता है . . .

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : आप काफी कह चुके हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : जैसा कि मैं अभी निवेदन कर रहा था, ६३ करोड़ रुपये का जो घाटा इस साल दिखाया गया है, उस को बिना कोई नये टैक्स लगाये हुए पूरा किया जा सकता है । अगर देश में कोई नई परम्परा कायम करनी है, तो मैं आशा करूंगा कि इस घाटे को बिना नये टैक्स लगाये पूरा करने की कोशिश की जायगी ।

जहां तक टैक्सों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि टैक्सों के ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है और सरकार स्वयं भी इस आवश्यकता को स्वीकार करती है । लेकिन सरकार के लोग जब यह विचार करने लगे हैं कि अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्सिज़) ज्यादा लगाये जा सकते हैं, जो कि हर एक आदमी के जीवन के भार को और बढ़ायेंगे । प्रत्यक्ष करों (डायरेक्ट टैक्सिज़) के बारे में सरकार का विचार है कि उन की क्षमता नष्ट हो गई है और अब उन का अधिक उपयोग नहीं हो सकता है । मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और वह इस पृष्ठभूमि में उचित नहीं है कि जब हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि दो पंच-वर्षीय योजनाओं का फल देश के कुछ ही लोगों को पहुंच रहा है––कुछ लोग अधिक धनवान हो रहे हैं और ग़रीबों की दशा अच्छी नहीं हुई है, तो जो लोग धनवान हुए हैं, योजनाओं को सफल बनाने में उन का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए । इस लिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्यक्ष करों की तरफ़ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और जो लोग ज्यादा धनवान हुए हैं, उन के धन को खींचने के लिए तरीके निकाले जाने चाहिए ।

अगर सरकार ने टैक्स लेने ही हैं, तो वे उन से लिए जाने चाहिए जिन में टैक्स देने की क्षमता है, शक्ति है । उन लोगों से टैक्स न लिए जायें, जिन में शक्ति नहीं है, जैसे रिक्शा चलाने वाले और फावड़े से मज़दूरी करने वाले हैं । अगर हम चीनी के दाम नहीं घटा सकते, तो इस का परिणाम यह होगा कि इन लोगों का जीवन निर्वाह कठिन हो जायगा ।

यह खुशी की बात है कि हमारे देश में चीनी का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि अब देश में उसकी और खपत नहीं हो सकती है और अब उस को निर्यात करना पड़ेगा, जिस से हमारे देश को फ़ारेन एक्सचेंज उपलब्ध होगा । लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि विदेशों में चीनी इस देश की तुलना में आधे से भी कम दामों पर बेची जायगी, अर्थात् वहां पर वह १६, १७ रुपये मन बेची जायगी, जब कि वह देश में ४० रुपये मन के हिसाब से बेची जा रही है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देश में किसी चीज़ का उत्पादन किसानों की मेहनत की वजह से बढ़ गया है, तो उस का लाभ केवल सरकार को ही फ़ारेन एक्सचेंज के रूप में नहीं मिलना चाहिए, बल्कि निर्धन जनता को भी उस का लाभ पहुंचाया जाना चाहिए और उस को वह चीज़ कम दामों पर उपलब्ध की जानी चाहिए ।

मेरी आशा और आकांक्षा है कि इस साल––चुनाव के साल में––हिन्दुस्तान की जनता पर कोई नये टैक्स नहीं लगाये जायेंगे और बजट के घाटे को दूसरे तरीकों से पूरा किया जायगा, जिससे यह कहा जा सके कि रुपया बचाने और सरकार को चलाने के लिए केवल टैक्स लगाना ही एक-मात्र तरीका नहीं है, बल्कि दूसरे तरीके भी अपनाये जा सकते हैं । मैं समझता हूं कि अगर वित्त मंत्री महोदय इन बातों पर विचार करेंगे, तो वह हिन्दुस्तान की जनता के कष्टों को दूर करने में ज़रूर कुछ सहयोग दे सकेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वित्त मंत्री के भाषण से काफी आशावादिता प्रगट होती है । उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण समस्या को पहिले लिया है । इसमें सन्देह नहीं है कि सभासद पिछले कई वर्षों से कीमतें स्थिर करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । प्रश्न यह है कि ये कीमतें किस स्तर पर स्थिर की जायें? वर्तमान स्तर पर या इस से निचले स्तर पर । मुझे पूरी आशा है कि वित्त मंत्री ने इस समय मूल्यों को स्थिर करने में जो सफलता प्राप्त कर ली है वह तीसरी योजना अवधि में उसी से संतुष्ट हो कर नहीं बैठे रहेंगे । हमें अपने निर्यात को प्रोत्साहन देने, निश्चित वेतन आय वर्ग को राहत देने और योजना को सफल बनाने के लिये विभिन्न कदमों द्वारा मूल्यों में २५ प्रतिशत कमी लाने के लिये कदम उठाने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

हमें यह समझना चाहिये कि हमारी ग्रामीण जनता को योजना अवधियों में सब से कम लाभ हुआ है और ग्रामीण जनता का जीवन अभी भी दयनीय बना हुआ है। इसलिये हमें गंभीरतापूर्वक यह विचार करना चाहिये कि क्या हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कैसे करें और वास्तविक समाजवाद लाने के लिये क्या कदम उठाये जायें ?

जहां तक केन्द्र एवं राज्यों के सम्बन्ध का प्रश्न है केन्द्र तथा राज्यों दोनों में ही यह भावना उत्पन्न करनी होगी कि तीसरी योजना के क्रियान्वयन के लियें दोनों को संयुक्त प्रयत्न करना होगा।

वित्त आयोग के प्रतिवेदन में एक महत्वपूर्ण विचार यह प्रकट किया गया है कि हमें सड़कों के विकास के लिये कुछ निधि आवंटित करनी चाहिये। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता है कि हमारे देश के पिछड़े भागों में सड़कों के निर्माण की बहुत आवश्यकता है। हम नहीं जानते हैं सरकार इसके बारे में क्या करने जा रही है ? केन्द्र के पास एक रक्षित निधि होनी चाहिये जिस में से राज्यों को अविकसित क्षेत्रों के लिये अनुदान दिये जा सकें।

यह दुर्भाग्य की बात है कि वित्त मंत्रालय ने वित्त आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों की उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ संविधिक प्रकार के अनुदान स्वतः राज्यों को प्राप्त होने चाहिये। उन्होंने यह सिफारिश देश के दौरे तथा मुख्य मंत्रालयों से सिफारिश के बाद की थी। वित्त मंत्री जी को इस मामले के सम्बन्ध में राज्य मंत्रियों से बातचीत करनी चाहिये जिसमें वह उन्हें इस फैसले के ठीक होने के सम्बन्ध में विश्वास दिलायें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो यह कह रहा था कि केन्द्रीय सरकार को वे ही अधिकार दिये गये हैं जिनका संविधान में उल्लेख है। केन्द्रीय सरकार को दिल्ली दरबार की संज्ञा देना ठीक नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं संवैधानिक अधिकारों का विरोध नहीं कर रहा। मैंने स्वयं सभा में कई बार कहा है कि देश की एकता के लिए यदि अधिक अधिकारों की आवश्यकता हो तो वे केन्द्रीय सरकार को दिये जाने चाहियें। ये तो प्रशासकीय कार्यवाही की बात है। अनेक विभागाध्यक्ष वित्त मंत्रालय के पास न जाकर सीधे योजना आयोग के पास जाते हैं। फिर, उन्हें कहा जाता है कि हमारे पास ३० करोड़ रुपये हैं। इससे अधिक नहीं दे सकते। आप स्वयं आपस में इसे बांट लें। अतः मेरा कहना है कि सहायता के नमूने के मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श अवश्य किया जाना चाहिये और उन्हें सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की अनिवार्यता अवश्य समझा देनी चाहिये क्योंकि वह विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई गवाही और वित्त आयोग के चार सदस्यों की सिफारिश के विरुद्ध है।

एक प्रश्न के उत्तर में हमें बताया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के पुनरीक्षण की रिपोर्ट माननीय सदस्यों को केवल अगस्त मास में मिल सकेगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यदि सम्भव हो तो यह रिपोर्ट हमें मई मास में दे दी जाये ताकि इस पर आय-व्ययक सत्र में चर्चा की जा सके और अगले वर्ष लगने वाले कर के प्रस्तावों आदि पर दूसरी पंच वर्षीय योजना की कार्यान्विति की जानकारी के साथ विचार विमर्श हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिकतर लोगों के दिमाग में बराबर एक बात आ रही है कि परिवहन तथा रेलवे मंत्रालयों और इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के बीच सहयोग नहीं रहा है। छोटी छोटी सैंकड़ों सिंचाई योजनायें यहां तक कि खुदे हुए कुएं भी सीमेन्ट की कमी के कारण अपूर्ण पड़े हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि हमारे पास पहिले के कार्यों के लिए ही काफी सीमेन्ट नहीं है तो हम बड़ी बड़ी परियोजनायें क्यों हाथ में ले लेते हैं। इससे हमारे संसाधनों का नाश होता है। निश्चय ही यह इस बात का द्योतक है कि समन्वय की कमी है और मैं समझता हूं कि यह ऐसी बात है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। विभिन्न माननीय सदस्य प्रश्नों द्वारा सरकार को बताते रहे हैं कि वे इस बात से सन्तुष्ट नहीं हैं और इस का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है कि कोयला और सीमेन्ट के संभरण के बारे में विभिन्न मंत्रालयों में सहयोग नहीं है। श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि इस सारे मामले की सार्वजनिक जांच पड़ताल होनी चाहिये। जो व्यक्ति भी इस अभाव के लिए उत्तरदायी हों उन्हें दंड मिलना चाहिये क्योंकि इसके कारण व्यय बेकार जाता है, उद्योग को हानि होती है और ये सब बातें होती हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, विशेषकर नीचे के अधिकारियों के खिलाफ जनसाधारण को शिकायत है। इसी कारण जनसाधारण में असन्तोष की भावना है। अतः इसे दूर करने के लिये सरकार को अवश्य कार्यवाही करनी चाहिये। जिन क्षेत्रों में मैं गया हूं वहां सामान्य भावना यह है कि सरकार कर लगा रही है और पंचवर्षीय योजनाओं की बात तो करती है, परन्तु सरकार में इस के बारेमें न तो जागृति है और न ही योजनाओं को मितव्ययता के साथ लागू करने की सच्ची इच्छा है। माननीय वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री को इस बात का पता ही नहीं लगेगा कि राज्य सरकार या जिला स्तर पर क्या होता है। ये लोग देखते हैं कि उन से लिया गया धन किस प्रकार छोटे छोटे अधिकारियों द्वारा उड़ाया जाता है और इस से सरकार के खिलाफ असन्तोष पैदा होता है। यदि प्रधान मंत्री प्रति वर्ष एक बार देश की आध्यन्तिक यात्रा करें और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की अपेक्षा देश की समस्याओं पर कुछ ध्यान दें, तो यह निश्चय बहुत अच्छा होगा। निश्चित रूप से यह इस सरकार की जिम्मेदारी है कि जनसाधारण को शिक्षा दे। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि अमुक अमुक दल के लोग वहां गये और उन्हों ने प्रोपगण्डा किया है। कांग्रेस सरकार पिछले १४ वर्ष से सत्तारूढ़ है। फिर वह जनता को शिक्षा, उचित शिक्षा क्यों न दे सकी और उन के सामने सही तस्वीर क्यों न रख सकी? मैं यह नहीं कहता कि यह मेरी, या संसत्सदस्य की या विधायक की जिम्मेदारी नहीं है। हां, यह जिम्मेदारी है। हम जो थोड़ा कर सकते हैं करते हैं, परन्तु निश्चय ही हम सरकार का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकते।

श्री कोरटकर (हैदराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं, जिस का फिनांस मिनिस्टर साहब की स्पीच में कोई जिक्र नहीं आया है और जिस के बारे में आम तौर से यह समझा जाता है कि आने वाले साल में हमारी आर्थिक दशा पर उस का बहुत बड़ा असर होने वाला है। मेरा तात्पर्य यूरोपियन इकानोमिक कम्यूनिटी—यूरोप के सांझा बाजार—में शरीक होने के ब्रिटेन के इरादे से है इसके कारण खाली भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रमंडल के दूसरे देशों में भी बहुत प्रतिक्रिया हुई है। हाल ही में अकरा में एक कांफ्रेन्स हुई थी, जिस में हमारे फिनांस मिनिस्टर साहब भी गये थे। वहां पर राष्ट्र-मंडल के करीब करीब सभी फिनांस मिनिस्टरों ने ब्रिटेन के इस तरह से एक दम सांझा बाजार में शरीक होने का विरोध किया। उस की एक खास वजह यह थी—जोकि इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगी—कि राष्ट्रमंडलीय देशों की बहुतसी चीजें या तो बगैर किसी कर के ब्रिटेन को निर्यात की जाती हैं, या उन पर और देशों के मुकाबले में कम कर लगाया

[श्री कोरटकर)

जाता है। अगर ब्रिटेन इस तरह से साझा बाजार में शरीक हो जाता है तो उस का साफ साफ नतीजा यह निकलेगा कि हमारे देश का निर्यात और इसी तरह से दूसरे राष्ट्रमंडलीय देशों का निर्यात जो ब्रिटेन में होता है, वह कम होता जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने भाषण को कल जारी रखें। अब हमें नान-आफिशियल बिजिनेस लेना है ।

संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद २२६ का संशोधन---जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का संविधान (संशोधन) विधेयक (**अनुच्छेद २२६ का संशोधन**) उस पर ३१ अक्तूबर, १९६१ तक जनमत जानने के लिये परिचालित किया गया था। माननीय सदस्य ने मत संबंधी पत्र १५ मार्च, १९६२ को पटल पर रखा था और वह माननीय सदस्यों को पहिले ही परिचालित किया जा चुका है ।

इस विधेयक के लिये नियत दो घंटों में से ४० मिनट २८ अगस्त, १९६१ को ले लिये गये थे जब कि परिचालन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। अब इस विधेयक के लिये एक घंटा बीस मिनट हैं ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** (वेल्लोर) : इन दोनों विधेयकों का नाम एक ही है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन पर एक साथ विचार होगा। पहिला प्रस्ताव पेश होने दीजिये और दूसरा प्रस्ताव लिया जायेगा ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् (कुंभकोणम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को श्री आचार, श्री सुब्बया अम्बलम, श्री स० मो० बनर्जी, श्री रामनाथन् चेट्टियार, श्री दिनेश सिंह, श्री गणपति, श्री हजारनवीस, डा० मेलकोटे, श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका, श्री नरसिंहन्, श्री थानू पिल्ले, श्री रामस्वामी, श्री जगन्नाथ राव, श्री अ० कु० सेन, श्री दीवान चन्द शर्मा और श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे ३० मार्च, १९६२ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या उन्हों ने प्रवर समिति वाले सदस्यों की सहमति ले ली है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** इस में किसी सदस्य को कोई आपत्ति न थी ।

[श्रीमूल चन्द दुबे पीठासीन हुये]

यह विधेयक रखे हुए एक साल हो गया है। यह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों के फलस्वरूप पेश किया गया है। इस उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में कि संघ सरकार का स्थान, जो संघ राज्य क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्र में नहीं है, जहां उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो। यदि किसी व्यक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

को गलती से नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसे लेख लेने के लिये दिल्ली आकर पंजाब उच्च न्यायालय में अर्जी देनी पड़ती है। इस कारण बहुत से लोग हां आ नहीं सकते और उन को लाभ से वंचित रहना पड़ता है ।

खजूर सिंह बनाम संघ सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना था और विधि आयोग ने भी कहा है कि पंजाब के अलावा हमारे उच्च न्यायालय धारा २२६ के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार नहीं रखते जब संविहित प्राधिकार दिल्ली में हो। इस से धारा २२६ का उद्देश्य समाप्त हो जाता है ।

केरल सरकार ने मेरे संशोधन का समर्थन किया है। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल के सचिव और दादरा व नागर हवेली के प्रशासक ने इस का समर्थन किया है। गृह-कार्य मंत्री की सलाहकार समिति के सदस्य और अन्दमान व निकोबार प्रशासन के मुख्य आयुक्त के सहायक सचिव ने भी इस का समर्थन किया है कि दूर के क्षेत्रों के लोग दिल्ली आ कर अपने क्षेत्रों का निवारण लेखों के द्वारा सुविधा पूर्वक नहीं कर सकते और उन के अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालयों का दिल्ली स्थित सरकार पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सरकार लेख के अतिरिक्त इस विधेयक का क्षेत्राधिकार और बढ़ाना चाहती है कि अन्य प्राधिकार भी इस के क्षेत्र में आ जाये। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के छः न्यायाधीश भी इस के पक्ष में हैं। इन के अतिरिक्त अनेक दूसरे लोगों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। पंजाब सरकार भी इस के पक्ष में है। श्री महाजन ने कहा है कि इस से उन के सर्किट बेंच में भीड़ कम हो जायेगी ।

गुजरात सरकार एवं वहां के न्यायाधीश भी इस विधेयक का क्षेत्र बढ़ाने के पक्ष में है। मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा ही चाहती है ।

दिल्ली प्रशासन मेरे संशोधन के पक्ष में है। राजस्थान सरकार तथा वहां के न्यायाधीश श्री मोदी इस का जोरदार समर्थन करते हैं ।

आसाम सरकार इस विधेयक के सिद्धान्त के हक में है और इस का क्षेत्र बढ़ाना चाहती है। यही विचार मनीपुर ने व्यक्त किये हैं। उड़ीसा सरकार एवं वहां की बार ऐसोसियेशन मेरे संशोधन का स्वागत करते हैं। बिहार मेरे संशोधनों से सहमत है। हिमाचल वालों के लिये भी दिल्ली आना कठिन है और वे भी इस विधेयक के समर्थक हैं ।

आन्ध्र सरकार इस विधेयक का समर्थन करते हुए इस का क्षेत्र बढ़ाने के पक्ष में है। श्री नरसिंहन् के विधेयक के बारे में भी, जिस का उद्देश्य मेरे विधेयक से मिलता जुलता है, यही विचार व्यक्त हुए हैं ।

मैसूर सरकार व वहां का उच्च न्यायालय भी इस का समर्थन करते हैं। सारांश यह है कि सभी राज्य और लोग एकमत से इस का समर्थन करते हैं कि संविधान में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये। भारत सरकार के विरुद्ध शिकायत या दावा करने के लिये दिल्ली आने से संविधान के अनुच्छेद २२६ में दिये गये अधिकारों का पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता। दिल्ली आना, यहां आकर ठहरना और खर्च करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये संभव नहीं और असुविधाजनक है। इस कारण बहुत से लोग हक से वंचित रह जाते हैं ।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

मा० उपमंत्री ने कहा है कि मैं ने जो सुझाव दिये हैं उन के अनुसार सरकार संविधान में बड़ा भारी संशोधन करने का विचार कर रही है। मैं आशा करता हूं कि यदि ३० मार्च तक यह संशोधन नहीं किया जा सकता तो अगली संसद् के बैठते ही इसे जल्दी से जल्दी पारित कर दिया जायेगा। ३० तारीख तक प्रवर समिति का प्रतिवेदन भी आ जायेगा। यदि सरकार संशोधन पेश करने को तैयार है तो मैं अपना विधेयक वापिस लेने को तैयार हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मैं ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति मांगी थी कि दोनों विधेयकों पर इकट्ठे विचार किया जाये। मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को श्री आचार, श्री सुब्बया, अम्बलम, श्री स० मो० बनर्जी, श्री रामनाथन् चेट्टियार, श्री दिनेश सिंह, श्री गणपति, श्री हजर-नवीस, डा० मेलकोटे, श्री राधेश्याम राम कुमार मुरारका, श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्, श्री थानु पिल्ले, श्री रामस्वामी, श्री जगन्नाथ राव, श्री अ० कु० सेन, श्री दिवान चन्द शर्मा, और श्री नरसिंहन् की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे ३० मार्च, १९६२ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।"

इस विधेयक के सम्बन्ध में श्री पट्टाभिरामन् बहुत कुछ कह चुके हैं। दोनों विधेयकों का उद्देश्य समान है। एक का क्षेत्र दूसरे से व्यापक है। सभी उच्च न्यायालयों ने विधेयक की जांच कर ली है और मुझे खुशी है कि विधि मंत्री तथा उप मंत्री ने इसे लोकमत के लिये परिचालित किया। अब उच्च न्यायालयों सरकारों आदि के मत हमारे सामने हैं।

यह वांछनीय है और विधि आयोग का भी ऐसा ही मत है कि विधान मंडलों को विधान भेजने से पहले संबद्ध लोगों, वकीलों और जनता आदि के विचार मान लिये जाने चाहियें। मैं विधि मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि संविधान में अपेक्षित संशोधन किया जाना चाहिये। सरकार भी वही है और रहेगी तथा अनेक अन्य सदस्य भी पूर्ववत रहेंगे। अतः अब व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखना चाहिये। संसद् के पुराने वाद-विवादों आदि को ध्यान में रखते हुए, मैं आशा करता हूं कि नई संसद् शीघ्र ही इस उद्देश्य के विधेयक को पारित करेगी।

संविधान में संशोधन करने का पेचीदा तरीका है और फिर सरकार उसे किस मात्रा तक कार्यान्वित करती है, यह एक समस्या है। मैंने जनमत को आकर्षित करने के लिये यह विधेयक रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकतर सरकारों और उच्च न्यायालयों ने इसका समर्थन किया है और कुछ ने वैकल्पिक प्रारूप भी भेजे हैं। मैं आशा करता हूं कि समूची बातों पर विचार करने के पश्चात् नया मसौदा तैयार किया जाएगा और सभी उच्च न्यायालयों को समान अधिकार दिये जाएंगे और भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मूलभूत अधिकारों को लागू करने का अवसर दिया जाएगा और उसे दूरस्थ स्थान पर जाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

दोनों प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं।

†**श्री वें० पें० नायर** (किलोन) : मुझे प्रसन्नता है कि श्री पट्टाभिरामन ने यह विधेयक रखा है। सरकार ने क्यों ऐसा विधेयक रखने में अग्रता नहीं की? सब जानते हैं कि अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिये लोगों को दिल्ली आना पड़ता है और अपनी शिकायत का इलाज करवाना पड़ता है। यह बड़ी भारी समस्या है और सब लोगों के बस

†मूल अंग्रेजी में

की बात नहीं। इतने मील दूर जाना और खर्च करना सब के लिये संभव नहीं। समय और स्थान तथा रुपये के कारण लोग अपने अधिकारों का उपभोग करने से वंचित रह जाते हैं। पंजाब उच्च न्यायालय में १९५२ और १९५८ में दी गई अर्जियां अभी तक लंबित पड़ी हैं। अदालतों की भी कठिनाइयां हैं किन्तु लोगों की अधिक कठिनाइयां हैं। सेवाओं के भी मामले हैं जो विभिन्न विभागों में अन्य स्थानों पर काम करते हैं। उन सब के लिये दिल्ली जाकर लेख प्राप्त करना असंभव-प्रायः है।

इनके अतिरिक्त अनेक अन्य मामलों में भी निदान लेने की जरूरत होती है, उदाहरणार्थ आयात व्यापार नियंत्रण आदि। लोगों को शीघ्र इन्साफ नहीं मिलता। परन्तु अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालय में ही व्यक्ति जाकर इन्साफ ले सकता है। इस समय पंजाब उच्च न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त हैं वे अन्य उच्च न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। अतः यह विधेयक स्वागत के योग्य है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इन सब कठिनाइयों को समझते हैं, अतः इस विधेयक के पारित होने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। अकारण होने वाली परेशानी, तकलीफ औ खर्च को रोका जा सकता है। दिल्ली में वकील लाना भी कठिन होता है। दिल्ली में ठहरने की भी दिक्कत होती है। लोग को जितना रुपया दिल्ली आने में खर्च करना पड़ता है उतने से वे अपने स्थान पर अच्छा वकील कर सकते हैं।

इससे पंजाब उच्च न्यायालय के पास भी बड़ा काम बढ़ता है। यदि यह अन्य उच्च न्यायालयों में बांट दिया जाए तो यह हल्का हो सकता है और शीघ्र न्याय मिल सकता है। इन सब दृष्टियों से यह विधेयक प्रशंसनीय है और मैं आशा करता हूं कि सभा के सभी पक्ष इसका समर्थन करेंगे और मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये श्री पट्टाभिरामन् को धन्यवाद देता हूं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं संविधान में इतनी जल्दी ऐसे संशोधन करना नहीं चाहता। परन्तु यह विधेयक जरूरी है क्योंकि उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के निर्णय ऐसे हैं।

दोनों विधेयक एक जैसे हैं—एक वाद के विषय में प्रत्येक उच्च न्यायालय को अधिकार देने के बारे में है दूसरे किसी भी प्राधिकार के आदेश के बारे में, एक का क्षेत्र दूसरे से व्यापक है।

दूरी की बात तो सदस्यों ने भी की है किन्तु यह किसी ने नहीं कहा कि इन्साफ नहीं होता। माननीय मंत्री मेरी एक बात को ध्यान में रखते हुए व्यापक मसौदा तैयार करने की कृपा क। देखने की यह जरूरत है कि न्याय को खराब न किया जाए। यह हमेशा उचित होता है कि मूलभूत, अपीलीय या पुनरेक्षण की शक्तियां सभी उच्च न्यायालयों के पास होनी चाहियें क्योंकि तब उच्चतम न्यायालय में फिर जाया जा सकता है। सभी संशोधनों को इकट्ठा करके उचित संशोधन किया जाये और यह स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए कि जो चाहे अपने उच्च न्यायालय में अर्जी दे चाहे पंजाब के उच्च न्यायालय में क्योंकि किसी व्यक्ति के लिये पंजाब उच्चन्याययालय अधिक समीप हो सकता है। इसलिये समवर्ती क्षेत्राधिकार होना चाहिये। जिस प्रकार पुनरेक्षण की अर्जी ज़िला न्यायालय या उच्च न्यायालय में से किसी एक में दी जा सकती है उसी प्रकार यहां होना चाहिये।

दोनों विधेयक की बातें साथ साथ चलती हैं। इसलिये दोनों पहलुओं को समेकित बिधेयक बनाते समय इकट्ठे रखना चाहिये। मैं समूचे तौर पर विधेयक का समर्थन करता हूं। चूंकि दोनों विधेयकों के प्रस्तावकों ने अपने विधेयक वापिस लेना स्वीकार कर लिया है इसलिये यह जो चर्चा की गई है और सुझाव रखे गये हैं, उन्हें माननीय विधि मंत्री को अपने समेकित विधेयक में स्थान देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सब उच्च न्यायालयों को समावर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाएगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मुझे बड़ा अफसोस है कि यह दोनों विधेयक द्वितीय लोक-सभा के गैर सरकारी सदस्यों के लिए नियत सबसे अंतिम दिन सभा में लिए गए हैं। परन्तु इसके साथ साथ बड़ी खुशी भी है कि माननीय विधि मंत्री ने गंभीरता से इन विधेयकों पर विचार किया और इनको उचित बताया।

श्री पट्टाभिरामन् तथा श्री नरसिंहन् ने इन विधेयकों को इस दृष्टि से प्रस्तुत किया है कि जिससे न्याय कम धन व्यय करके तथा शीघ्रता से दिया जा सकें। परन्तु मेरे से पहले वक्ता ने इसका विरोध किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यदि उनका ऐसा मत है तो वह चाहते हैं कि विधि आयोग द्वारा किया गया काम नष्ट हो जाये।

एक बात यह कही गई कि हमें जल्दी जल्दी संविधान में संशोधन नहीं करने चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि संविधान पवित्र है तथा उसकी पवित्रता बनाये रखने के लिए रूपभेद करना उचित नहीं है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई काम ऐसा हो जिससे संविधान में सुधार होता हो तो क्या हमें सुधार नहीं करना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मैं नहीं जानता कि इन दोनों विधेयकों का क्या होगा क्योंकि प्रवर समिति ३० मार्च को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और उसी दिन लोक-सभा भंग हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि माननीय उप-मंत्री हमें इस संबंध में बतायें।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इन दोनों विधेयकों को पारित किया जाना चाहिए।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर): इन दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से मामले हमारे सामने हैं जिनमें सरकार के अधिकारियों को दक्षिण से दिल्ली आना पड़ा और कठिनाई उठानी पड़ी यदि उनको अपने राज्य के उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होता तो उनको बड़ी आसानी से कम धन व्यय करके न्याय मिल सकता था। न्याय तो वही है तथा फायदा भी उसी न्याय से हो सकता है जो जल्दी तथा कम धन व्यय करने पर मिले।

मैं समझता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि भारत सरकार के अधिकारियों को जल्दी तथा कम धन व्यय करके न्याय मिले तो उन्हें या तो इन सेवाओं का विकेन्द्रीकरण कर देना चाहिए अथवा इन दोनों विधेयकों को पारित कर देना चाहिए जिससे जहां पर जो कर्मचारी हों उस राज्य के उच्च न्यायालय में उसको अपना मामला पेश करने की अनुमति मिल जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं क्योंकि इन उपबन्धों के न होने के कारण मैंने स्वयं बहुत कष्ट उठाये हैं। जब मैं किरकी में था तो मुझे प्रतिरक्षा संगठन के मंत्री महोदय ने सेवामुक्त कर दिया था। मुझे अपना मामला दर्ज करने के लिए बम्बई से कलकत्ता आना पड़ा क्योंकि मेरी नियुक्ति करने वाले अधिकारी कलकत्ते में थे। वहां जाने पर मैंने एक वकील तय किया। परन्तु इसी बीच मेरा लोक-सभा के लिए चुनाव हो गया और मामला वापस ले लिया गया। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि यदि देश में ऐसे मामलों की गणना की जाये तो बहुत से निकलेंगे। इसलिए मैं सुझाव देता हूं तथा माननीय उप-मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार कर लें जिससे संविधान के अधीन निर्धारित न्याय सभा को ठीक समय पर तथा ठीक प्रकार से मिल सके।

इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं उन दोनों माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इतने आवश्यक विधेयक प्रस्तुत किए । ये दोनों विधेयक राय जानने के लिए परिचालित किए गए थे और अब इनको प्रवर समिति को सौंप दिया गया है । इन विधेयकों पर व्यक्त की गई राय पढ़ने पर मालूम होता है कि उच्च न्यायालय, बार एसोसियेशन, ला-मैम्बर्स तथा लगभग सभी ने इन विधेयकों के लिए स्वीकृति दी है ।

मैं समझता हूं कि इन विधेयकों से ऐसी कमी दूर हो रही है जो अब तक संविधान में भी थी । संविधान के अनुच्छेद २२६ में दिया था कि जिन कार्यालयों का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है उन कार्यालयों के कर्मचारी अपने मामले केवल पंजाब उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत कर सकते थे । इसी कारण दिल्ली से दूर रहने वाले कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में दक्षिण में काम करते थे कभी कभी अपनी कोई शिकायत सरकार से ठीक नहीं करा पाते थे क्योंकि उनके सबसे पहले तो दिल्ली आने के लिए ही पर्याप्त धन चाहिए तथा अनजाने शहर में वकीलों आदि को ढूंढ़ने के लिए भी उन्हें आम नागरिक की तुलना में अधिक धन चाहिए ।

न्याय के प्रशासन के बारे में ऐसी व्यवस्था है कि न्याय ठीक मिलना चाहिए, कानून के सिद्धान्तों के अनुसार हो तथा उस पर कम धन व्यय हो । परन्तु ऐसा हो नहीं रहा है । इसी-लिए मेरे माननीय मित्रों ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किए हैं उनसे न्याय मिलना आसान तथा प्रभावोत्पादक हो जायेगा । विधि आयोग ने भी कहा है कि अनुच्छेद २२६ के शब्द इस प्रकार के हैं जिनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए । इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद २२६ की शब्दावलि में परिवर्तन कर दिया जाये ।

मैं आशा करता हूं कि तीसरी लोक-सभा में जो भी विधि मंत्री रहेंगे वह इन विधेयकों पर ध्यान देकर हमें अवश्य पारित करायेंगे । मैं दोनों माननीय प्रस्तावकों को इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं ।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में संशोधन करने के लिये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, अन्य माननीय सदस्यों की तरह मैं भी उसका समर्थन करता हूं। जो माननीय सदस्य मुझसे पहले बोले हैं, उन्होंने बहुत ही विचारपूर्वक और तर्कपूवक यह सिद्ध किया है कि संविधान के अनुच्छेद २२६ में यह संशोधन आवश्यक है ।

हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार का प्रशासन अधिकतर दिल्ली में केन्द्रित है और यहां से नियं-त्रित होता है । यदि केन्द्रीय सरकार के बहुत से विभाग देश के विभिन्न स्थानों में स्थापित कर दिये जायें और उनकी नियुक्तियां, निलम्बन और अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियां वहां से ही सम्पादित हों, तब तो कोई दिक्कत न हो । लेकिन इस समय स्थिति यह है कि केन्द्र की सरकार दिल्ली में बैठी हुई अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करती है और जब किसी कर्मचारी को कोई शिकायत होती है, तो संविधान के अनुसार उसको दौड़ कर यहां पर आना पड़ता है ।

हमारे देश में जो कानून बने हुए हैं, वे जनता के लिये बहुत ही महंगे साबित होते हैं । आखिर हमारा मंशा यह है कि लोगों को न्याय तुरन्त और सस्ता मिले और उसमें किसी प्रकार की देर न हो । लेकिन जब किसी केन्द्रीय कर्मचारी को कोई दिक्कत होती है और उसको कोई कानूनी सहायता लेनी पड़ती है, तो फिर निश्चित रूप से उसको पंजाब हाईकोट में आना पड़ता है, जिसमें उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, इससे हम अच्छी तरह अवगत हैं । इस गरीब देश में सरकारी कर्मचारी—और खास तौर पर छोटे कर्मचारी—बहुत गरीब हैं । अगर उन को कलकत्ता, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश मद्रास या अहमदाबाद से यहां पर आना पड़े और पंजाब हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तो इससे बड़ी कठिनाई होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगदीश अवस्थी]

जैसा कि माननीय सदस्य, श्री नरसिंहन् ने इस विधेयक के उद्देश्यों में कहा है, इस सम्बन्ध में अच्छे वकीलों की कान्फ्रेंसों ने प्रस्ताव पारित किये हैं और सरकार से मांग की है कि संविधान में इस आशय का संशोधन किया जाये; दुख की बात है कि अभी तक विधि मन्त्री महोदय ने पता नहीं किन कारणों से वह संशोधन करने की और पग नहीं उठाया है। अच्छा हो कि द्वितीय लोक-सभा की समाप्ति पर जबकि इस संशोधन के बारे में लगभग सभी सदस्य एकमत हैं, सरकार संविधान में यह संशोधन करके एक नया आदर्श स्थापित करे, जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जिनके बारे में किसी अभी माननीय सदस्य, श्री बनर्जी, ने कहा कि उनकी संख्या के साथ उनकी शिकायतों और कानूनी तकलीफें भी बहुत बढ़ जायेंगी, दिल्ली आने जाने में इतना खर्च न करना पड़े और विभिन हाईकोर्टों से उनको न्याय मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधक विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : पहले जब इस विधेयक पर सभा में चर्चा हो रही थी तो मैंने इसके सम्बन्ध में सरकार की राय बताई थी। परन्तु आज जो भाषण मैंने सुने उनसे ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्यों ने मेरे कथन को भुला दिया है। मैं उन्हीं शब्दों को दोबारा दोहरा देता हूं :

> "मैं सभा को बताना चाहता हूं कि सरकार अनुच्छेद २२६ का संशोधन करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है तथा मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि संविधान में ऐसा संशोधन मेरे मन्त्रालय में रहते हुए ही हो जाये।"

परन्तु अनुच्छेद २२६ का संशोधन करने में कठिनाई है। और वह कठिनाई यह है कि इसका संशोधन होने पर उसका अनुसमर्थन राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरी कठिनाई क्षेत्राधिकार के बारे में है कि किस उच्च न्यायालय पर यह जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। इन कठिनाइयों का हल ढूंढने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे एक बड़े विद्वान् मित्र जो मध्यप्रदेश में एडवोकेट जनरल ने बताया है कि यह बड़ी ही उलझन वाली स्थिति है। मान लीजिए हम उस उच्च न्यायालय को जिम्मेदार बना देते हैं जहां कार्यवाही हुई है तो इस प्रकार की एक ही कार्यवाही कई उच्च न्यायालयों में आरम्भ हो जायेगी। इसलिये हमें संविधान में ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे निश्चित रूप से मालूम हो सके कि मामला किस उच्च न्यायालय में पेश होना चाहिये, अन्यथा इसमें संशोधन करना बेकार हो जायेगा।

दूसरे पहलू पर श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का संशोधन लागू होता है। यह पहले संशोधन से अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है कि मूल अधिकार एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होते हैं जबकि अपील का अधिकार अन्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होता है। अपील दायर की गई हो या नहीं। क्या क्षेत्राधिकार दावेदार द्वारा की गई कार्यवाही के अनुसार बदले ? क्या हम अपील के निर्णय से मूल निर्णय को बदलते रहें ?

इसमें एक अन्य कठिनाई भी होगी जैसा कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता ने बताया है। यदि हम लेख के स्वरूप को देखें जो ब्रिटेन में प्रचलित ऐतिहासिक प्रक्रिया पर आधारित हैं, तो हमें पता चलता है कि वहां पर लेख सम्राट् या सम्राज्ञी के नाम दिये जाते हैं। वहां पर कानूनी, वैधानिक अथवा केन्द्रीय क्षेत्रीय अधिकार का विभाजन नहीं है। वहां पर एक ही उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार समूचे राज्य पर है। आदेश सार्वभौम के नाम में होता है। प्रत्येक को वह मानना पड़ता है। यहां पर, जैसा कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता ने बताया है, उत्प्रेषण-लेख जारी किया जा सकता है क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

रिकार्ड न्यायालय के समक्ष लाना पड़ता है और न्यायालय रिकार्ड में आवश्यक परिवर्तन करता है। वह काम आसान है। परन्तु एक परमादेश, जो कि आदेश का लेख है, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर अधिकारी को कैसे जारी किया जा सकता है। मानो कि उस लेख का पालन नहीं होता। हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम में जारी किये गये आदेश के पालन करने के लिये परमादेश जारी करने वाला उच्च न्यायालय किस अधिकार पर उसको लागू करवायेगा ?

ये सब टैक्निकल बातें हैं। अतः यद्यपि सरकार यह चाहती है कि यह परिवर्तन किया जाये परन्तु वह इन समस्याओं का कोई ऐसा हल नहीं निकाल सकी जिसे सन्तोषजनक कहा जा सके। ऐसे मामलों का जिक्र किया गया है जिनमें लोगों को नई दिल्ली आने को बाध्य होना पड़ता है। अपने पहले भाषण में मैंने बताया था कि यह आसान होगा कि सरकार मामले का वहीं न्याय-निर्णयन कराये जहां पर मामला उठता है। मैंने यह कहा था :

> "जैसे किसी नागरिक को पूर्व पंजाब उच्च न्यायालय में भारत सरकार की कार्यवाही के विरुद्ध अपील के लिये केरल अथवा आसाम अथवा मद्रास से आना पड़ता है, उसी प्रकार भारत सरकार को भी अपनी कार्यवाही के पक्ष में दलील देने के लिये रिकार्डों को और अफसरों को केरल अथवा आसाम से बुलाना पड़ता है।"

अतः स्थानीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले को निपटाये जाने से केवल नागरिकों को ही लाभ नहीं हुआ परन्तु भारत सरकार को भी सुविधा होगी।

जहां तक अनुच्छेद २२६ का सम्बन्ध है, हम उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यह सरकार कानून से चलती है। यदि यह कानून पर न चल कर जनता का विश्वास खो बैठे तो इसके सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं और कानून हमारे न्यायाधीश, जो बड़े विद्वान् हैं और पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र हैं, लागू करते हैं। इस सरकार के बारे में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी नागरिक ने अनुच्छेद २२६ के अधीन उच्च न्यायालय में अपील नहीं की। हमें पूरा भरोसा है क्योंकि हमारे न्यायालय स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं। यदि हम कभी न्याय और संच्चे मार्ग से हट जायें तो नागरिक लोग निश्चय ही अपील करेंगे और न्यायालय वह गलती सुधारेंगे।

सरकार यह व्यवस्था करने में चिन्तित है कि अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत निवारण के उपायों को न केवल कायम रखा जाय बल्कि प्रत्येक नागरिक तक उसका विस्तार किया जाय। जब भी कभी संविधान में संशोधन किया गया है, यह इसलिये किया गया है कि सरकार कल्याणकारी राज्य के रूप में अपना कर्तव्य निभा सके। हमारे संविधान में कुछ ऐसे भाग हैं जो अन्य संविधानों में संविधान ही नहीं माने जाते। संविधान में केवल वही व्यवस्था होनी चाहिये जो राज्य के ढांचे, विधान-मण्डल, कानून और प्रशासन से सम्बन्धित हों। ऐसा करने पर प्रक्रिया वाला भाग संविधान से निकले तत्वों पर छोड़ दिया जाता है परन्तु अपने संविधान में हमने कई उपबन्धों का, जो मूल संविधान से बाहर के हैं संविधान में शामिल करना उचित समझा। उन भागों में संशोधन करना, यद्यपि वे इसलिये संवैधानिक संशोधन हैं क्योंकि उनसे संविधान में संशोधन होता है, संवैधानिक संशोधन नहीं हैं। दूसरे जब हम संविधान के ढांचे वाले भाव में संशोधन करते हैं वह केवल व्यक्तिगत अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आधार को विस्तृत करने के लिये अथवा जिससे हम कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

यह सच है कि अमरीका में संशोधन कम होते हैं। जहां तक संस्था का सवाल है, वह सोलह या अठारह संशोधन हैं और वे लगभग १५० वर्षों में हुए हैं। वहां पर उस समाज में एक सामाजिक, प्रौद्योगिक और कानूनी समानता आ गई है ताकि वे यह देख सकते हैं कि एक कानून किस प्रकार कार्य करता है जब कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां आधुनिक समाज के प्रौद्योगिक सुविधायें हों।

[श्री हजरनवीस]

ऐसा करने में इस सदन के आदेशानुसार शीघ्र कार्यकारी कार्यवाही करनी है। हम इसके लिये छः या आठ वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सरकार भी यह चाहती है कि जो भी कानून यह बनाये न्यायालय उसका फ़ौरन पर्यवेक्षण करें और बतायें कि वह कानून अच्छा है या बुरा ताकि हमें यह पता लग जाये कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह ठीक है या गलत है। अनुच्छेद २२६ उस क्षेत्राधिकार का आधार है जिसपर सरकार की कार्यवाही की एक गैर-सरकारी नागरिक के कहने पर उच्च न्यायालय में खुले न्यायालय में जांच की जाती है और देखा जाता है कि सरकार जो कार्य कर रही है वह ठीक है या नहीं। हम उस निर्णय को खुशी से मानते हैं।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, यह अन्तिम सत्र है और मुझे पूरा विश्वास है कि विधेयकों को जिन्हें जनता से पूर्ण समर्थन मिला और सरकार उचित समझती है, उन्हें संविधान में स्थान मिल सकेगा।

इस प्रकार मैं माननीय सदस्यों से, जिन्होंने ये संशोधन प्रस्तुत कर संविधान और कानूनी जगत की सेवा की है, अपने प्रस्तावों को वापस ले लें।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मुझे खुशी है कि सरकार विधेयक के सिद्धान्त से सहमत है। संविधान बनाने वाले यह चाहते थे कि यदि सरकार के आदेश से कोई व्यक्ति असन्तुष्ट है तो उसे अनुच्छेद २२६ के अधीन राहत मिले। आज विशेषतः उच्चतम न्यायालय के निर्णय से स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत के अधिकांश लोगों के अनुच्छेद २२६ के उपबन्धों का लाभ नहीं मिलता। और यह अनुचित और अन्याय है कि पंजाब उच्च न्यायालय में लेख याचिका दायर करने के लिये लोगों को दिल्ली आना पड़े। उसे अपने राज्य में ही यह सुविधा दी जानी चाहियें। मुझे खुशी है कि यह सिद्धान्त मान लिया गया है।

मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है। यह सच है कि सरकार के "स्थान" के बारे में भिन्न भिन्न मत है। अन्तिम अधिकार तो भारत सरकार का है। भारत सरकार उस हर स्थान में कार्य करती है जहां पर इसके आदेश लागू होते हैं।

मुझे कोई सन्देह नहीं है कि सभा के सामने एक अधिक विस्तृत प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत किया जायेगा।

मैं उपमंत्री महोदय को उनके आश्वासन के लिये धन्यवाद देता हूं और विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

†**श्री नरसिंहन्** : उस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए कि भावी संसद् इस पर विचार करेगी और सरकार इसके उद्देश्य पर विचार कर रही है मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि दोनों माननीय सदस्यों को अपने अपने विधेयक वापिस लेने की सदन की अनुमति है।

दोनों विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिये गये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला कार्य। श्री अम्बलम्। वह अनुपस्थित हैं। श्री राम कृष्ण गुप्त। श्री तंगामणि। किसी अन्य सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना बाकी नहीं है। अतः कोई कार्य नहीं है। सभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(इसके पश्चात् लोक-सभा २४ मार्च, १९६२/३ चैत्र, १८८४ (शक) के ११ म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।)

---

†मूल अंग्रेजी में

[शुक्रवार, २३ मार्च, १९६२ / २ चैत्र, १८८४ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५४३–६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३०	कोयला खनन मशीन संयंत्र, दुर्गापुर	५४३–४४
१३१	विदेशी सार्थों में भारतीय राष्ट्रजन	५४४–४५
१३३	दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों का फिर से बसाया जाना	५४५–४६
१३४	पुर्तगाली राष्ट्रजनों का स्वदेश-प्रत्यावर्तन	५४६–४९
१३५	मध्यम वर्ग के परिवार	५४९–५१
१३९	भूटान का विकास	५५१
१४०	श्री ए० जैड० फ़िजो	५५२–५४
१४१	निर्यात और आयात नीति	५५४–५६
१४४	भारत-तिब्बत संधि	५५६–५७
१४५	जिब्राल्टर में भारतीय व्यापारी	५५७–५८
१४७	नागा विद्रोहियों के लिये चीनी शस्त्रास्त्र	५५८–५९
१४८	सीमेंट	५५९–६४
१५०	दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति	५६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३२	नागाओं की हिरासत में भारतीय वैमानिक	५६४–६५
१३६	तिब्बत में चीनियों द्वारा रोकी गई धनराशि	५६५
१३७	भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का विधि-समम्त हस्तान्तरण	५६५
१३८	उड़ीसा में सीमेंट की कमी	५६६
१४२	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी, कलकत्ता	५६६
१४३	बर्मा के नये शासन को मान्यता	५६६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४६	चाय उद्योग के लिये सीमेंट	५६७
१४९	कर्नल भट्टाचार्य	५६७
१५१	कोयला उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड .	५६७
१५२	राजनीतिक मामलों सम्बन्धी विज्ञापन	५६८
१५३	औषधियों का उत्पादन	५६८
१५४	नागा विद्रोहियों की कार्यवाही .	५६८–६९
१५५	राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन . . .	५६९
१५६	रोज़गार	५६९
१५७	मद्रास के हथकरघे के कपड़े पर छूट	५६९–७०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९७	निर्यात संवर्द्धन	५७०
१९८	छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों का निर्यात .	५७०
१९९	निर्यात संवर्द्धन	५७०–७१
२००	नेपाल में कपड़ा मिल	५७१
२०१	रेल-सड़क समन्वय . . .	५७१
२०२	अफरीकी बन्दरगाहों के लिये भेजा गया माल .	५७१–७२
२०३	डालमिया जैन फर्मों की जांच .	५७२
२०४	विद्रोही नागा	५७२–७३
२०५	विएना में एक भारतीय राजनियक प्रतिनिधि की मृत्यु .	५७३
२०६	"रेडियो गोआ"	५७३
२०७	कोयला धोने के संयंत्रों के निर्माता .	५७३–७४
२०८	स्नेहन तेल .	५७४
२०९	गुमिया खानों में विस्फोट	५७४
२१०	लंका में भारतीय राष्ट्रजन .	५७४–७५
२११	संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार किया गया नक्शा . .	५७५
२१२	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश	५७५
२१३	भारतीय उद्योग मेला .	५७५
२१४	"मैसर्ज टीकेलमिट (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड"	५७५–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२१५	उद्योगों में विदेशी विनियोजन .	५७६
२१६	नेफा में चीनियों का अवैध प्रवेश	५७६–७७
२१७	कोयला खानों के लिये जांच न्यायालय .	५७७
२१८	चुनाव सभाओं में सरकारी कर्मचरियों का भाग लेना .	५७७–७८
२२०	दिल्ली के सरोजनी नगर में अनधिकृत-बाजार . .	५७८
२२१	नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बस्तियों में नालियां .	५७८
२२२	भूतपूर्व स्वादी शासकों की मान्यता .	५७९
२२३	संसद् सदस्यों के फ्लैटों में नौकरों के क्वार्टर .	५७९
२२४	दिल्ली में शिक्षण संस्थाओं को पुनः स्थापन अनुदान .	५७९–८०
२२५	उड़ीसा में पंचायती उद्योग .	५८०–८१
२२६	लौह अयस्क . . .	५८१
२२७	उड़ीसा में तार (केबल) का निर्माण .	५८१
२२९	सम्बलपुर (उड़ीसा) में सीमेंट कारखाना . .	५८२
२३०	ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां	५८२
२३१	कताई कारखाने	५८३
२३२	उड़ीसा में कारखानों की स्थापना . .	५८३
२३३	कताई कारखाना . .	५८३–८४
२३४	प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण . . .	५८४
२३५	आय वितरण समिति .	५८४
२३६	आयात में कटौती . . .	५८५
२३७	दिल्ली में अलीगंज में क्वार्टरों में जाफरियां .	५८५
२३८	महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम कारखाना . .	५८६
२३९	जगतदाल के पटसन औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिये मकान .	५८६
२४०	पंजाब की पहाड़ियों में सड़कें	५८६–८७

स्थगन प्रस्ताव ५८७–८८

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर कछार पहाड़ियों में कथित दुर्घटना, तथा पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के एक सदस्य के भारतीय राज्य-क्षेत्र से पाकिस्तानियों द्वारा कथित अपहरण के बारे में दो स्थगन प्रस्तावों को, जिन की सूचना श्री ०० मो० बनर्जी और श्री आसर द्वारा दी गई थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

विषय पृष्ठ

मंत्री द्वारा वक्तव्य ५८८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) ने कच्चे पटसन के मूल्यों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८८–८९

(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ पन्द्रहवां सत्र, १९६१

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ चौदहवां सत्र, १९६१

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ११ तेरहवां सत्र, १९६१

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १२ बारहवां सत्र, १९६०

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १५ ग्यारहवां सत्र, १९६०

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या २० दसवां सत्र, १९६०

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २० नवां सत्र, १९५९

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या २७ सातवां सत्र, १९५९

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति —

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट और पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये राष्ट्रीय ओजार लिमिटेड, जादवपुर, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

विषय पृष्ठ

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(चार) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०७ में प्रकाशित चाय (पहला संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश ५९०

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना द :—

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी १९ मार्च, १९६२ की बैठक में हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९६२ को पास कर दिया है ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी २० मार्च, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १४ मार्च, १९६२ को पास किये गये गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने अपनी २० मार्च, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १४ मार्च, १९६२ को पास किये गये संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ को भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६८ के उपबन्धों के अनुसार बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है ।

विषय पृष्ठ

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया . . ५९०

सचिव ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९६२, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखा ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ५९०

एक-सौ-छप्पनवां प्रतिवेदन उपस्थित हुआ ।

ब्लिट्ज के संवाददाता द्वारा क्षमा याचना ५९०

सभा ने ब्लिट्ज के नई दिल्ली संवाददाता श्री ए० राघवन द्वारा प्रार्थित क्षमा याचना को स्वीकार कर लिया और इस बात से सहमत हो गई कि लोक सभा की प्रैस गेलरी का कार्ड और सेन्ट्रल हाल का पास जो १९ अगस्त, १९६१ को किये गये सभा के निर्णय के अनुसार रद्द कर दिये गये थे, उसे फिर से दे दिये जायें ।

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र ५९१

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को सूचित किया कि निम्नलिखित सदस्यों ने लोक-सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है :—

(१) डा० दे० ना० पथरीकर कामले

(२) श्री राजा राम मिश्र

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . ५९१—६०६

वर्ष १९६२–६३ के आय-व्ययक (सामान्य) पर सामान्य चर्चा जारी रही ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक वापस ले लिये गये . . . ६०६—१४

सर्वश्री चे० रा० पट्टाभिरामन और नरसिंहन् ने यह प्रस्ताव किया कि उन के क्रमशः दो विधेयक संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) प्रवर समिति को सौंप दिये जायें । उन्हों ने वाद-विवाद का उत्तर भी दिया । दोनों विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये ।

शनिवार, २४ मार्च, १९६२/३ चैत्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि .

वर्ष १९६२–६३ के आय-व्ययक (सामान्य) पर अग्रेतर सामान्य चर्चा ।

वर्ष १९६२-६३ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान । विनियोग (लेखानुदान) विधेयक १९६२ और वित्त विधेयक १९६२ पर विचार और उस का पारित किया जाना ।

IPND I.S III—205 (Ai)LSD—26-4-62—125.